



Sponsors J&K Bank

**J&K
Grameen Bank**

Scheduled Bank

Empowering Empowerment

ग्रामीण बैंक

گرامین بینک

2024-2025 ANNUAL REPORT



Dr. Pawan Kotwal
IAS, Advisor to
Hon'ble Lt. Governor,
UT of Ladakh,
inaugurating the
new Branches
(Spituk & Chuchot Yakma)
in Leh District

NABARD and
J&K Grameen Bank
signs MoU for formation
and credit linkage of
2000 JLG's at NABARD
Regional Office,
Jammu in presence of
Sh. Bhallamudi Sridhar,
Chief General Manager,
NABARD.



SIDBI and
J&K Grameen Bank
signs MOU to boost
rural entrepreneurship
and financial inclusion



16th *Annual Report* **2024-25**

With Best Compliments from :-

Mr. Sanjay Gupta

Chairman

J&K Grameen Bank

Head Office : Narwal, Jammu (J&K)

CONTENTS

- 1. Board of Directors**
- 2. Management Team**
- 3. Performances of the Bank at a Glance**
- 4. Director's Report**
- 5. Auditor's Report**
- 6. Balance Sheet**
- 7. Profit and Loss Account**
- 8. Schedules**
- 9. List of Branches**



BOARD OF DIRECTORS



Mr. Sanjay Gupta



Mr. Neeraj Kumar



Mr. Sunit Kumar



Mr. Syed Rais Maqbool



Ms. Urmil Lata



Ms. Nitu Gupta



Mr. Nisar Ahmed Koul

MANAGEMENT TEAM



Mr. Sanjay Gupta
Chairman



Mr. Zaffer Akeel Shah
General Manager



Mr. Suresh Chander Sharma
General Manager



Mr. Amrish Singh Slathia
Chief of Audit, Inspection & Vigilance

FROM CHAIRMAN'S DESK...

"Our greatest transformation happens through our toughest times. At J&K Grameen Bank, we turn challenges into catalysts for growth, and perseverance into progress."

It is my pleasure to present to you the 16th Annual Report of J&K Grameen Bank for FY 2024-2025 along with Bank's Financial Statements, its performance and the important milestones achieved during the Financial Year. For years, J&K Grameen Bank has stood tall as a beacon of hope, empowering countless lives, nurturing dreams, and reaching the last mile with compassion and dedication. I take this opportunity to extend my sincere gratitude to all the stakeholders for their persistent support for the overall development of the Bank.

The banking industry is undergoing rapid transformation—driven by innovation, rising expectations, and the call for deeper inclusion. We are embracing this change as an opportunity to grow stronger and more future-ready.

Operational Footprint

The operational area of the bank covers eleven (11) Districts in the UT of J&K & two (2) districts in the UT of Ladakh also covering difficult terrains and hilly areas with 216 regular branches, 1 Service Branch, 1 Extension Counter and 7 ROs.

Bank's Performance – Strong Financial Growth

The Business mix has reached a level of Rs 10450.25 Cr registering a growth of 11.60% during the FY 2024-25 with Deposits growth of 10.32% and Advances growth of 13.59%. The total deposits of the Bank have grown by ₹ 589.21 Crores from ₹ 5710.15 Crores as on 31st March 2024 to ₹ 6299.36 Crores as on 31st March 2025. While, the advances of the Bank increased by ₹ 496.71 Crores from ₹3654.18 Crores as on 31st March 2024 to ₹4150.89 Crores as on 31st March 2025 registering a growth of 13.59%. The CRAR of the Bank, which was negative as on 31st March 2022 (i.e., -2.31%), improved to 9.45% in March 2025, surpassing the minimum regulatory requirement of 9%.

Asset Quality and NPA Management

Our commitment to responsible lending and proactive recovery has borne fruit. Gross NPAs reduced from 4.07% as on 31st March 2024 to 3.80% as on 31st March 2025. Net NPAs reduced from 1.28% as on 31st March 2024 to 1.25% as on 31st March 2025. This improvement was driven by our comprehensive recovery framework and a series of targeted initiatives—including Special OTS-2024, KARZ SAMADHAN Campaign, Operation Zero, Clean Sweep, and Recovery Storm—have further accelerated recoveries at the grassroots level.

Digital Transformation and Innovation

During FY 2024–25, J&K Grameen Bank made substantial strides in Information Technology and digital transformation to enhance operational efficiency, customer convenience, and service delivery. A key milestone was the successful migration from Finacle 7 to Finacle 10, marking a significant leap in real-time banking capabilities, scalability, and data security. Recognizing the changing needs of customers, we accelerated our digital journey. We rolled out UPI QR payment facilities across the network and introduced internet banking (view-only mode) for account monitoring, and issued contactless debit cards with the feature of tap and pay, thereby making payments more convenient with no physical connection. The Video KYC (v-KYC) platform was upgraded to enable for seamless on boarding. Key digital initiatives included implementation of the Loan Origination System, Mandate Management System, SMA Tracker, and automation of ALM reporting. The Bank also launched its Jan Suraksha Portal for digitized enrolments and claims under social security schemes. These innovations are modernizing our operations and directly benefit customers with faster, more convenient services.

Operational Reforms and Excellence

We strengthened our governance and processes across the Bank. A full concurrent audit mechanism was implemented in all branches, ensuring vigilant oversight and compliance. We reinforced CBS-level control checks and rolled out comprehensive Standard Operating Procedures (SOPs) for key processes, enhancing transparency and reducing operational risk. We also developed a fully paperless internal inspection platform for audit teams.

The Road Ahead

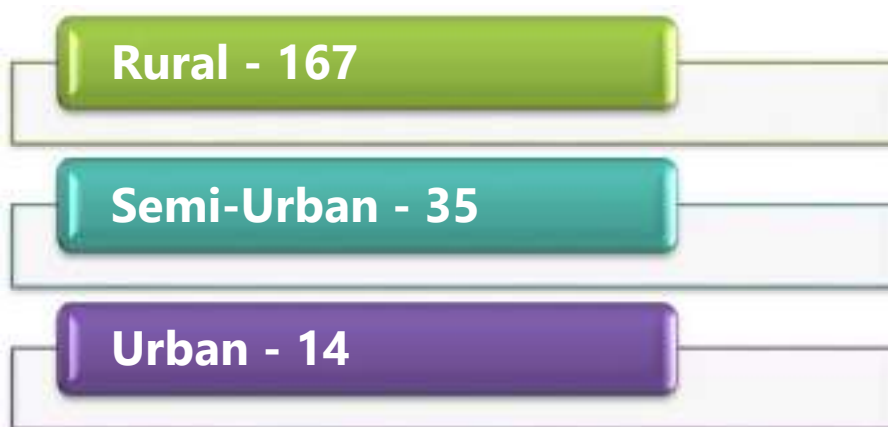
As we move ahead, our focus remains on expanding digital services to the remotest corners, strengthening credit discipline, empowering farmers and self-help groups, and driving operational excellence through automation and analytics. At J&K Grameen Bank, we are not just tracking financial growth—we are transforming lives, bringing dignity and hope to every household we touch. These achievements reflect the dedication of our employees and the trust of our customers and stakeholders. We will continue building on this trust, offering greater value, nurturing relationships rooted in integrity across UT of J&K and UT of Ladakh.

J&K GRAMEEN BANK AT A GLANCE

FY 2023-24		FY 2024-25
₹ 3654.18 Crore	ADVANCES Y-O-Y Growth - 13.59%	₹ 4150.89 Crore
₹ 5710.15 Crore	DEPOSITS Y-O-Y Growth - 10.32 %	₹ 6299.36 Crore
₹ 9364.33 Crore	BUSINESS Y-O-Y Growth - 11.60 %	₹ 10450.25 Crore
63.99 %	CD RATIO Y-O-Y Growth - 190 bps	65.89 %
4.07 %	GNPA Y-O-Y Growth - (27 bps)	3.80 %
1.28 %	NNPA Y-O-Y Growth - (3 bps)	1.25 %
44.74 %	CASA Y-O-Y Growth - 7 bps	44.81 %

BRIEF PROFILE OF THE BANK

- J&K Grameen Bank came into existence on 30th June, 2009, with the issuance of statutory notification by GOI, MOF, Department of Financial services under sub section (i) of Section 23 A of the RRB Act 1976 giving effect to amalgamation of two Regional Rural Banks, viz Jammu Rural Bank and Kamraz Rural Bank both sponsored by J&K Bank, operating erstwhile in J&K State, into a single RRB under the name of **"J&K GRAMEEN BANK"** with its Head Office at Jammu and has commenced business w.e.f 01.07.2009.
- The operational area of the bank covers eleven (11) Districts in the UT of J&K & two (2) districts in the UT of Ladakh which includes 212 branches in UT of J&K and 4 in UT of Ladakh. The focus of the bank is to make the banking services accessible to the general masses across both the UTs. The area wise breakup of branch network as on 31/03/2025 is as under:



JKGB Branches across UT of J&K and Ladakh

- The bank was established primarily to strengthen availability of basic banking facilities in the remote rural areas, mobilize savings from rural masses that were not adequately served by Commercial Banks, provide credit facilities especially those below poverty line enabling them to carry out the economic activities under agriculture, cottage and small industries, retail trade, dairy and other allied activities etc. in the process pushing the growth of the rural economy, ultimately leading to prosperity and employment generation.

CREDIT DISTRIBUTION(O/S) FY 2024-25

Activity	No of A/Cs	Amt. (In Cr.)
KCC/Crop Loan	117252	1018.56
Other Term Loan for Agriculture & Allied Activities	9112	123.48
MSME	34315	886.87
Retail Trade	22395	860.30
Education	418	15.55
Housing	3766	275.80
Other P/S	506	1.35
Total Priority Sector	187764	3181.91
Non-Priority Sector	23946	968.98
Total	211710	4150.89

Disbursement during the FY 2024-25 amount in Cr.



KEY FINANCIAL INDICATORS

(Amount in '000')

S. N.	Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
A. KEY PERFORMANCE INDICATORS				
1.	No. of Districts covered	13	13	13
2.	No. of Branches	215	216	216
	a) Rural	172	167	167
	b) Semi-Urban	32	35	35
	c) Urban	11	14	14
3.	a) Staff Strength of JKGB	1149	1217	1196
	b) On deputation from Sponsor Bank	12	9	8
	c) Total Staff Strength	1161	1226	1204
	d) of which Officers (JKGB)	725	768	778
4.	Deposits	52687645	57101504	62993603
	Growth %	10.50 %	8.38 %	10.32%
5.	Borrowings outstanding (NABARD)	4133411	5963866	7064017
	Growth %	26.19 %	44.28%	18.45%
6.	Gross Loans & Advances Outstanding	32445404	36541825	41508855
	Growth %	12.71%	12.63%	13.59%
	Of 6 above, loans to Priority Sector	25954540	28456404	31819047
	Of 6 above, loans to Non- Priority	6490864	8085421	9689808
7.	C D Ratio	61.58 %	63.99%	65.89%
8.	Investment Outstanding	10770996	11237811	11221698
	Growth %	17.11%	4.33%	-0.14%
	SLR investment Outstanding	10720996	11187811	11221698
	Non- SLR Investment Outstanding	50000	50000	-
B. AVERAGES				
9.	Average Deposits	48721498	53800827	58511770
10.	Average Borrowings	3392657	3480933	5789283
11.	Average Gross Loans & Advances	30214109	33623426	37974290
12.	Average Investment (including FDs)	22038190	24434225	27924375
13.	Average Working Fund	55497788	61540371	69775349

C. LOANS ISSUED DURING THE YEAR :		2022-23	2023-24	2024-25
14.	Loans issued during the year	20319748	22814014	23914847
	Growth %	21.75%	12.27%	4.83%
	Of 14 above, loans to Priority Sector	16587462	18467748	18993500
	Of 14 above, loans to Non- Priority	3732286	4346266	4921347
D. PRODUCTIVITY				
15.	a) Business Per Branch	395968	433534	483808
	b) Business Per Employee	73327	76381	86796
E. RECOVERY PERFORMANCE				
16.	Total Demand	19749496	22647878	25649109
17.	Recovery	13989507	15563476	17315778
18.	Overdue	5759990	7084402	8333331
19.	Recovery % (June Position)	71%	69%	68%
F. Farm Sector				
20.	Demand	11843997	13241699	14056780
21.	Recovery	8522565	9329261	10064781
22.	Overdue	3321349	3912438	3991999
	Recovery % (June Position)	72%	70%	72%
G. Non- Farm Sector				
23.	Demand	7905499	9406179	11592329
24.	Recovery	5466942	6234215	7250997
25.	Overdue	2438641	3171964	4341332
26.	Recovery % (June Position)	69%	66%	63%
H. ASSET CLASSIFICATION				
27.	a) Standard	30970272	35054786	39931860
	b) Sub-Standard	214258	217339	288648
	c) Doubtful	1024661	1079446	1119270
	d) Loss	236213	190254	169077
	TOTAL	32445404	36541825	41508855

28.	Std. Assets as % Gross Loans & Adv. O/S	95%	96%	96%
I. PROFITABILITY ANALYSIS		2022-23	2023-24	2024-25
29.	Interest paid on	1976963	2577368	2927987
	a) Deposits			
	b) Borrowings	148113	167174	356137
30.	Salary	1259799	1329519	1954693
31.	Other operating expenses	537219	679688	598552
J. Provisions made during the year				
32.	a) Against NPAs	84067	162881	86158
	b) COVID-19 Provisioning against standard assets	-	-	-
	c) Against Adhoc wage revision	53300	257200	119621
	d) Against pension provision	1176109	118400	342000
	e) Other Provisions	74321	5160	13435
33.	Interest received on	2864076	3323951	3693771
	a) Loans and Advances			
	b) SLR/Non SLR /FDR Investments	1418502	1798079	2138571
34.	Miscellaneous Income	306914	348868	388799
35.	Net Profit/Loss before Taxes	-720399	173508	-177442
36.	Tax Expenses (including DTA)	204126	-135902	49931
37.	Net Profit/Loss	-516273	37606	-127511
K. OTHER INFORMATION				
38.	Paid up Capital	971630	5894425	5894425
39.	Share Capital Deposit	2877956	--	--

BOARD OF DIRECTOR'S REPORT 2024-25

1. Performance at a glance: -

- The aggregate Business of the Bank reached another height and stood at ₹ 10450.25 Crores as on 31.03.2025 registering an increase of ₹1085.92 Crore as compared to end of FY 2023-24.
- The total deposits of the Bank have grown by ₹589.21 Crores from ₹5710.15 Crores as on 31st March 2024 to ₹6299.36 Crores as on 31st March 2025, registering a growth of 10.32 %.
- Cost of Deposits for the FY 2024-25 stood at 5% as compared to previous year i.e. at 4.79% for FY 2023-24.
- The advances of the Bank increased by ₹496.71 Crores from ₹3654.18 Crores as on 31st March 2024 to ₹4150.89 Crores as on 31st March 2025 registering a growth of 13.59%.
- Yield on Advances for the FY 2024-25 stood at 9.73% as compared to 9.89% for FY 2023-24.
- Priority Sector Advances stood at ₹3181.91 Crores, as on 31st March, 2025 constituting 76.66 % of the total advances.
- The percentage of agricultural advances to total advances stood at 27.51% well above the prescribed norms.
- The Credit Deposit Ratio of the Bank has increased from 63.99% as on 31 March 2024 to 65.89% as on 31.03.2025, registering a growth of 190 basis points (BPS).
- CASA percentage of Bank for the FY 2024-25 stood at 44.81 %.
- The Net NPA of the bank stood at ₹50.51 crores as on 31/03/2025 compared to ₹45.45 crores as on 31/03/2024. The Net NPA percentage to the Net Advances reduced to 1.25% as on 31/03/2025 from 1.28% as on 31/03/2024.
- The Gross NPA of the bank stood at ₹157.70 Cr as on 31.03.2025 as compared to ₹148.70 Cr as on 31.03.2024. Gross NPA percentage of the bank reduced to 3.80% as on 31.03.2025 from 4.07% as on 31.03.2024.
- The Provisioning Covering Ratio (PCR) of the Bank stood at 75.09% as on 31.03.2025 compared to 76.60% as on 31/03/2024.
- Loans of ₹2391.48 Crores were disbursed during the FY 2024-25 as compared to ₹2281.40 Crores disbursed during the previous FY 2023-24.
- Net Interest Margin of Bank as on 31/03/2025 stood at 3.65%.
- **CRAR of the bank stood at 9.45% as on 31.03.2025 as compared to 11.21% as on 31.03.2024.**

2. Share Capital: -

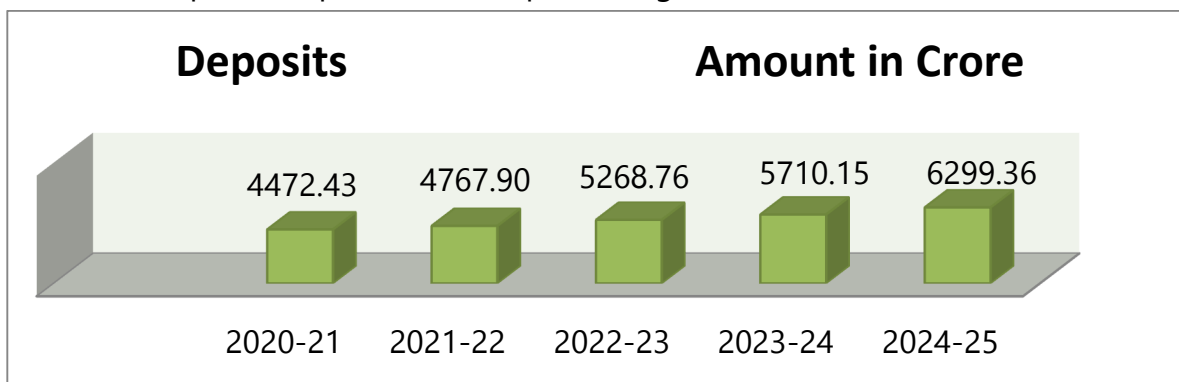
- The Authorized Capital of the bank as on 31.03.2025 is ₹2000 Crores (200 crore shares of ₹10 each).
- The Paid up Share Capital of the Bank is ₹ 589.44 Crores (589442464 shares of ₹ 10 each). The breakup of paid up Share capital as on 31st March 2025 is as under:

Amt in Cr.

Particulars	Share of Government of India	Share of Government of U.T of J&K	Share of J&K Bank (Sponsor Bank)	Total
Paid up Share Capital	₹ 294.72	₹ 88.42	₹ 206.30	₹ 589.44

3. Deposits: -

The total deposits of the Bank have grown by ₹ 589.21Crores from ₹ 5710.15 Crores as on 31st March 2024 to ₹ 6299.36 Crores as on 31st March 2025; registering a growth of 10.32%. The comparative position of deposits is given below:



- As on 31st March, 2025, the CASA deposit stood at 44.81% of the total deposit against 44.74% as on 31st March 2024. The total number of deposit accounts increased from 1694570 as on 31.03.2024 to 1746419 as on 31.03.2025. The average deposits per branch increased to ₹29.16 Crores during 2024-25 as compared to ₹26.44 crores during 2023-24.

New Initiatives: -

▪ **Stationery Management Application:**

During FY-2024-25, new Stationery Management Application was launched w.e.f. 29.04.2024 thereby enabling us to streamline our inventory processes and maintain records of inventory across all branches/offices.

▪ **"SB CHAMP" SAVINGS BANK ACCOUNT SCHEME:**

SB Champ Saving Bank Account Scheme was revamped w.e.f. 19.08.2024, with an objective to cater to banking requirements of students within the age group of 10 years to 18 years.

▪ **Tie up with EQUIFAX Pvt Ltd:**

To assess the quantum of exposure availed by the customer willing to open a current account, we tied up with Equifax Pvt. Ltd. thereby providing a tool to determine the quantum of exposure availed by prospective customer.

4. Borrowings/Refinance/Loans: -

The Bank availed need-based refinance/ borrowings from NABARD/ Sponsor Bank during the year to augment its resources and to leverage the benefits of refinance facility from NABARD by focusing on enhancing the lending under agriculture sector. The repayment of the refinance availed from NABARD was regular, prompt and within due dates according to their repayment schedule/s. The position of refinance/ borrowings sanctioned, availed and repaid during the year is as under:

(Amount in 000's)						
Sr. No.	Particulars	Outstanding balance as on 31.03.2024	Funds Sanctioned During 2024-25	Funds availed during 2024-25	Repayment during 2024-25	Outstanding balance as on 31.03.2025
A	NABARD	5963866	5612181	5612181	4512031	7064016
B	J&K Bank	116677	1200000	1045000	1045000	116677
C	NSFDC	5470	0	0	1683	3787
Total A+B+C :		6086013	6812181	6657181	5558714	7184480

5. DICGC Claims: -

The Bank is regularly paying premium to DICGC on its due date in respect of deposit insurance.

6. Cash and Balance with Banks: -

- The Bank has fixed cash retention limit for each branch based on volume and business mix. The cash retention limits are reviewed periodically. The details of cash held by the bank and also the average cash balance maintained during the last two years is furnished as under: -

(Amount in 000's)		
Particulars	2023-24	2024-25
Cash-in-Hand	65964	79915
Avg. Cash during the year	99845	94937
Avg. cash as % to avg. deposits	0.19	0.16

- Balances held by the Bank in Current Account with RBI and Commercial Banks including J&K Bank and interest earned thereupon for last two years is given below:

(Amount in 000's)		
Particulars	2023-24	2024-25
Balance in Current Account with RBI	2531188	2441193
Balances in Current Account with commercial Banks including Sponsor Bank	84107	93042
Balances in Term Deposits with other commercial Banks including Sponsor Bank	17319443	18753514
Interest earned on Term Deposits etc.	992208	1330049

7. Investments: -

The Bank has total investment of ₹112217 lakhs as on 31.03.2025 in Govt. and other approved securities. The year wise breakup of investments is given below:

(Amount in lacs)

Financial Year	Total Investment	SLR Investment	Non-SLR Bonds
2022-23	107710	107210	500
2023-24	112378	111878	500
2024-25	112217	112217	0
Financial Year	Total Interest Earned	Interest on SLR Investment	Interest on Non-SLR Bond
2022-23	6878	6830	48
2023-24	8058	8010	48
2024-25	8085	8040.65	44.35

- In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, entire investment portfolio of SLR securities has been classified under three categories viz Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading. Premium has been amortized over the remaining life of the securities pro rata on straight line method basis. Amortization of premium is adjusted against income under the head 'Income on Investments'.
- Investments under Non-SLR category are valued under 'mark to market' norms and the depreciation has been fully provided for.

Transfer Price Mechanism:

The Bank has adopted Dual transfer price mechanism under which interest rate on funds borrowed by HO from branches and funds borrowed by branches from HO were fixed as under: -

- ❖ Interest payable on funds borrowed by HO from branches – 6%
- ❖ Interest payable on funds borrowed by branches from Head Office – 7%

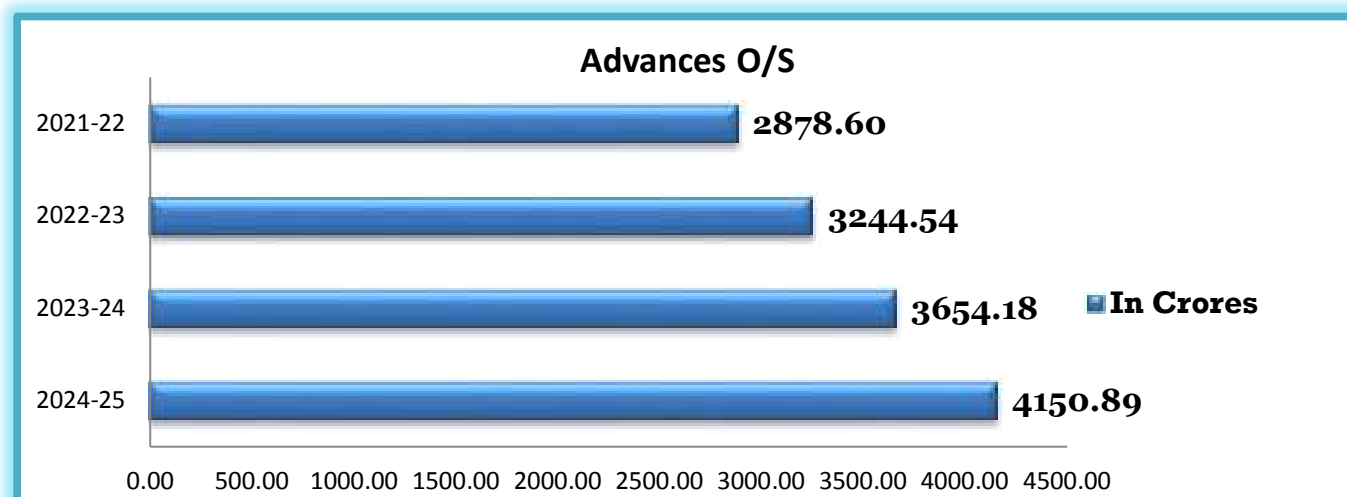
8. Financial Ratios: -

Sr. No.	Particulars	FY2024-25
1	Average Working Funds (in 000s)	69775349
2	Financial Return	8.36
3	Financial Cost	4.71
4	Financial Margin	3.65
5	Operating Cost	4.32
6	Miscellaneous Income	0.56
7	Operating Margin	-0.11
8	Risk Cost	0.14
9	Net Margin	-0.25

9. Credit Portfolio: -

Bank continued its prudent approach in expanding the asset quality and launched some fresh loan schemes & modified some existing schemes in order to accelerate the flow of credit. Further, interest rates on loans & advances were revised/ made competitive from time to time with an objective to beat tough competition in market. All out efforts have been made to boost the credit flow by deploying funds in diversified economical/ developmental activities. The sector-wise and activity-wise position of outstanding advances as on 31st March 2025 is detailed hereunder:

(Amount in 000's)			
Sr. No.	Particulars	No. of A/Cs	Amount
1	Crop Loan	117252	10185575
2	Term Loan for Agriculture & Allied Activities	9112	1234827
3	Rural Artisan/SSI/Village Industries	28753	5538974
4	Transport	4361	3071475
5	Trade and small business	23594	8861073
6	Housing Loan	4637	4305287
7	Others	24001	8311644
8	Total	211710	41508855



Advances Outstanding (Amt in Crs)

The Bank has also issued Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) during the FY 2024-25. The face value of PSLC sold during the FY 2024-25 was ₹ 494 crore and Bank has earned premium of ₹ 10.19 Crore on sale of PSLCs.

10. Loan Disbursement: -

Bank continued its emphasis on lending under the Priority Sector and has disbursed ₹ 1899.35 Crore under this sector, which constitutes 79.42% of total disbursement to the extent of ₹ 2391.48 Crore during the FY ended 31st March 2025. Bank has disbursed ₹ 739.26 Crore under the Agriculture Sector, which was 38.92% of its total disbursement made under the Priority Sector. The activity wise disbursements made during the FY 2024-25 are given here under : -

Amount in 000's)			
Sr. No.	Particulars	No. of A/Cs	Amount
1.	Crop Loan / KCC	85279	6818568
2.	Term Loan for Agriculture & Allied Activities	2531	574071
3.	Rural Artisan/SSI/Village Industries	15478	2664454
4.	Transport	1133	1275746
5.	Trade and Small Business	18952	6935092
6.	Housing Loan	1007	1079143
7.	Other Purpose	10145	4567772
	Total	134525	23914846

11. IRAC Norms:

The Bank has classified its assets as per directives of RBI. The detail of asset classification and provisioning as on 31.03.2025 is given as under: -

(Amount in 000's)			
Classification of assets	Amount of Assets	Provision as required by RBI	Provision made by Bank
a) Standard	39931860	120629	120670
b) Sub-Standard	288648	42142	42142
c) Doubtful	1119270	784614	864194
d) Loss Assets	169077	165563	165563
TOTAL	41508855	1112948	1192569

(Provision has been made on net advances i.e. less by subsidy)

12. NPA Management: -

- The Gross NPA of the bank stood at Rs 157.70 crores as on 31.03.2025 and Net NPA of the Bank stood at Rs 50.51 crores as on 31.03.2025.
- Gross NPA percentage to the total advances decreased to 3.80% as on 31.03.2025 from 4.07% as on 31.03.2024. While the Net NPA percentage to the Net Advances decreased to 1.25% from 1.28%.

(Amount in lakhs)		
Sr. No.	Particulars	2024-25
1.	NPA at the beginning of the FY	14870.39
2.	Addition during the FY	3688.17
3.	Recoveries during the FY	2320.96
4.	Less: Technical Write Off	467.65
5.	NPA's at the end of the FY (Gross)	15769.95
6.	Net NPA's (Net of provisions)	5050.97
7.	%age of Gross NPA's to Gross Advances	3.80%
8.	Net NPA's as % age of Net Advances	1.25%

Key tools used for NPA Management: -

- **Revision in existing NPA Recovery Policy-2022 Named as NPA Recovery Policy-2025**

NPA Recovery Policy is a multi-dimensional Recovery Policy which aims at providing information related to various tools & methods of recovery to all operative levels at one platform, to streamline the process of management and recovery of non-performing assets

(NPAs) and to launch proactive initiatives to prevent slippages in asset portfolio. However, with the passage of time and new emerging challenges, a need was felt to further intensify the scope of this policy and make it more comprehensive.

In this connection, Bank has revised / introduced below mentioned paras:

SARFAESI Action timelines and detailed SOP made a part of NPA Recovery Policy through Guidance Note which was otherwise issued as a separate circular

a) SOPs for non-traceable vehicles made a part of NPA Recovery Policy through Guidance Note which was otherwise issued as a separate circular

b) Delegation of Powers for Waiver / Remission / Write Off of Loans at Different Levels

▪ **Recovery Teams:**

Recovery team of Senior Officers, having expertise in NPA recoveries, has been constituted at HO as well as GMO(K) to monitor, follow up and provide necessary support to all operative levels for recovery & up-gradation of NPA accounts.

Recovery Teams at Regional Offices have also been strengthened by providing additional hands, recovery vehicle/s on need basis, etc., which are being utilized exclusively for NPA recoveries. Every possible support is being provided at ground level for reduction of NPAs and the progress of recovery is being reviewed by the Top Management on regular basis.

▪ **Recoveries under SARFAESI Act, 2002:**

Bank has also issued 483 notices to defaulting borrowers and their guarantors under the SARFAESI Act' 2002 and affected recovery of Rs 27.68 crore, which includes complete settlement of 222 accounts for an amount of Rs 21.30 crore till the end of F.Y 2024-25. During the F.Y. 2024-25 Bank has issued 34 notices to defaulting borrowers and their guarantors under the SARFAESI Act' 2002 and 42 accounts were closed thereby affecting a recovery of Rs. 4.86 Crore.

▪ **Seizure & Sale Policy of Moveable Assets (Vehicle):**

Board approved policy for seizure & sale of vehicle/s, hypothecated to the Bank, has been implemented. 284 vehicles have been seized resulting into total recovery of Rs 6.94 crore till the end of FY 2024-25. During the FY 2024-25 total 25 vehicles were seized & a total recovery of Rs. 85.69 Lakhs was made from seizure & sale of vehicles.

▪ **One Time Settlement (OTS):**

All operating levels have been delegated discretionary powers to settle chronic/hard-core NPA cases in most deserving cases under Negotiated Settlement (OTS) scheme. Bank has closed / settled 1548 cases involving a recovery of Rs 12.66 crore during the F.Y 2024-25.

▪ **SPECIAL ONE TIME SETTLEMENT SCHEME-2024**

TAGLINE: FREEDOM FROM DEBT, FREEDOM FROM STRESS

"JKGB Special One Time Settlement Scheme, 2024" was introduced by the Bank which has been approved by the Hon'ble Board of Directors of the Bank. For the very first time in the Bank principal waiver was being permitted in some categories of NPA accounts under Special

One Time Settlement Scheme 2024 with the aim to create an amicable and effective pathway for resolving, recovering and reducing chronic NPAs. During this scheme Bank has granted sanction of 2363 accounts involving amount of Rs 19.66 crore.

▪ **KARZ SAMADHAN CAMPAIGN:**

The objective behind launch of this short term campaign was to give boost to the on-going JKGB Special One Time Settlement Scheme. The campaign was of short term.

Targets: During the campaign branches were advised to upgrade / close / Sanction under OTS minimum 10% of the total NPA cases in their NPA portfolio based on the NPA figures as on 28.02.2025.

Result: The eligible branches has resulted into total reduction of 587 NPA accounts from period 04-03-2025 to 13-03-2025 (within 10 days).

▪ **OPERATION ZERO:**

In line with our commitment to maintaining a healthy asset portfolio and ensuring the financial stability of the Bank. It was decided to take one more proactive measure besides making efforts for recoveries in NPAs. Bank intended to increase the number of NPA free branches and decided to launch "**OPERATION ZERO**" wherein Bank has identified the potential Branches which are having NPAs upto 10 Lacs (28 branches) which would be made NPA free by end of 31.03.2025.

Z-Zero NPA

E-Engaging all staff

R-Effecting 100% Recovery

O-One Time Settlement

Accordingly Bank was able to make three more branches as NPA free i.e. Pallanwala, Solki & Jandrah.

▪ **OPERATION CLEAN SWEEP:**

IAPM launched Operation Clean Sweep-Vehicle Seizure Drive to efficiently seize and recover vehicles financed by bank that are NPA. During this operation total 69 vehicles were Seized, Closed, Upgrade or settled under OTS.

▪ **OPERATION RECOVERY STORM**

This campaign came with an objective to ensure all the Branches shall achieve the targets allotted under JKGB Special One Time Settlement Scheme.

Targets: During the campaign branches shall ensure that net NPA should be reduced on day to day basis with respect to NPA figures as on 15.03.2025

Result: Out of total 182 eligible branches 35 branches were qualified under this operation:

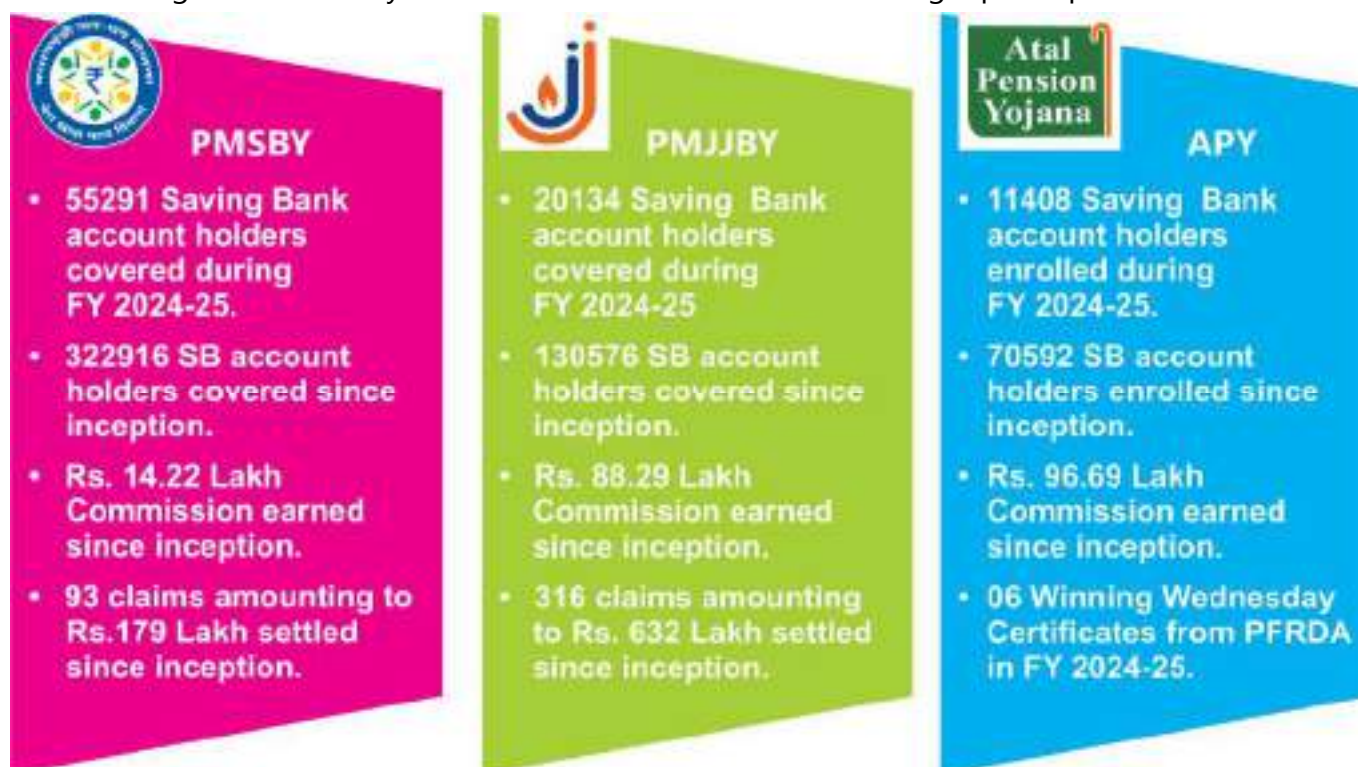
Total Eligible Branches	Qualified under Tier - I	Qualified under Tier – II	Qualified under Tier - III
182	12	15	8

13. Financial Inclusion and Insurance Business: -

For the objective of greater financial inclusion and imparting financial literacy among the rural masses, the bank has a robust network of total of **375 BCs as on 31-03-2025** across various villages allocated to our bank. Under financial inclusion, more than 3.00 Lakh PMJDY accounts have been opened by the bank. Bank has implemented Micro ATM Project w.e.f. 16.09.2020 and till date **96 Business Correspondents and 67 branches are giving the Micro ATM/AePS services to the public of their areas**, through which the bank has earned commission of Rs. 9.62 Lakhs in FY 2024-25. The Bank has **established 201 farmers' club** to provide a platform to the farmers to solve their problems themselves and adopt better farming practices through dissemination of new practices and improvement of existing practices. The Farmers' Club is managed by the farmers themselves with the help of NABARD and Bank's rural branches. **Under the able guidance of NABARD, Bank has been able to finance 1082 JLGs in the FY 2024-25**, thereby earning Rs. 33.22 Lakh as incentive from NABARD.

Financial literacy and Awareness Programmes (FLAPs)

During the FY 2024-25, our bank has conducted 3433 camps (i.e., 2004 Rural Monthly FLC Camps + 881 RBI Financial Literacy Week camps and 548 Special Camps (Going Digital). In these Camps, major focus was made on creating financial awareness among unbanked masses of remote areas. More than 82500 people participated in these Camps conducted during FY 2024-25. Pamphlets and other printed materials that contained details of Bank's schemes including Social Security Schemes were also distributed amongst participants.



Position of Social Security Schemes as on 31.03.2025



Position of PMJDY as on 31.03.2025

Total Commission/ incentive earned during FY 2024-25 through Social Security Schemes, JLGs and Micro ATMs: Rs. 66.39 Lakh.

Insurance Business

We cater insurance services through our insurance tie-ups with various insurers. The insurer-wise new premium business issued/booked and gross commission earned for the financial year 2024-25 is as mentioned below:

Sr. No.	Name of Insurer	Insurance type	Premium Issued (Amount in Rs. Lakhs)	Commission Earned (Amount in Rs. Lakhs)
1	Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd. (BAGICL)	Non-Life	1329.31	142.13
2	Care (erstwhile Religare) Health Insurance Ltd. (CHIL)	Health	461.79	41.88
3	Life insurance Corporation (LIC) of India	Life	951.30	47.31
4	Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd. (BALIC)*	Life	0.00	7.30
5	PNB Metlife India Insurance Company Ltd.*	Life	0.00	0.34

* Only renewal business is pursued with PNB Metlife Insurance Co. Ltd. as well as Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. Corporate Agency Agreements with these insurance companies have been terminated already.

Apart from above, insurance commission income of Rs. 43,593.45 (in actual figures) was also earned through LIC Micro-insurance business in FY 2024-25.

Awards/ Recognition/ Appreciation from PFRDA in FY 2024-25

During FY 2024-25, bank has received 06 Winning Wednesday Certificates at National Level launched by Pension Fund Regulatory and Development Authority.

14. Information Technology: -

During the current financial year, the Bank successfully migrated its CBS Platform from Finacle 7 to Finacle 10, effective 27th May 2024. This migration marks a critical step towards enhancing operational efficiency, security, and scalability. The upgraded platform is designed to meet the increased demands of real-time banking services while ensuring seamless operational continuity and enhanced data transfer capabilities.

Key IT initiatives for FY 24-25 include:

Loan Origination System (LOS)

The Bank has implemented an automated Loan Origination System to streamline and manage the loan application process. This system integrates with tools such as CRM and credit scoring agencies to improve efficiency and accuracy throughout the loan lifecycle. Additionally, it ensures faster decision-making by providing real-time data on loan applications, significantly reducing processing times and enhancing customer experience.

Mandate Management System (MMS)

The Mandate Management System has been successfully introduced to automate and manage the creation, amendment, and cancellation of mandates. This system has been effective in eliminating manual processes, reducing processing time, and minimizing human errors. It also plays a crucial role in recovery management, improving operational control and ensuring that all mandate-related operations are handled seamlessly across channels.

Jan Suraksha Portal

Bank went live with the Jan Suraksha Portal for the digitization of the PMSBY and PMJJBY schemes. The portal provides end-to-end digital enrolment and claim settlement, benefitting customers under the Government of India's social security initiatives. This portal has not only simplified the enrolment process for customers but also contributed to enhanced transparency and faster claims processing, ultimately improving the customer satisfaction index.

SMA Tracker

To bolster the monitoring of Special Mention Accounts (SMAs), the Bank has developed and implemented the SMA Tracker application. This tool enables the early identification of stressed borrower accounts, ensuring timely interventions and promoting a proactive approach to

asset quality management. By automating the tracking and analysis of SMAs, the Bank has strengthened its risk management framework and is better equipped to take early corrective actions.

Asset Liability Management (ALM)

The Bank has automated the ALM report, which is a crucial component for managing the balance between assets (loans, investments, etc.) and liabilities (deposits, borrowings, etc.). The ALM module aims to optimize profitability while ensuring the bank can meet its obligations, all while complying with regulatory requirements. This automation has significantly reduced manual intervention, improved accuracy in reporting, and provided real-time insights into the Bank's liquidity and risk position, further enhancing decision-making capabilities.

15. Digital Channels: -

Digital banking has significantly transformed the landscape of financial services. One of the most notable changes is the accessibility it offers, allowing customers to manage their finances anytime and anywhere without the need to visit a physical branch. This level of convenience has become a cornerstone of modern banking.

The speed of transactions has also improved drastically. Processes that once took days can now be completed almost instantly thanks to automation and digital tools. This not only benefits customers but also improves efficiency for banks.

Customer experience has been enhanced through personalized services. Digital banking has also played a key role in increasing financial inclusion. People in remote or underserved regions can now access banking services through mobile phones, making the financial system more inclusive and equitable.

Security has seen substantial improvements as well. With technologies like biometrics, two-factor authentication digital banking platforms are often more secure than traditional methods.

Innovation in financial products has accelerated. Lastly, digital banking supports sustainability by reducing the need for paper through e-statements contributing to an eco-friendlier approach to financial management.

J&K Grameen Bank has made the following progress during the FY 2024-25: -

1) Contactless Cards:

Bank has introduced "Contactless Debit cards", with the feature of tap and pay, thereby making payments more convenient with no physical connection. Customers can make small value payments, in fraction of seconds, just by tapping the card on the card reader (supporting contactless transactions), without entering the PIN.

2) Contact Centre with IVR facility:

Bank has introduced 24*7 user-friendly Interactive Voice Response (IVR) system, which will enable the customers to navigate through various services such as account inquiry, balance

check, transaction details, account statement, card-related support and other bank products, from registered mobile number linked with their bank account. Also 24*7 customer support service through agents have been introduced.

3) Introduction of Bank's own UPI QR Code:

Bank has introduced its own UPI QR (Quick Response) Codes, enabling the instant settlement of transactions. At present, the customers have been offered three modules to choose from- QR Handouts, QR code with sound box and QR code with standee.

4) Internet Banking:

Internet banking, with the view only facility has been launched for the customers. It will allow the users to view their account information and transaction history only.

5) Video Kyc Service:

Video KYC (VKYC) is a remote identity verification process that eliminates the need for customers to visit a branch physically while providing enhanced security, improved customer experience, and faster on boarding. As part of our updated service offerings, Vkyc services have been upgraded to enable CIF (Cust_id) creation service for all new customers. Once the CIF is generated, an email notification is sent to the respective branch with customer details and VKYC status, ensuring smooth processing.

6) Introduction of Account Statement Download/Email option through the M-Bank Application:

An additional feature has been introduced in M-bank, which will facilitate the customers to download/email account statement for desired time through the M-Bank mobile application.

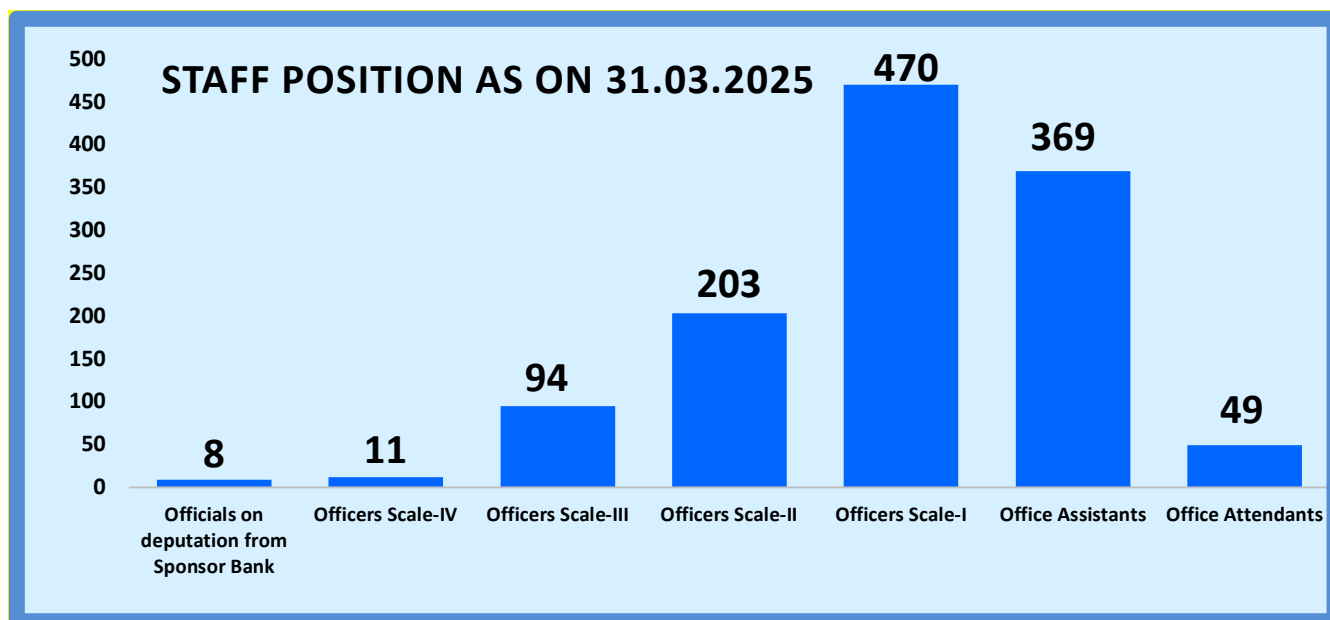
Projects under implementation are as below: -

- Enabling transactions on Internet Banking platform.
- UDIR (Online Dispute Resolution Module) on IMPS and ATM.
- Beneficiary name validation through M-bank application, to counter probability of remitting amount to wrong beneficiary.
- Online Aadhaar delinking/linking with account number
- Bill Collection Module for Educational Institutions

Besides aforementioned, we are navigating through the other digital opportunities that lie ahead.

16. Human Resource Development:-

Sr. No.	Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
a)	Staff Strength of JKGB	1149	1217	1196
b)	On deputation from Sponsor Bank	12	9	8
c)	Total Staff Strength	1161	1226	1204
	of which Officers (JKGB)	725	768	778



New Initiatives

1. Revised pay scales in line with 12th Bipartite Settlement / 9th Joint Note applicable w.e.f. 01.11.2022 were implemented in the Bank along with payment of arrears.
2. Complying with directions of Hon'ble Supreme Court / DFS, the benefit of pension and computer increment was passed w.e.f 01.11.1993.
3. Performance Linked Incentive for FY 2023-24 was paid to eligible staff members.
4. Bank has issued Appointment Orders in favour of dependent family members of 2 (two) deceased officials who were eligible under Scheme for appointment on compassionate grounds in J&K Grameen Bank, thereby ensuring financial support for the family members of deceased officials.
5. To ensure that the employees and their dependents can access necessary medical treatments without any financial strain thereby promoting the well-being and productivity of the employees, a total of 124 medical claims amounting to Rs. 83.00 Lacs were settled under Medical Reimbursement Scheme for active employees of the bank.
6. To keep the employees well acquainted with the latest banking reforms, guidelines and enhance the knowledge for organizational success, a total of 1108 officials were involved in trainings. HRD Department has also ensured that all concerned staff members are trained well in time to work on FINACLE 10 core banking solution which went live during 1st quarter of FY 2024-25.

17. Audit, Inspection & Vigilance: -

The working of Audits, Inspection and Vigilance is reviewed by Audit committee of Board (ACB) from time to time. During the FY 2024-25, Audit committee of board meetings were conducted on 01.05.2024, 22.07.2024, 17.10.2024, 15.01.2025.

During the financial year 2024-25 Bank's Audit, inspection and Vigilance Department conducted internal inspection of 137 Branches. The concurrent Audit of 215 Branches as per NABARD guidelines was conducted by 90 External Auditors/Retired Bank Officers during the FY 2024-25. The department has conducted IS Audit of 195 Branches which includes 148 offsite IS Audit of the branches and 47 onsite IS Audit of the Branches.

New initiative:

Our department has developed an innovative in-house platform for conducting PAPER-LESS Internal inspections which shall improve the record keeping/compliance process through digital means. This initiative aims to improve operational efficiency, promote sustainability, and facilitate effective follow-up actions on identified irregularities through automated reminders through e-mails to the Branches.

Moreover, this shall save paper and space used for physical record keeping.

The platform shall provide intuitive tools for data analysis and reporting, allowing for comprehensive insights into inspection findings and trends over time.

By digitizing the Internal Inspection process, we significantly reduce our reliance on paper, contributing to our commitment towards the environmental sustainability.

18. Various initiatives were undertaken under Special Campaign 4.O of GOI w.e.f 02.10.2024 to 31.10.2024:

- a) Cleanliness drive was conducted at 123 sites including sites of historical importance viz. Chingus Fort, Rajouri, 128-year-old Iron bridge, Kupwara- Railway Station, Sopore, Shri Narsingh Dev Ji temple, Jammu, Umar Masjid, Baramula, Satsang Ghar, Baspur, Jammu, Pandav Caves, Akhnoor, Government Middle school, District Poonch, Martyrs of Pargwal covering various districts of UT of J & K and UT of Ladakh.
- b) A total of 24 financial literacy awareness camps were organized across the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.
- c) Various activities such as construction of ramps, providing magnifying glass at branches, special counter was initiated for differently-abled and senior-citizen for assisting them in availing Banking services.
- d) 6712 inactive/unclaimed accounts were made operational and 2549 nominations in Bank accounts and 308 nominations in safe deposit lockers were registered during the campaign w.e.f 02.10.2024 to 31.10.2024.
- e) During the special Campaign 81 lockers agreement have been renewed.
- f) Pension Grievance week was observed w.e.f 21.10.2024 to 26.10.2024. During the said week 510 pensioners were contacted through wide publicity and 02 grievances were received and both the grievances were resolved during the said period.
- g) 20 plantation drives were organized by the bank in J&K, including Government Higher Secondary school Channi Himmat, Government school Kathua, Government school Rajouri, Satsang Ghar Baspur, Naseem Bagh Srinagar, Wagoora Masjid Srinagar.

- h) A drive for Disposal of scrap was organized and a revenue of Rs. 55,000/- was earned through disposal of scrap at various Branches & Offices. 20 Branches/Offices sites were cleaned and beautified, thereby freeing up a total of 2,210 sq. ft. of space.

19. Management / Board of Directors: -

During the financial year 2024-25, 8 Board Meetings and 4 meeting of ACB were conducted.

20. Names of the Directors on Board at present.

1. Mr. Sanjay Gupta, Chairman
2. Mr. Neeraj Kumar, Director (RBI)
3. Mr. Sunit Kumar, Director (Sponsor Bank - J&K Bank)
4. Mr. Syed Rais Maqbool, Director (Sponsor Bank - J&K Bank)
5. Ms. Urmil Lata, Director (NABARD)
6. Ms. Nitu Gupta, Director (UT of J&K Govt)
7. Mr. Nisar Ahmed Koul, Director (UT of J&K Govt)

21. Acknowledgements: -

I would like to take this opportunity to thank all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs during the course of journey throughout the year.

I would also like to extend my sincere gratitude to Govt. of India, J&K UT Govt, RBI, NABARD, J&K Bank (Sponsor Bank) and Statutory Auditors of the bank for their continued support and trust in us. I would also like to acknowledge the unstinted support and patronage received from our loyal customers in the growth story of the Bank. I appreciate our dedicated and devoted work force for their untiring efforts and outstanding performance in challenging times. It's possible just because of the hard work of frontline soldiers working in Branches and the trust of more than 16 lacs satisfied customers and well-wishers of the bank spread across UT of J&K and UT of Ladakh.

Our journey towards progress and growth is a collective effort, and we remain committed to serving our customers' financial needs while contributing to the overall economic development of the nation.

At J&K Grameen Bank, we look forward to your continued patronage, support and goodwill as we march ahead in our quest for excellence.

For and on behalf of Board of Directors
J&K Grameen Bank
Sanjay Gupta
Chairman

Dharam Raj & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(A Peer Reviewed Firm)

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of
J&K Grameen Bank
Jammu.

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of **J&K Grameen Bank ('the Bank')** which comprise the Balance Sheet as at March 31 2025, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements Including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of **27 Branches** audited by us, **189 Branches** Audited by Statutory Branch auditors located in the UT of Jammu & Kashmir and Ladakh. The Branches audited by us and those audited by the other Auditors have been selected by the bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the National Bank of Agriculture and Rural Development ('NABARD').

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, these financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, in the manner so required for bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and

- (a) The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2025.
- (b) The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of the profit; and
- (c) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) and Applicable law. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under Applicable law, and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of Material uncertainty related to going concern for the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Material uncertainty related to Going Concern

The Bank has incurred a loss of Rs. 12.75 Crores during the financial year 2024-25 and total accumulated losses of the Bank stands at Rs. 225.49 crores as on 31st March 2025. As at 31st March 2024, CRAR of the Bank was 11.21% which has been deteriorated to 9.45% at the end of the current financial year 2024-25 and no additional capital has been received from the stakeholders. The CRAR stood at 9.45% as against the minimum stipulated regulatory requirement of 9%.

In the opinion of the Bank, based on operational capabilities of the Bank and growth trend the Bank will be able to realize its assets (including its deferred tax asset) and discharge its liabilities in its normal course of business and hence the financial results have been prepared on a going concern basis. The said assumption of going concern is inter-alia dependent on the Bank's ability to achieve improvements in liquidity, asset quality and solvency ratios and thus a material uncertainty exists that may cast a significant doubt on the Bank ability to continue as a going concern. However, as stated above, as per management there are mitigating factors to such uncertainties.

Our conclusion on the Financial Results is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principle generally accepted in India, including

the Accounting Standards, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India) and 'NABARD' from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also :-

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. We are also responsible for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls system in Place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the financial statements/information of 189 branches included in the financial statements of the Bank whose financial statements reflect Gross Advances of Rs. 3233.03 crore and deposits of Rs. 5041.30 crore as at 31st March 2025 considered in the financial statements. The financial statements of 189 branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us also incorporated in Financial Statement as on date, which counts 80.03% (Rs. 3233.03 Cr) advances and 77.05% (Rs. 5041.30 cr) deposit of the Bank. In our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of 189 branches is based solely on the report of such branch auditors is based solely on the returns provided by the branch.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

Subject to the limitations of the audit indicated above and also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit and have found them to be satisfactory.
- (b) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- (c) There returns received from the offices and branches have been found adequate for the purposes of our audit.

We further report that:

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- b) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the 27 branches audited by us, 189 branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For DHARAM RAJ & CO.
Chartered Accountants
(Firm Regn No.: 014461N)

(CA Sunil Chowdary)
Partner

Date : 29.04.2025

Place : Jammu

M. No.: 508018

UDIN No.: 25508018BMJQ0B9290

FINANCIAL RESULTS AS AT 31st MARCH 2025

(Amount in Crore)

FINANCIAL RESULTS AS AT 31st MARCH 2025		QUARTER ENDED			YEAR ENDED	
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
S.N.	Particulars	(Audited)	(Reviewed)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Interest Earned (a+b+c+d)	147.60	149.64	133.57	583.23	512.20
	a) Interest/Discount on Advances/Bills	94.39	95.26	86.06	369.38	332.40
	b) Income on Investments	20.09	20.11	20.31	80.85	80.59
	c) Interest on Balance with R.B.I. & Other Inter Bank Funds	33.12	34.27	27.19	133.00	99.22
	d) Others	-	-	-	-	-
2	Other Income	11.22	7.53	7.43	38.88	34.89
3	Total Income (1 + 2)	158.82	157.17	141.00	622.11	547.09
4	Interest Expended	84.35	84.09	73.78	328.41	274.45
5	Operating Expenses (I+II)	83.58	89.38	78.31	301.48	238.48
	I. Employees Cost	66.84	75.73	52.52	241.63	170.51
	II. Other Operating Expenses	16.74	136.65	25.79	59.85	67.97
6	Total Expenditure (4+5) (Excluding Provisions & Contingencies)	167.94	173.47	152.09	629.89	512.93
7	Operating Profit before Provisions and Contingencies (3-6)	-9.12	-16.30	-11.10	-7.78	34.15
8	Provisions (other than tax) and Contingencies	-5.42	-0.34	-4.14	9.96	-16.80
9	Exceptional Items	-	-	-	-	-
10	Profit (+)/loss (-) from ordinary activities before tax (7-8-9)	-14.54	-16.64	-15.24	-17.74	17.35
11	Tax Expenses including DTA	5.91	7.16	(2.95)	4.99	(13.59)
12	Net Profit (+)/Loss (-) from ordinary activities after tax (10-11)	-8.63	-9.48	-18.19	-12.75	3.76

13	Extraordinary items (net of tax expenses)	-	-	-		-
14	Net Profit (+)/Loss (-) for the period (12-13)	-8.63	-9.48	-18.19	-12.75	3.76
15	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- per share)	589.44	589.44	589.44	589.44	589.44
17	Reserves excluding Revaluation Reserves	-145.57	-136.94	-132.82	-145.57	-132.82
18	Revaluation Reserves	-	-	-	-	-
19	Analytical Ratios					
(i)	Percentage of share held by Government of India	50%	50%	50%	50%	50%
(ii)	- Capital Adequacy Ratio %					
	- Total Capital Ratio (CRAR) %	9.45%	10.41%	11.21%	9.45%	11.21%
(iii)	-NPA Ratio's					
	a) Amount of Gross NPAs	157.70	163.03	148.70	157.70	148.70
	b) Amount of Net NPAs	50.51	55.89	45.45	50.51	45.45
	c) % of Gross NPAs to Gross Advances	3.80%	4.15%	4.07%	3.80%	4.07%
	d) % of Net NPAs to Net Advances	1.25%	1.46%	1.28%	1.25%	1.28%

Sanjay Gupta
Chairman

Neeraj Kumar Director **Sunit Kumar** Director **Syed Rais Maqbool** Director **Urmil Lata** Director **Nitu Gupta** Director **Nisar Ahmed Koul** Director

In terms of our report of even date annexed
For Dharam Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)
Partner
MRN : 508018

Place : Jammu
Date : 29.04.2025

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2025

(Rs.'000' Omitted)

	Sch.	31.03.2025	31.03.2024
CAPITAL AND LIABILITIES		(Audited)	(Audited)
Capital	1	5,894,425	5,894,425
Reserves and Surplus	2	(1,455,703)	(1,328,192)
Deposits	3	62,993,603	57,101,504
Borrowings	4	7,184,480	6,086,013
Other Liabilities and Provisions	5	943,269	981,345
TOTAL		75,560,074	68,735,095
ASSETS			
Cash and Balance with Reserve Bank of India	6	2,521,108	2,597,152
Balance with Banks & Money at Call & Short Notice	7	18,846,556	17,403,550
Investments	8	11,221,698	11,237,811
Advances	9	40,436,957	35,509,319
Fixed Assets	10	137,774	182,054
Other Assets	11	2,395,981	1,805,210
TOTAL		75,560,074	68,735,095
Contingent Liabilities	12	256,004	181,404
Bills for Collection		-	-

Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

Sanjay Gupta
Chairman

Neeraj Kumar	Sunit Kumar	Syed Rais Maqbool	Urmil Lata	Nitu Gupta	Nisar Ahmed Koul
Director	Director	Director	Director	Director	Director

In terms of our report of even date annexed
For Dharam Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)
Partner
MRN : 508018

Place : Jammu
Date : 29.04.2025

PROFIT AND LOSS ACCOUNT AS AT 31st MARCH 2025

		(Rs.'000' Omitted)	
	Sch.	31.03.2025	31.03.2024
I. INCOME		(Audited)	(Audited)
Interest Earned	13	5,832,342	5,122,030
Other Income	14	388,799	348,868
TOTAL		6,221,141	5,470,898
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	3,284,124	2,744,542
Operating Expenses	16	3,014,866	2,384,807
Provisions and Contingencies		99,593	168,041
TOTAL		6,398,583	5,297,390
III. NET PROFIT / (LOSS) BEFORE TAXES		(177,442)	173,508
<u>Tax Expenses</u>			
- Provision for Income Tax		-	-
- Provision for Deferred Tax		49,931	(135,902)
- Prior Period Income Tax Adjustment		-	-
IV. PROFIT/(LOSS) AVAILABLE FOR APPROPRIATIONS		(127,511)	37,606
V. APPROPRIATIONS/TRANSFERED TO:			
i) Statutory Reserve		-	-
ii) Capital Reserve		-	-
iii) Revenue and Other Reserves		(127,511)	37,606
TOTAL		(127,511)	37,606

Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

Sanjay Gupta
Chairman

Neeraj Kumar	Sunit Kumar	Syed Rais Maqbool	Urmil Lata	Nitu Gupta	Nisar Ahmed Koul
Director	Director	Director	Director	Director	Director

In terms of our report of even date annexed
For Dharam Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)

Place : Jammu
Date : 29.04.2025

Partner
MRN : 508018

SCHEDULE-1 CAPITAL

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
AUTHORISED CAPITAL		
2,00,00,00,000 (P.Y. 2,00,00,00,000)		
Equity Shares of Rs. 10/- each	20,000,000	20,000,000
ISSUED SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL		
58,94,42,464 (P.Y. 58,94,42,464)		
Equity Shares of Rs. 10/- each	5,894,425	5,894,425
TOTAL	5,894,425	5,894,425

SCHEDULE-2 RESERVES & SURPLUS

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
I. STATUTORY RESERVES		
Opening Balance	184,304	184,304
Additions during the period	-	-
TOTAL	184,304	184,304
II. CAPITAL RESERVES		
Opening Balance	33,288	33,288
Additions during the period	-	-
TOTAL	33,288	33,288
III. SHARE PREMIUM		
Opening Balance	-	-
Additions during the period	-	-
TOTAL	-	-
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
Opening Balance	(1,545,784)	(1,583,390)
Additions/(Deductions) during the period	(127,511)	37,606
Draw Down	-	-
TOTAL	(1,673,295)	(1,545,784)
TOTAL (I+ II+ III & IV)	(1,455,703)	(1,328,192)

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
A I. Demand Deposits		
i) From Banks	-	-
ii) From Others	2,545,964	1,773,495
TOTAL (i & ii)	2,545,964	1,773,495
II. Saving Bank Deposits	25,678,428	23,770,926
III. Term Deposits		
i) From Banks	-	-
ii) From Others	34,769,211	31,557,084
TOTAL (i & ii)	34,769,211	31,557,084
TOTAL A (I+II+III)	62,993,603	57,101,504
B. I. Deposits of branches in India	62,993,603	57,101,504
II. Deposits of branches outside India	-	-
TOTAL B (I+II)	62,993,603	57,101,504

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
I. Borrowings in India		
i) Reserve Bank of India	-	-
ii) Other Banks (Sponsoring Bank)	116,677	116,677
iii) Other Institutions & Agencies	7,067,803	5,969,336
TOTAL (i to iii)	7,184,480	6,086,013
II. Borrowings outside India	-	-
GRAND TOTAL (I & II)	7,184,480	6,086,013
Secured borrowings included in I & II above	Nil	Nil

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
i) Bills Payable	61,851	69,383
ii) Inter Office Adjustments (Net)	14,429	18,600

iii) Interest Accrued	88,407	71,338
iv) Deferred Tax Liability	-	-
v) Provision Against Standard Assets	120,670	107,235
vi) Provision for Special Resolution Framework	11,160	11,160
vii) Others (Including Other Provisions)	646,752	703,628
TOTAL (i to vii)	943,269	981,345

SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK

(Rs.'000' Omitted)

I. Cash in Hand (Including Foreign Currency Notes)	79,915	65,964
II. Balance with Reserve Bank of India		
i) In Current Account	2,441,193	2,531,188
ii) In Other Accounts	-	-
TOTAL (I & II)	2,521,108	2,597,152

SCHEDULE 7 - BALANCE WITH BANKS AND MONEY AT CALL

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
I. In India		
i) Balance with Banks		
a) In Current Accounts	93,042	84,107
b) In Other Deposit Accounts	18,753,514	17,319,443
TOTAL (i)	18,846,556	17,403,550
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With Banks	-	-
b) With Other Institutions	-	-
TOTAL (ii)	-	-
TOTAL (i & ii)	18,846,556	17,403,550
II. Outside India		
i) In Current Accounts	-	-
ii) In Other Deposit Accounts	-	-
iii) Money at Call & Short Notice	-	-
TOTAL II of (i ii & iii)	-	-
GRAND TOTAL (I & II)	18,846,556	17,403,550

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
I. Investments in India Gross	11,221,698	11,237,811
Less: Provision for Depreciation	-	-
Less: Provision for Investment (NPI)	-	-
Net Investments	11,221,698	11,237,811
i) Government Securities	11,221,698	11,187,811
ii) Other Approved Securities	-	-
iii) Shares (Pref. + Equity)	-	-
iv) Debentures and Bonds	-	50,000
v) Sponsored Institutions	-	-
vi) Others	-	-
TOTAL (I)	11,221,698	11,237,811
II. Investments Outside India		
i) Government Securities	Nil	Nil
ii) Subsidiaries and/or Joint Ventures abroad	Nil	Nil
iii) Others (Swap)	Nil	Nil
TOTAL (II)	-	-
TOTAL (I & II)	11,221,698	11,237,811

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
A i) Bills Purchased and Discounted	-	-
ii) Cash Credits Overdrafts and Loans Repayable on Demand	22,236,653	18,582,883
iii) Term Loans	18,200,304	16,926,436
iv) Amount Receivable from GOI under ADWDRS 2008	-	-
TOTAL (i to iv)	40,436,957	35,509,319
B i) Secured by Tangible Assets	40,228,731	35,299,465
ii) Covered by Bank/Govt. Guarantees	140,119	124,194
iii) Unsecured	68,107	85,660
TOTAL (i to iii)	40,436,957	35,509,319

C	I. Advances in India		
	i) Priority Sector	30,846,650	27,538,832
	ii) Public Sector	-	-
	iii) Banks	-	-
	iv) Non Priority Sector (Others)	9,590,307	7,970,487
	TOTAL (i to iv)	40,436,957	35,509,319
	II. Advances Outside India		
	i) Due from Banks	-	-
	ii) Due from Others	-	-
	TOTAL (i to ii)	-	-
	GRAND TOTAL (I & II)	40,436,957	35,509,319

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
(Rs.'000' Omitted)		
	31.03.2025	31.03.2024
I. Premises		
a) Land (Leasehold)		
At cost as on 31st march of the proceeding year	1385	1,385
Additions during the period	-	-
	1,385	1,385
Deductions during the period	-	-
Total	1,385	1,385
Depreciation to date	(1,140)	(1,073)
Total (a)	245	312
b) Building		
At cost as on 31st march of the proceeding year	18,667	18,667
Additions during the period	16	-
	-	18,667
Deductions during the period	-	-
Total	18,683	18,667
Depreciation to date	(15,556)	(15,209)
Total (b)	3,127	3,458
c) Constructions work in progress	-	-
TOTAL (I) [a+b+c]	3,372	3,770

II. Other Fixed Assets		
(Including Furniture & Fixtures)		
At cost as on 31st march of the proceeding year	696,322	591,637
Additions during the period	42,731	115,804
	739,053	707,441
Deductions during the period	(27,392)	(11,119)
	711,661	696,322
Depreciation to date	(577,259)	(518,038)
TOTAL (II)	134,402	178,284
GRAND TOTAL (I & II)	137,774	182,054

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
I. Interest Accrued	929,106	570,358
II. Tax paid in Advance/TDS (Net of Provisions)	1,630	5,849
III. Stationery and Stamps	8,300	7,709
IV. Deferred Tax Asset	883,102	833,171
V. Others	573,843	388,123
TOTAL (I to V)	2,395,981	1,805,210

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	2,600	2,600
II. Liability for partly paid investments	-	-
III. Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	-	-
IV. Guarantees given on behalf of constituents:-		
a) In India	57,212	44,315
b) Outside India	-	-
V. Acceptances Endorsements & Other Obligations	-	-
VI. Other items for which the Bank is Contingently liable	-	-
I. Liability on a/c of Depositors Education Awareness Fund (DEAF)	196,192	134,489
TOTAL (I to VII)	256,004	181,404

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(Rs.'000' Omitted)		
	31.03.2025	31.03.2024
I. Interest/Discount on Advances/Bills	3,693,771	3,323,951
II. Income on Investments	808,522	805,871
III. Interest on Balances with R.B.I and other Inter Bank Funds	1,330,049	992,208
IV. Others	-	-
TOTAL (I to IV)	5,832,342	5,122,030

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(Rs.'000' Omitted)		
	31.03.2025	31.03.2024
I. Commission Exchange & Brokerage	41,386	46,278
II. Profit /(Loss) on Sale/Redemption of Investments	-	19,784
Profit on Sale/Redemption of Investments	-	-
Less: Loss on sale/redemption of investments	-	-
III. Profit /(Loss) on revaluation of Investments	-	-
Profit on revaluation of Investments	-	-
Less: loss on revaluation of investments	-	-
IV. Profit/(Loss) on Sale of Land Buildings & Other Assets	-	-
Profit on Sale of Land Buildings & Other Assets	-	-
Less: Loss on Sale of Land Buildings & Other Assets	-	-
V. Profit /(Loss) on PSLC Trading	101,860	84,050
Profit on PSLC Trading	-	-
Less: Loss on PSLC Trading	-	-
VI. Income earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries Companies and/or Joint Venture abroad/ in India	-	-
VII. Miscellaneous Income	245,553	198,756
TOTAL (I to VII)	388,799	348,868

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
I. Interest on Deposits	2,927,987	2,577,368
II. Interest on RBI/Inter-Bank Borrowings	-	-
III. Interest Others	356,137	167,174
TOTAL (I to III)	3,284,124	2,744,542

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2025	31.03.2024
I. Payments to and provisions for Employees	2,416,314	1,705,119
II. Rent Taxes and Lighting	49,098	45,356
III. Printing and Stationery	9,822	9,848
IV. Advertisement and Publicity	1,438	1,352
V. Depreciation on Bank's Property	59,635	61,331
VI. Directors Fees Allowances and Expenses	-	-
VII. Auditors Fees & Expenses (Including Branch Auditor's Fee & Expenses)	23,372	14,903
VIII. Law Charges	2,609	3,212
IX. Postage Telegrams Telephones etc.	932	757
X. Repairs and Maintenance	3,245	5,086
XI. Insurance	78,385	72,027
XII. Other Expenditure	370,016	465,816
TOTAL (I to XII)	3,014,866	2,384,807
DETAILS OF PROVISIONS & CONTINGENCIES		
I. Provision for Non-Performing Assets	86,158	162,881
II. Provision for Standard Assets	13,435	5,160
TOTAL (I to IV)	99,593	168,041

SCHEDULE-17

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2025 **SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

A. GENERAL OVERVIEW

J&K Grameen Bank is established through a process of amalgamation of two Regional Rural Banks viz. Jammu Rural Bank & Kamraz Rural Bank in terms of Government of India Notification dated 30.06.2009 as a Joint Venture of Government of India, Government of Jammu & Kashmir and the J&K Bank Limited (Sponsor Bank) with its Head Office at Jammu. The bank has Authorized Capital of Rs.2000 crores (200 crores shares of Rs.10 each) and Paid up Share Capital of the bank is Rs.589,44,24,640/- (58,94,42,464 shares of Rs.10 each). The breakup of Capital Structure is as under:

Sr. No.	Shareholder	Total (Rs. Crore)
1.	Central Government	294.72
2.	Government of UT of J&K	88.42
3.	J&K Bank Ltd- Sponsor Bank	206.30
	Total	589.44

The Bank has 216 numbers of branches which includes 212 branches in UT of Jammu & Kashmir and 4 in UT of Ladakh and is engaged in providing rural finance, with its area of operation in the Districts of Baramulla, Bandipora, Kupwara, Ganderbal, Srinagar, Jammu, Kathua, Samba, Rajouri, Poonch, Kishtwar, Leh & Kargil.

B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting:

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost basis and they conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, guidelines of regulatory authorities, Reserve Bank of India (RBI), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Accounting Standards, Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India.

2. Investments:

- (i) In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, Investments are classified into three categories i.e, (a) "Held to Maturity" (b) "Available for Sale" and (c) "Held for Trading", with sub-classifications viz (i) Government Securities (ii) Other Approved securities (iii) Shares (iv) Debentures & Bonds (v) Others.
- ii) "Held-to Maturity" category comprises securities acquired by the Bank with the intention to hold them up to maturity. "Held-for-Trading" category comprises securities acquired by the Bank with the intention of trading. "Available-for-Sale" securities are those, which do not qualify for being classified in either of the above categories.
- iii) Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly.

- iv) Investments classified as "Held-to-Maturity" (HTM) category are not marked to market and carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.
- v) The individual scrip's in the "Available-for-Sale "and "Held for Trading" category is marked to market at quarterly intervals. The net depreciation under each classification under which investments are presented in the balance sheet is fully provided for, whereas the net appreciation under any of the aforesaid classifications is ignored.
- vi) The market value for the purpose of periodic valuation of investments included in "Available for Sale" and "Held for Trading" Categories is based on the market price available from trades/ quotes on stock exchanges. Central/ State Government Securities, Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the prices/ YTM rates declared by FIMMDA/ Financial Benchmark India Private Limited.
- vii) Income on Investment is accounted for on accrual basis. Interest is serviced regularly and is not in arrears.
- viii) Broken period interest is treated as an item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of investments in Government and other approved Securities.
- ix) Profit or Loss on sale of Investment in any category is taken to the profit and loss account. In case of Profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount of profit net of taxes is appropriated to the Capital Reserve Account.
- x) Zero coupon bonds are shown at acquisition cost. Income is accrued on such bonds with reference to the gross yield (before tax) over the period of holding by the Bank.

3. Advances & Provisioning:

- 3.1 Advances are classified under four categories i.e, Standard Assets, Sub-Standard Assets, Doubtful assets and Loss assets and provision thereof have been made as per the Income Recognition and Classification norms formulated by the Reserve Bank of India for Commercial Banks.
- 3.2 All the categories of advances except Standard Assets are shown net of provision and unrealized interest. Standard Assets are shown at their gross value and provision thereon is shown under the Schedule "Other Liabilities and Provisions ".
- 3.3 Restructuring of Advances and provisioning thereof have been made as per RBI/ NABARD guidelines.

4. Fixed Assets and depreciation:

- 4.1 Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is ready for use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/ functioning capability from/ of such assets.
- 4.2.1 Depreciation on fixed assets (except computers and Mobile Phones) is charged on written down value method at the rates prescribed in the Income Tax Rules, 1962 given below:

Sr. No.	Heads of Assets	Dep. Rate
A.	Furniture & Fixtures (including Electric Fittings)	10%
B.	Vehicles	15%
C.	Plant & Machinery	15%
D.	Office Premises (Building)	10%

4.2.2 In respect of assets acquired during the year, depreciation is charged for half year in respect of assets used for 182 days or less and for the full year in respect of assets used for more than 182 days except item no. 4.3 below.

4.3 In terms of RBI guidelines, depreciation on computers along with software forming an integral part of hardware is charged @33.33% on straight-line method for the full year irrespective of the date of addition.

4.4 Depreciation on Mobile Phones is charged @50% on straight-line method for the full year.

4.5 No depreciation has been provided on assets sold/ discarded during the year.

4.6 Premium paid for lease hold properties is amortized over the period of lease.

5. Employee Benefits:

5.1 Short Term Employee Benefits

Amount of short-term employee benefits, such as casual leave and medical benefits, expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

5.2 Post-Employment Benefits

i. Defined Contribution

The bank has no liability for future National Pension Scheme (NPS) (previously Provident Fund) benefits other than its annual contribution and recognizes such contributions as expense in the year to which they relate. The bank contributes an amount, on monthly basis, at a predetermined rate i.e., 10% of Pay in case of serving employees who have opted to Pension Fund and at prescribed rate of 10% of Pay plus DA in case of serving employees who have opted to National Pension System (NPS). Further, Bank has provisioned an amount of Rs. 11.56 crores for revision in employers' contribution towards NPS from 10% to 14% of Pay and Dearness Allowance, effective from 11.11.2020.

ii. Defined Benefit Plan

(a) The Bank operates Gratuity and Leave Encashment Schemes, which are defined benefit plans.

(b) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit in the form of lump sum payments to vested employees, on death while in employment or on termination of employment. In terms of Regulation No. 72 of the Service

Regulations, every officer or employee shall be eligible for gratuity as per provisions of payment of Gratuity Act' 1972 or as per Sub- Regulation 2 of Regulation No. 72 of J&K Grameen Bank (Officers & Employees) Staff Service Regulations 2010 **whichever is higher**. Sub-Regulation 2 stipulates that every officer or employee shall be eligible for gratuity on the following occasions: -

- i) Retirement;
- ii) Death;
- iii) Disablement rendering him unfit for further service as certified by Medical Officer approved by the Bank,
- iv) Resignation after completion of 10 years of continuous service,
- v) Termination of in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

Provided that in respect of an employee there shall be no forfeiture of gratuity for dismissal on account of misconduct except in cases where such misconduct causes financial loss to the bank and in that case to that extent only. The amount of gratuity payable to an officer or employee shall be one month's pay for every completed year of service or part thereof in excess of six months' subject to a maximum of 15 month's pay. Provided that where an officer or employee has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years. Provided further that in respect of an officer the gratuity is payable based on the last pay drawn.

Provided also that in respect of an employee pay for the purposes of calculation of the gratuity shall be the average of the basic pay (100%), dearness allowance and special allowance and officiating allowance payable during the 12 months preceding death, disability, retirement, resignation or termination of service, as the case may be.

Gratuity is payable to an employee on the termination of his employment after he/she has rendered continuous service for a period of not less than 5 years (on retirement, resignation, except death and disablement) as per Gratuity Act, 1972. To be eligible under JKGB (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 the minimum required service is 10 years. The Bank makes annual contribution to the Fund administered by the LIC of India based on independent actuarial valuation carried out annually. The maximum amount payable as per the Gratuity Act is Rs. 20.00 Lakhs w.e.f 29.03.2018. As per the JKGB (payment of gratuity) rules, it can go beyond Rs.20.00 lakhs. The higher amount will be paid to the officers/employees.

- (c) All eligible employees of the Bank are entitled to Encash earned leave on retirement, on death or on termination of employment, subject to a maximum amount of accumulated leaves of 240 days.

- (d) The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.
- (e) The bank has exercised the option of recognizing the transitional liability on adoption of AS-15 Revised (2005) for its defined benefit schemes against revenue.

6. Provision for Taxation:

- (a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax. Current year taxes are determined in accordance with the prevailing laws and AS-22. Deferred tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.
- (b) Deferred tax assets and liabilities are recognized on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax basis and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or subsequently enacted prior to the balance sheet date. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account.
- (c) Deferred tax assets are recognized and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realization is considered certain. Deferred tax assets are recognized as to whether realization is considered certain. Deferred tax assets are recognized on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realized against future profit.

7. Revenue Recognition

7.1 Income & Expenditure booking:

Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated:

- a. Interest and other income on advances/ investments classified as Non-Performing Advances/ Investments are recognized to the extent realized in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.
- b. Fee, commission (other than insurance commission), exchange locker rent, and insurance claims are recognized on realization basis.
- c. Interest on Overdue Bills on realization basis, as per Reserve Bank of India guidelines.
- d. The recovery in Non-Performing Assets has been first appropriated towards amount of principal and thereafter towards amount of interest.
- e. Income from interest on income tax/ other tax refunds is accounted for on the basis of orders passed by the Competent Authorities.
- f. Unforeseen income/ expenses is accounted for in the year of receipt/ payment.
- g. Stationery issued to branches has been considered as consumed.
- h. Interest on overdue term deposits is provided at saving bank rate.

8. Net Profit/ Loss

The net profit disclosed in the Profit & Loss Account is arrived at, after making provisions for the following:

- Income Tax (including deferred taxation as per Accounting Standard AS-22" Accounting for Taxes on Income").
- Bad and Doubtful advances;
- Adjustment, if any, in the value of investments according to RBI directives;
- Provision on Standard Assets.
- Transfers to contingencies, and
- Other usual and necessary provisions.

9. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

In accordance with (AS) 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has present obligation, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible, but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

Sanjay Gupta
Chairman

Neeraj Kumar	Sunit Kumar	Syed Rais Maqbool	Urmil Lata	Nitu Gupta	Nisar Ahmed Koul
Director	Director	Director	Director	Director	Director

In terms of our report of even date annexed
For Dharam Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)
Partner
MRN : 508018

Place : Jammu
Date : 29.04.2025

SCHEDULE - 18

Schedules forming part of accounts for the period ended on 31st of March 2025

NOTES TO ACCOUNTS

1. REGULATORY CAPITAL

1.1 Composition of Regulatory Capital

(Amount in Rs. Crores)

Sr. No	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i)	Paid up Capital, Share Capital Deposits and Reserves (net of deductions)	355.56	373.31
ii)	Additional Tier 1 capital	-	-
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	355.56	373.31
iv)	Tier 2 capital	23.73	22.39
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	379.29	395.70
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	4011.72	3531.01
vii)	Paid-up Share Capital and reserves as a percentage of RWAs	8.86 %	10.57%
Viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	8.86 %	10.57%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.59%	0.64%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	9.45%	11.21%
xi)	Leverage Ratio	4.71%	5.43%
xii)	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	50%	50%
	b) Government of J&K U.T	15%	15%
	c) J&K Bank	35%	35%
xiii)	Amount of additional capital received from the stakeholders during the year	NIL	204.48
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	-	-
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year	-	-

1.2 Draw Down from Reserve

No amount has been drawn from reserves during the year.

2 INVESTMENT

2.1 Detail of Investments

(Amount in Rs. Crores)

Sr. No.	Particulars		As on	
			31.03.2025	31.03.2024
1.	Value of Investments			
	<i>Gross Value of Investments</i>			
	a)	In India	1122.17	1123.78
	b)	Outside India	Nil	Nil
	<i>Provision for depreciation</i>			
	a)	In India	Nil	Nil
	b)	Outside India	Nil	Nil
	<i>Provision for NPI</i>			
	a)	In India	Nil	Nil
	b)	Outside India	Nil	Nil
	<i>Net Value of Investments</i>			
	a)	In India	1122.17	1123.78
	b)	Outside India	Nil	Nil
2.	Movement of provisions held towards the depreciation on Investments			
	(i)	Opening Balance	Nil	Nil
	(ii)	Add: Provisions made during the year	Nil	Nil
		Less: Write-off/write back of excess provisions during the year	Nil	Nil
	(iii)	Closing Balance	Nil	Nil
3.	Movement of Investment Fluctuation Reserve			
	(i)	Opening Balance	Nil	Nil
	(ii)	Add: Amount transferred during the year	Nil	Nil
	(iii)	Less: Drawdown	Nil	Nil
	(iii)	Closing Balance	Nil	Nil
4.	Closing Balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category		Nil	Nil

2.2 Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in Rs. Crores)

Sr. No.	Particulars		As on	
			31.03.2025	31.03.2024
1.	Movement of provisions held towards the depreciation on Investments			
	(i)	Opening Balance	Nil	Nil
	(ii)	Add: Provisions made during the year	Nil	Nil
		Less: Write-off/write back of excess provisions during the year	Nil	Nil
	(iii)	Closing Balance	Nil	Nil
2.	Movement of Investment Fluctuation Reserve			
	(i)	Opening Balance	Nil	Nil
	(ii)	Add: Amount transferred during the year	Nil	Nil
	(iii)	Less: Drawdown	Nil	Nil
	(iv)	Closing Balance	Nil	Nil
3.	Closing Balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category		-	-

2.3 Repo Transactions during the year 2024-25

(Amount in Rs. Crores)

Sr. No.	Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	365 Days Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2025
Securities sold under Repo:					
i.	Government Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Previous Year)	Nil	Nil	Nil	Nil
ii.	Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Previous Year)	Nil	Nil	Nil	Nil
iii	Any other securities	Nil	Nil	Nil	Nil

Securities purchased under Reverse Repo					
i.	Government Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Previous Year)	Nil	Nil	Nil	Nil
ii.	Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Previous Year)	Nil	Nil	Nil	Nil
iii.	Any other securities	Nil	Nil	Nil	Nil

2.4 Non-SLR Investment Portfolio

2.4.1 Issuer composition of Non SLR Investments as on 31.03.2025

(Amount in Rs. Lakhs)

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of below Investment Grade	Extent of unrated Securities	Extent of unlisted Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2	FIs (incl. NBFC's, AIFI'S)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3	Banks (incl. CD's)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4	Private Corporates (incl. CP's)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
5	Subsidiaries/Joint Ventures	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
6	Others	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
7	Provision towards dep./ NPI	Nil				
8	Total	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

2.4.2 Non-performing Non-SLR investments

(Amount in Rs. Lakh)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Reductions during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil
Total Provision held (including floating provisions)	Nil	Nil

2.4.3 The value of investment under three categories viz., Held for Trading, Available for sale and Held to maturity (Net of provisions held) are as under:

(Amount in Rs. Lakh)

Particulars	As on 31.03.2025				As on 31.03.2024			
	HFT	AFS	HTM	Total	HFT	AFS	HTM	Total
Govt. Securities	NIL	7505	104712	112217	NIL	6021	105857	111878
Other approved securities	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	Nil	Nil	Nil
Shares (Equity & Pref.)	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	Nil	Nil	Nil
Debentures & Bond	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	500	Nil	500
Subsidiaries	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	Nil	Nil	Nil
Others (MF Units etc.)	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	NIL	7505	104712	112217	Nil	6521	105857	112378

2.4.4 Sale and Transfers to/from Held to Maturity (HTM) Category

Bank has not sell any security directly from HTM category.

3. ASSET QUALITY

3.1 Classification of advances and provisions held:

(Amount in Rs. Lakhs)

Sr. No.	Particulars		Standard	Non-Performing				Total
			Total standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total non-Performing Advances	
i)	Gross Standard Advances and NPAs							
	a)	Opening balance	350548	2173	10794	1903	14870	365418
	b)	Add: Additions during the year	-	-	-	-	-	-
	c)	Less: Reduction during the year	-	-	-	-	-	-
	d)	Closing Balance	399319	2886	11193	1691	15770	415089
		*Reduction in Gross NPAs due to	-	-	-	-	-	-
	i	Upgradation	-	-	-	-	-	-
	ii	Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)	-	-	-	-	-	-
	iii	Technical/Prudentia I Write Offs	-	-	-	-	-	-
	iv	Write Offs other than those under (iii) above	-	-	-	-	-	-
ii)	Provisions (excluding Floating provisions)		-	-	-	-	-	-
	a)	Opening balance of provisions held	1072	319	8140	1866	10325	11397
	b)	Add: Fresh Provisions made during the year					862	
	c)	Less: Excess provisions reversed/write off loans					468	

	d)	Closing Balance of Provisions held	1207	421	8642	1656	10719	11926
iii)	Net NPAs*							
	a)	Opening balance	-	-	-	-	4545	
	b)	Add: Fresh Additions during the year	-	-	-	-	506	-
	c)	Less: Reductions during the year	-	-	-	-		-
	d)	Closing Balance	-	-	-	-	5051	
iv)	Floating Provisions							
	a)	Opening balance	-	-	-	-	-	0
	b)	Add: Additional Provisions made during the year	-	-	-	-	-	0
	c)	Less: Amount drawn down during the year	-	-	-	-	-	0
	d)	Closing Balance of Floating provisions	-	-	-	-	-	0
v)	Technical write-offs and the recoveries made thereon			-	-	-	-	-
	a)	Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts	-	-	-	-	-	4558
	b)	Add: Technical/ Prudential write offs during the year	-	-	-	-	-	468
	c)	Less: Recoveries made from previously technical/prudential written off accounts during the year	-	-	-	-	-	515
	d)	Closing Balance	-	-	-	-	-	4511

Ratios (in per cent)	Current Year	Previous Year
Gross NPA to Gross Advances	3.80	4.07
Net NPA to Net Advances	1.25	1.28
Provision Coverage ratio	75.09	76.60

3.2 Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in Rs. Crores)

Sector	Current Year			Previous Year		
	Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector	Out standing Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that Sector
Priority Sector						
Agriculture and Allied Activities	1142.04	66.17	5.79	1015.79	64.23	6.32
Advances to Industries sector eligible as priority sector lending	447.71	27.43	6.13	501.96	20.67	4.12
Services	1299.46	51.49	3.96	1071.71	49.08	4.58
Personal Loans	275.80	0.87	0.32	239.88	0.85	0.35
OTHERS	16.90	0.64	3.79	16.2	0.75	4.63
Sub Total A	3181.91	146.60	4.61	2845.64	135.58	4.76
Non-Priority Sector						
Agriculture and Allied Activities	0.00	0.00	0	0	0	0
Industry	0.00	0.00	0	0	0	0
Services	0.00	0.00	0	0	0	0
Personnel Loans	635.99	11.04	1.74	521.03	12.9	2.48
OTHER LOANS	332.99	0.06	0.02	287.51	0.22	0.08
Sub Total B	968.98	11.10	1.15	808.54	13.12	1.62
TOTAL (A+B)	4150.89	157.70	3.80	3654.18	148.7	4.07

3.3 Particulars of Loans Restructured

(Amount in Lakh)

Sr. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total amount of Loan assets subject to restructuring, rescheduling, renegotiation		1126.48	1385.99
1.	Amount of standard assets subject to restructuring, rescheduling, renegotiation	1126.48	1385.99
2.	Amount of Sub-standard assets subject to restructuring, rescheduling, renegotiation	Nil	Nil
3.	Amount of doubtful assets subject to restructuring, rescheduling, renegotiation	Nil	Nil

3.4 Details of accounts subjected to restructuring:

		Agriculture and allied activities		Corporates (excluding MSME)		Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		Retail (excluding agriculture & MSME)		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Standard	Number of borrowers	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Gross Amount (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Provision held (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sub-standard	Number of borrowers	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Gross Amount (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Provision held (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Number of borrowers	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Doubtful	Gross Amount (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Provision held (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total	Number of borrowers	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Gross Amount (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Provision held (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3.5 Disclosure of transfer of Loan exposures

Details of stressed loans transferred during the year (to be made separately for loans classified as NPA and SMA)

(all amounts in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No: of accounts	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL

Details of stressed loans transferred during the year (to be made separately for loans classified as NPA and SMA)

(all amounts in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL

Details of loans acquired during the year		
(all amounts in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

3.6 Details of Financial Assets Sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction.

(Amount in Rs. Lakh)

Sr. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
1.	No of accounts	Nil	Nil
2.	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
3.	Aggregate Consideration	Nil	Nil
4.	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier yrs.	Nil	Nil
5.	Aggregate gain/loss over net book value	Nil	Nil

3.7 Fraud Accounts

Particulars	Current Year	Previous Year
Number of Fraud reported	3	NIL
Amount involved in Frauds (in lakhs)	68.69	NIL
Amount of provision already made for such frauds (in lakhs)	NIL	NIL
Amount of provision made for such frauds during the year (in lakhs)	*38.65	NIL
Amount of Unamortized provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in lakhs)	NIL	NIL

*All the frauds have been reported to NABARD on Ensure portal vide FMS returns.

* For the difference amount i.e (30.04 Lacs), recovery in the accounts was effected, as such no provision was made.

3.8 Disclosure Under Resolution framework for COVID-19 related Stress :

A special window under the prudential Framework was extended vide circular DOR.No.BO.BN/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 to enable the lenders to implement a resolution plan in respect of eligible corporate exposures, and personal loans, while classifying such exposures as Standard. Banks shall make disclosures in the format prescribed below every half-year, i.e., in the financial statements as on September 30 and March 31, starting from the half-year ending September 30, 2021 till all exposures on which resolution plan was implemented are either fully extinguished or completely slip into NPA, whichever is earlier.

(Amount in Rs. Crores)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous full -year (A) (Mar-2024)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the full-year	Of (A) amount written off during the full-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the full-year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the Financial Year (Mar-2025)
Personal Loans	0.84	--	--	0.20	0.72
Corporate persons*	--	--	--	--	--
Of which MSMEs	--	--	--	--	--
Others	0.92	--	--	0.21	0.80
Total	1.76	--	--	0.41	1.52
* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					
Restructured MSME accounts					
MSMEs	8.44	--	--	3.32	6.51
Grand Total	10.20	--	--	3.73	8.04

Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) vide circular no. DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 relating to the MSME accounts restructured under these instructions as per the following format

No. of Accounts Restructured	Amount (Rs. In Lakhs)	Provision held (Rs. In Lakhs)
59	382.55	96.06

As per the instructions of above mentioned circular, upon implementation of the restructuring plan, the lending institutions shall keep provision of **10%** of the residual debt of the borrower.

4. EXPOSURES

4.1 Exposures to Real Estate Sector*

(Amount in Rs. Crore)

Sr. No.	Particulars		As on	
			31.03.2025	31.03.2024
1.	Direct Exposure			
	(i)	Residential Mortgages**	431	370
		Lending's fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (**includes Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector amounting to Rs.240 Crore) (Previous Year Rs.251Crore)		
	(ii)	Commercial Real Estate	3.08	3.56
		Lending's secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development, and construction, etc.).		
	(iii)	Investment in Mortgage-Backed Securities and other securities exposures	NIL	NIL
	(a)	Residential	NIL	NIL
	(b)	Commercial real estate	NIL	NIL
2.	Indirect Exposure (Fund based & non-fund based exposure on National Housing Bank and housing finance companies)		NIL	Nil
	Total Exposure to Real Estate		434.08	373.56

*The above disclosure is as complied and certified by the Bank's management and relied upon by the auditors.

- 4.2** Details of single borrower limit/ group borrower limit exceeded by the Bank The Bank has not exceeded single borrower limit and group borrower limit during the year.
- 4.3** Unsecured Advances Statement of loans & Advances secured by Intangible Assets viz. Rights, Licenses, and Authorizations etc.

(Amount in Rs. Lakh)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total unsecured advances of the Bank	NIL	NIL
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken	Nil	Nil
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

5. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

5.1 Concentration of Deposits

Particulars	31.03.2025
Total Deposits of 20 largest depositors (Rs.in Crore)	98.43
Percentage of Deposit of 20 largest depositors to total Deposits of the Bank	1.56%

5.2 Concentration of Advances

Particulars	31.03.2025
Total Advances to 20 largest borrowers (Rs.in Crore)	48.11
Percentage Advances to 20 largest borrowers to total advances of the Bank	1.16%

5.3 Concentration of Exposure

Particulars	31.03.2025
Total Exposure to 20 largest borrowers/customers (Rs.in Crore)	64.01
Percentage of Exposure to 20 largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	1.54%

5.4 Concentration of NPAs

Particulars	31.03.2025
Total Exposure to top 4 NPA accounts (Rs.in Crore)	1.65

6. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Amount in Lakh)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance of amounts transferred to DEAF	1344.89	954.73
Add : Amounts transferred to DEAF (During the Year)	733.80	409.83
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	116.77	19.67
Closing balance of amounts transferred to DEAF	1961.92	1344.89

7. Disclosure of Complaints

7.1 Summary information on complaints received by the bank from customers and from the offices of Ombudsman

S.N.		Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Complaints received by the bank from its customers				
1.		Number of complaints pending at beginning of the year	0	0
2.		Number of complaints received during the year	209	130
3.		Number of complaints disposed during the year	208	130
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	NIL	NIL
4.		Number of complaints pending at the end of the year	01	0
Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman				
5.		Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	12	17
	5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	11	16
	5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories by Office of Ombudsman	01	01
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	NIL	NIL
6.		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	NIL	NIL

7.2 Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints (i.e complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year					
ATM/Debit Cards	NIL	2	-81.82 %	NIL	NIL
Mobile Banking	NIL	8	-11.11 %	NIL	NIL
Loans and Advances	7	94	38.24 %	NIL	NIL
Staff Behaviour	NIL	43	95.45 %	1	NIL
Others	NIL	74	50 %	NIL	NIL
Total	NIL	221	50.34 %	1	NIL
Previous Year					
ATM/Debit Cards	NIL	11	-26.67%	NIL	NIL
Mobile Banking	NIL	09	-18.18%	NIL	NIL
Loans and Advances	NIL	68	151.85%	NIL	NIL
Staff Behaviour	NIL	22	633.33%	NIL	NIL
Others	NIL	37	208.33%	NIL	NIL
Total	NIL	147	116.17%	NIL	NIL

8. Penalty imposed by Reserve Bank of India (RBI)/National Agricultural Bank for Rural Development (NABARD)

No penalty has been imposed by the RBI/NABARD on the Bank during the year ended March 31st 2025 (Previous year; Nil).

9. Disclosure on remuneration

- Particulars of remuneration of Chairman, General Managers and other staff on deputation from Sponsor Bank (J&K Bank):

(Amount in Rs.)

	CHAIRMAN	GENERAL MANAGERS	OTHER STAFF
Salaries & Allowances	4649450	8934220	16782648
Total	4649450	8934220	16782648

ii) **Particulars of related party transactions are as under:**

(Amount in Rs Crore)

Items/Related Party	J&K Bank Ltd (Sponsor Bank)
Outstanding as on 31.03.2025	
Borrowings	11.67*
Deposits	1875.35
Other Liabilities (Investment by J&K Bank)	206.31
Advances	NIL
Investments	NIL
Other Assets	NIL
Maximum outstanding during the FY 2024-25	
Borrowings	11.67*
Deposits	1875.35
Other Liabilities (Investment by J&K Bank)	206.31
Advances	54.81
Investments	NIL
Other Assets	NIL
During the FY 2024-25	
Interest Income	133
Interest Expenditure	0.45
Fixed Assets purchased from	NIL
Fixed Assets sold to	NIL
Income from services rendered to	NIL
Expenses for receiving services from Sponsor Bank	1.09

****Rs 1167 lakh is 50% share of Sponsor Bank for implementation of CBS by JKGB in the form of Investment in Tier II perpetual bonds.***

Items/Related Party	Mr. Sanjay Gupta (Chairman)
Period for which post held during FY 2024-25	01.04.2024 to 31.03.2025
Investments	Nil
Interest/Commission Received	Nil
Salary (Amount in Rs.)	4649450.00

10 OTHER DISCLOSURE:

10.1 Business Ratios:

Sr. No.	Particulars	As on	
		31.03.2025	31.03.2024
(i)	Interest income as a percentage to working funds	8.36 %	8.32%
(ii)	Non-Interest income as a percentage to working funds	0.56 %	0.57%
(iii)	Cost of Deposits	5.00 %	4.79%
(iv)	Net Interest Margin	3.65 %	3.86%
(v)	Operating Profit/loss(-) as a percentage to working funds	-0.11 %	0.55%
(vi)	Return on Assets	-0.18 %	0.06%
(vii)	Business (deposits plus advances) per employee (Rs.in Lakh)	867.96	763.81
(viii)	Net Profit/Loss per employee (Rs.in Lakh)	-1.06	0.31

* The above disclosure is as compiled and certified by the Bank's management and relied upon by the auditors.

10.2 Insurance Business

The details of fees/brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by the Bank are as under:

(Amount in Rs. Lakh)

Sr. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
1.	Life Insurance Business	55.39	53.94
2.	Health Insurance	41.88	61.88
3.	General Insurance	142.13	156.98
	Total	239.40	272.80

10.3 Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

(Amount in Rs Crore)

PSLC SOLD		PSLC Purchased		Net profit during the year
Total Sold	Premium Received	Total Purchased	Premium Paid	
494	10.19	Nil	Nil	10.19

During the Financial Year 2024-25, the bank has sold Priority Sector Advances of Rs.494 Crores under PSLC scheme in the category of PSLC-SF /MF and earned premium of Rs. 10.19 crores have been included in "Profit and Loss Account" under the" head "Non Interest Income".

10.4 Provisions and Contingencies

The break-up of "Provisions and Contingencies" shown under the Head "Expenditure in Profit and Loss Account" is as under:

(Amount in Rs. Crores)

Particulars	For the year ended	
	31.03.2025	31.03.2024
Provision against NPA's	8.62	16.29
Provisions on Standard Assets	1.34	0.52
Provision for depreciation on investments	Nil	Nil
Provision for frauds and embezzlements	Nil	Nil
Provision for Bonus*	Nil	Nil
Provision for Pension*	34.20	11.84
Provision for contingent liabilities	Nil	Nil
Provision for Wage Revision	11.96	25.72
Provision for FITL Debt under Resolution Framework 2.0	Nil	Nil
Total	56.12	54.37

* The provision for Bonus to employees for current year of Rs. Nil (Previous year Rs. Nil) and provision for employee Pension of Rs.34.20 Crores (Previous year Rs.11.84 Crores) and Wage Revision Provision of Rs. 11.96 Crores (Previous year Rs 25.72 Crores) have been included in "Profit and Loss Account" under the head "Payment to & Provisions for Employees" under "Operating Expenses" instead of "Provisions & Contingencies".

10.5 Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in Rs Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Payment of DICGC Insurance Premium	8.98	6.51
2	Arrears in payment of DICGC premium	Nil	Nil

10.6 ASSET LIABILITY MANAGEMENT

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2025*

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 months to 3 months	Over 3 Months & Upto 6 months	Over 6 months & Upto 1 year	Over 1 Years & Upto 3 years	Over 3 years Upto 5 years	Over 5 years	TOTAL
Deposits	45.28	204.30	211.02	192.54	218.76	273.78	734.32	1587.12	2767.13	35.21	29.90	6299.36
Total Advances*	122.51	89.89	104.77	217.95	106.70	106.65	11.08	92.23	1814.79	419.48	957.65	4043.70
Investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	104.70	277.72	245.17	484.58	1122.17
Borrowings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	212.77	390.95	11.15	38.22	11.67	718.44
Foreign Currency Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foreign Currency Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Figure of total advances consists of gross performing advances and non-performing advances (NPAs) net of provisions.

** The above disclosure is as compiled and certified by the Bank's management and relied upon by the auditors.

10.7 Miscellaneous Amount of Provisions made for taxes during the year

(Amount in Rs. Lakh)

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Asset*	499.31	-1359.02
Deferred Tax Liability*	Nil	Nil
Income Tax	Nil	Nil

* Only material items have been considered for computing Deferred Tax Liability & Asset.

11. Additional Disclosures

11.1 Disclosures in respect of Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

11.1.1 Accounting Standard AS 9- Revenue Recognition

There are no material deviations in the recognition of items of income, which are required to be disclosed as per Accounting Standard-9, read with the RBI guidelines.

11.1.2 Accounting Standard AS 10-Property, Plant & Equipment

- a) Depreciation is charged on written down value method (except computers & mobile phones) method at the rates prescribed in the Income Tax Rules, 1962. The depreciation on the computers (including ATMs) along with software forming integral part of the computers is computed @ 33.33% on straight line method in terms of RBI guidelines. Further useful life of mobile phones is considered to be 2 years and the depreciation is charged on straight line method for the full year.

The subsidy/grant received, if any, against purchase of any specific fixed asset is reduced from the cost of the respective asset and the depreciation is charge on reduced value of such fixed asset.

- b) In compliance to Accounting Standard (AS)-26 the acquisition cost of computer software, not forming integral part of the computers and where it is probable that the future economic benefits that are contributable to this software will flow to bank, is being capitalized and depreciation is charged at the rate of 33.33% on straight line method in terms of RBI guidelines.

- c) Depreciation on Banks property includes amortization in respect of leased properties amounting to Rs.0.67Lakh.

11.2 Accounting Standard AS 12 –Government Grants

- a) The subsidy/grant received, if any, during the year against purchase of any specific fixed asset is reduced from the cost of the respective asset and the depreciation is charged on reduced value of such fixed asset.
- b) During the year grants to the tune of **Rs. 36,77,230 /- (Previous year Rs 13,04,884/)** are received/receivable for the acquisition of certain fixed assets/software from National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

11.3 Accounting Standard AS 15 –Employees Benefits

Defined Benefit Plans

The Employee's Gratuity Fund Scheme and Leave Encashment are defined benefit plans. The Bank has received Gratuity and Leave Encashment valuation report dated 07.03.2025 under AS-15 from M/s B. Chatterjee International Consultant. The Bank has invested its funds for Gratuity and Leave Encashment with LIC of India.

Sr. No.	Particulars	For the period ended 31.03.2025	
		Gratuity	Leave Encashment
1	Present value of obligations as per valuation report dated 07.03.2025	40,79,11,206	41,99,85,656
2	Fair value of fund with LIC	33,51,47,727	33,08,12,718
3	Balance, being shortfall	7,27,63,479	8,91,72,938
4	Provision already provided by the Bank in Q1+Q2+Q3	4,86,45,092	7,35,57,054
5	Amount Utilized for payment of arrears from total provisions of Q1+Q2+Q3	(2,39,95,355)	(2,41,02,112)
6	Funds Position after payment of arrears (S. No. 4- S. no. 5)	2,46,49,737	4,94,54,942
7	Expected Interest on funds invested with LIC	2,34,60,341	2,31,56,890
8	Provision made in Q4 ended March 2025	2,46,53,401	1,65,61,106
9	Shortfall	nil	nil

Sr. No.	Particulars	Gratuity	Leave Encashment
		31.03.2025	31.03.2025
1.	Discount Rate	7.08 %	7.08 %
2.	Expected ROR	7.00 %	7.00 %
3.	Rate of escalation in salary	7.00 %	7.00 %
4.	Attrition rate	1.00 %	1.00 %
5.	Method Used	Projected Unit Credit Method	
6.	Benefits Paid w.e.f 01.04.2023 to 31.03.2024	7,73,78,778	3,60,62,663

The benefit of Computer Increment has been granted to eligible officers and employees of Regional Rural Banks w.e.f 01.11.1993 in line with Nationalized Commercial Banks vide letter no. 8/1/2023-RRB dated 18.09.2024 of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

- A.** Hon'ble Supreme Court, in case titled "Union of India V/s Gramin Bank Pensioners Samiti & Ors" SLP © 39288/2012, in its order dated 25.04.2018, has directed the union of India to implement the judgment in respect of all the regional rural banks expeditiously and at any rate within three months from the date of production of a copy of this judgment. In terms of said Hon'ble Supreme Court order, the Bank, in Order to implement the pension scheme has made necessary amendments vide notification no JKGB/HRDD/2018-4318 dated 26.11.2018 to

the J&K Grameen Bank (Officers and Employees) service Regulations 2010 vide J&K Grameen Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 by inserting J&K Grameen Bank (Employees) Pension Regulations, 2018 which came into force on 28.11.2018 thus the management of the Bank has constituted two trust duly registered in the court of law and necessary permissions and exemptions has been taken from appropriate authorities. Bank has also appointed Stock Holding Corporation of India limited, being registered as Point of Presence (POP) for providing NPS services to its employees.

- B.** Towards the process of implementation of the Pension the Bank has appointed Life Insurance Corporation (LIC) as Actuary. The total Pension liability as on 31.03.2019 assessed in valuation report of LIC was Rs. 464.25 Crore.
- C.** NABARD vide its letter No- NB. DOS. Pol. HO/2533/J-1/2019-20 dated 12.12.2019, advised Bank to amortize their Pension liability over a period of five years beginning with the financial year ending March 2019. However, Bank has made provision amounting to **Rs. 489.01 Crores** (Rs. 464.25 + Rs. 24.76 Crore additional) till FY 2022-2023. Further Bank has made provision amounting to Rs.11.84 Crore during FY 2023-2024 on account of revision of DR rates, payment of arrears of computer increment/FPP.
- D.** Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide letter F.NO. 8/1/2023-RRB dated 18.09.2024 had accorded approval for grant of computer increment to the eligible officers and employees of RRBs who were in service/probation as on 01.11.1993, in line with the benefit of computer increment granted by the Nationalized commercial Banks w.e.f 01.11.1993, along with payment of arrears thereof. Furthermore, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter No.8/2/2024-RRB dated 08.07.2024 had conveyed its approval for revision of Pay and Allowances of Regional Rural Banks' employees under Proviso 2 of Section 17 (1) of the Regional Rural Banks Act, 1976 in line with the 12th Bipartite Settlement /9th Joint Note. In this regard, to meet the said expenditure and expected increase in pension liability arising due to revision of Dearness Relief (on half yearly basis), revision of pension on account of release of computer increment/FPP, revision of pension on account on 12 BPT and Ex-gratia, bank has made provision amounting to Rs. 34.20 Crores during the FY 2024-25. The details of which is tabulated below:

DETAILS	AMOUNT (RS. IN CRORE)
Provision made on account of Revision of Dearness relief rate, 12 BPT arrears, Ex-gratia etc.	13.20
Additional Provision made on account of shortfall of pension liability (as per valuation) (Liability increases due to revision in monthly Pension on account of Computer increment, 12 BPT and Ex-gratia)	21.00
Total Provisions made during FY 2024-25	34.20

- E.** Further, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter F.NO. 8/4/2024-RRB dated 03.10.2024 had accorded approval for implementation of Pension Scheme in RRBs with effect from 01.11.1993 (currently under implementation w.e.f. 01.04.2018) along with payment of consequential arrears to the eligible pensioner's/family pensioners. Accordingly complying with the timelines provided by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Bank has released pension arrears @ 20% amounting to Rs. 7.99 Crore, pension arrears @30% amounting to Rs. 12.73 Crore and remaining pension arrears @50% amounting to Rs. 23.70 Crore. The total arrears of pension paid amounts to Rs. 44.42 Crore.
- F.** Further, NABARD, Mumbai, vide their letter No. NB. HO.IDD.RRb/172918/(316-RRB Policy)/2024-25 dated 26.03.2025, has advised that the RBI has permitted RRBs to amortize the expenditure, on account of revision of Pension over a period of five years, beginning with the financial year ending 31 March 2025, subject to minimum of 20% of the total pension liability being expensed each year. The details of amount amortized by Bank is mentioned below:

Sr. No	Particulars	Amount (Amt. in Crore)
1.	Total Pension liability to be amortized in five years beginning with the financial year ending 31 March 2025.	44.42
2.	Pension liability amortized for financial year ended March 2025. (being 1/5 th of total pension liability of Rs.44.42 Crore).	8.88
3.	Pension liability to be amortized in next 04 years	35.54

- **Provisioning for payment of pending wage revision allowances and revision in employer contribution towards NPS:**
During FY2024-25, Bank has made a provision of Rs.11.96 crores, out of which Rs. 11.56 crores for revision in employers' contribution towards National Pension Scheme (NPS) from 10% to 14% of Pay and Dearness Allowance w.e.f 11.11.2020 and remaining Rs. 0.40 crores for payment of pending wage revision allowances in line with 12th Bipartite Settlement/ 9th Joint Note.
- **Payment of Computer Increment:** The Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services granted the benefit of computer Increment to the eligible officials w.e.f 01.11.1993. In this regard, expenditure of Rs. 17.45 crores have been incurred by the Bank during FY 2024-25 in addition to adhoc provision of Rs. 4.05 crores during FY 2023-24.

11.4 Accounting Standard AS 17 –Segment Reporting

Part A-Business Segment

The Bank has not classified any business segments in which it operates.

Part B-Geographical Segment

As the bank does not have any overseas branch, there is no requirement as to reporting of geographical segment.

11.5 Accounting Standard AS 19- Leases

The properties taken on lease/rental basis are renewable/cancellable at the option of the Bank. The lease entered by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar months' notice in writing. Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs. 4.25 crores (Previous year Rs.3.94 crores).

11.6 Accounting Standard AS 22-Accounting on Taxes on Income

The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 accordingly Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized.

(Amount in Rs. Lakh)

Timing Difference	Deferred Tax Asset (DTA)	Deferred Tax Liabilities DTL)
Depreciation on Assets	97.89	-
Carry Forward Losses & Unabsorbed Depreciation	8733.13	-

Net Deferred Tax Assets : Rs. 8831.02

Deferred Tax Impact for the year : Rs. -499.31

11.7 Accounting Standard AS 28-Impairment of Assets

The bank's asset substantially comprises of financial assets, which are not covered by AS 28-Impairment of Assets. In the opinion of Bank's Management there is no impairment in the value of its non-financial assets in terms of said Accounting Standard.

11.8 Accounting Standard AS 29-Provisions against Contingent Liabilities and Contingent Assets

In respect of Contingent Liabilities under each class shown as per schedule 12, in the opinion of the Management, the possibility of any out flow in settlement is remote hence no provision is required to settle the obligations.

11.9 Details / Utilization of Floating Provisions

(Amount in Rs. Lakh)

Particulars	As on	
	31-03-2025	31-03-2024
Opening balance	Nil	Nil
Additions made during the year	Nil	Nil
Draw Down made during the year	Nil	Nil
Closing balance	Nil	Nil

12. Other Disclosures

12.1 The Bank has incurred a loss of Rs. 12.75 Crores during the financial year 2024-25 and total accumulated losses of the Bank stands at Rs. 225.49 Crores as on 31st March 2025. The CRAR stood at 9.45% as on 31st March 2024-25 against the minimum stipulated regulatory requirement of 9%.

12.2 Reconciliation/adjustment of Inter-Bank/inter-Branch transactions, Branch Suspense, System Suspense, Clearing, and Sundry Deposits is in progress on an ongoing basis. The impact, in the opinion of the management of the un-reconciled entries, if any, on the financial statements would not be material and shall be accounted/adjusted on reconciliation thereof.

12.3 Interest on Overdue Term Deposits

The Bank follows policy of providing interest on overdue time deposits interest at Savings Bank rate or the contracted rate of interest on the matured term deposit whichever is lower paid for the overdue period in conformity with guidelines of Reserve Bank of India.

12.4 Interest subvention to Farmers

In terms of NABARD Mumbai Circular No. 204/DoR-70/2022 dated 08.09.2022 issued under Ref no. NB. DoR-Policy/910/IS-1/ 2022-23. An amount of Rs.6,54,82,461/- (Rupees Six Crore Fifty-Four Lakh Eighty-Two Thousand Four Hundred Sixty-One only) shall be payable to 31362 prompt paying farmers, who have availed crop loan/ KCC under ST-SAO, as an additional interest subvention as an incentive to farmers which is yet to be claimed from Government of India (GOI) through Kisan Rin portal.

12.5 Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme (ADWDRS-2008)

A Claim amounting to Rs.22.84 Lakh is pending with NABARD/Government of India (GOI) under Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2008(ADWDRS-2008).

12.6 Provision for diminution in the value of Investments

As per RBI Circular No. RPCD.CO.RRB.BC.No./74/03.05.33/2013-14 dated January 07, 2014, Bank has introduced MTM norms in respect of SLR securities w.e.f April 01, 2014. Bank has classified entire portfolio of SLR under three categories viz. 'Held to Maturity', 'Available for sale', and 'Held for Trading' as on 31.03.2025 and SLR holdings under HTM category is within the limit prescribed by the RBI. Thus, no provision for diminution in value of securities is required to be made.

12.7 Disclosures regarding un-realized Interest held in Suspense account

Un-realized interest on NPAs amounting to Rs.284.03 Crores held in suspense account and not taken to profit and loss account as on 31.03.2025.

12.8 The Sponsor Bank has claimed an expenditure of Rs. 1,15,51,939.65 (Rupees one Crore fifteen lakhs fifty-one thousand nine hundred thirty-nine and sixty-five paise only) for FY 2024-25 being the cost incurred by it for providing infrastructure facility and project Management services on various technology initiatives implemented at Bank. The amount has been provided for during the year under the head 'Other Expenditures'.

12.9 Provision Coverage Ratio (PCR)

The provision coverage ratio (PCR) for the Bank as on 31st March 2025 is 75.09% (Previous Year 76.60%). The PCR of the Bank improved with an additional NPA Provisioning kept over and above the adopted provisioning norms with additional provisioning percentage of 30% under Doubtful-2 Category in respect of accounts having 40% provisions.

12.10 Micro Small and Medium Enterprises Development Act

With regard to disclosure relating to MSME under the Micro Small & Medium Enterprises Development Act 2006, payments to Micro and Small Enterprises suppliers have not exceeded 45 days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of the goods or services as per the provisions of Section 9 of the Micro Small & Medium Enterprises Development Act 2006 (27 of 2006).

12.11 The Principal Accounting Policies (Schedule 17) and Notes on Accounts (Schedule 18) form an integral part of these Accounts.

12.12 Previous year figures have been regrouped/rearranged, wherever necessary and possible, to conform to current year figures. In cases where disclosures have been made for the first time in terms of RBI/NABARD guidelines, previous year's figures have not been given.

Sanjay Gupta
Chairman

Neeraj Kumar	Sunit Kumar	Syed Rais Maqbool	Urmil Lata	Nitu Gupta	Nisar Ahmed Koul
Director	Director	Director	Director	Director	Director

In terms of our report of even date annexed
For Dharam Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)
Partner
MRN : 508018

Place : Jammu
Date : 29.04.2025

Cash Flow Statement for the year ended 31st MARCH 2025

(Rs. 000' omitted)

	Year ended from 01.04.2024 to 31.03.2025	Year ended from 01.04.2023 to 31.03.2024
A. Cash Flow from Operating Activities	1,382,316	1,010,374
B. Cash Flow from Investing Activities	(15,355)	(104,705)
C. Cash Flow from Financing Activities	-	2,044,839
Net change in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	1,366,961	2,950,508
D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	20,000,703	17,050,195
E. Cash and Cash Equivalents at the end of the year	21,367,664	20,000,703
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
I. Net Profit After Tax	(127,511)	37,606
Provision for Income Tax	-	-
Deferred Tax Asset	883,102	833,171
Deferred Tax Liability	-	-
Total (I)	755,591	870,777
II. Adjustments:		
Depreciation on Fixed Assets	59,635	61,331
Provision for NPA Advances	86,158	162,881
Amortisation of Investments	13,945	18,977
Provision for diminuation in value of Investments	-	-
Profit/Loss on sale of Fixed Assets	-	-
Total (II)	159,738	243,190
Operating Profit before changes in Operating Assets & Liabilities [Total (I)+(II)]	915,329	1,113,967
III Change in Operating Assets & Liabilities		
Increase (Decrease) in Deposits	5,892,099	4,413,859
Increase (Decrease) in Borrowings	1,098,467	1,828,773
Increase (Decrease) in Investments	2,168	(485,791)
Increase (Decrease) in Advances	(5,013,796)	(4,143,033)
Increase (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(38,076)	(769,137)
Increase (Decrease) in Other Assets (other than Pre-paid taxes excluding accumulated losses)	(1,473,874)	(948,264)
Total (III)	466,987	(103,593)
Cash Generated from Operations [Total (I) + (II) + (III)]	1,382,316	1,010,374
Less : Tax paid (Advance Income tax and TDS)	-	-
Net cash from Operating Activities	1,382,316	1,010,374

B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
a. Purchase of Fixed Assets (net of sales)	(15,355)	(104,705)
Total	(15,355)	(104,705)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
a. Capital	-	4,922,795
b. Share Capital Deposits	-	(2,877,956)
c. Dividends/Withdrawals made	-	-
Total (a...c)		2,044,839.00
D. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
a. Cash in Hand	65,964	76,825
b. Balance with Reserve Bank of India	2,531,188	2,372,238
c. Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	17,403,551	14,601,132
Total (a...c)	20,000,703	17,050,195
E. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
a. Cash in Hand	79,915	65,964
b. Balance with Reserve Bank of India	2,441,193	2,531,188
c. Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	18,846,556	17,403,551
Total (a...c)	21,367,664	20,000,703

Note 1. All figures in brackets represents "Cash Out Flow".

2. Direct Taxes paid are treated as arising from Operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.

Sanjay Gupta
Chairman

Neeraj Kumar **Sunit Kumar** **Syed Rais Maqbool** **Urmil Lata** **Nitu Gupta** **Nisar Ahmed Koul**
 Director Director Director Director Director Director

In terms of our report of even date annexed
For Dharam Raj & Co.
 Chartered Accountants
 FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)
 Partner
 MRN : 508018

Place : Jammu
Date : 29.04.2025

LIST OF BRANCHES

S.NO.	DISTRICT : JAMMU
1	AKHNOOR
2	ARNIA
3	BADYAL BRAHMANA
4	BAHU FORT
5	BANTALAB
6	BASPUR
7	BATERA
8	BHALWAL
9	BISHNAH
10	BOHRI PATTA
11	BRIJ NAGAR
12	CHAKROI
13	CHANNI HIMMAT
14	CHATHA
15	CHOWKI CHOWRA
16	DABLEHAR
17	DEOLI
18	DIGIANA
19	GAJANSU
20	GHO MANHASAN
21	JANDRAH
22	JEEVAN NAGAR
23	JOURIAN
24	KALUCHAK
25	KALAYANPUR
26	KANHAL
27	KHERI
28	KHOUR
29	KIRPIND
30	KOTLI JHAJJAR
31	KOTLI MIAN FATEH
32	LAXMI NAGAR, SARWAL
33	MAIRA
34	MALIK MARKET
35	MUTHI
36	MISHRIWALA
37	NAGROTA
38	NARDI

39	NARWAL
40	PALLANWALA
41	PALOURA
42	PARGWAL
43	PHALLIAN
44	REHAL DHAMALIAN
45	R. S. PURA
46	SAI
47	SANGRAMPUR
48	SARORE
49	SATRAYAN CAMP
50	SHAKTI NAGAR
51	SIMBAL CAMP
52	SIMBAL MORE
53	SRUINSAR
S.NO.	DISTRICT : SAMBA
54	GHAGWAL
55	GURAH SALATHIA
56	JAKH
57	KARTHOLI
58	MANDI SANGWALI
59	NADH
60	NANDPUR
61	PANGDOUR
62	PURMANDAL
63	RAMGARH
64	RAYA
65	SAMBA
66	SMAILPUR
67	SUMB
68	SWANKHA MORE
S.NO.	DISTRICT: KATHUA
69	BARWAL
70	BHOOND
71	CHADWAL
72	CHAN GRAN
73	COLLEGE ROAD KATHUA
74	DAYALA CHAK

75	DUGGAN
76	GUJROO NAGROTA
77	HARIPUR MORE
78	HATLI
79	JAKHBAR
80	KATHUA
81	MAHANPUR
82	MANDLI
83	MARTA NAGROTA
84	NAGRI PAROLE
85	PALLI MORE
86	PARNALLA
87	PHAINER
88	RAJBAGH
89	SHERPUR BALA
S.NO.	DISTRICT: RAJOURI
90	BAGNOTI
91	BAJABAIN
92	BAWANI
93	CHANNI PRAT
94	CHINGUS
95	DARHAL MALKAN
96	DEVAK
97	DHANGRI
98	DHARAMSAL
99	DOONGI BRAHMANA
100	KHEORA
101	LAM
102	MANJAKOTE
103	NOWSHERA
104	PALAM
105	RAJOURI
106	SHAH DARA
107	SIALSUI
108	SIOT
109	SOLKI
110	SUNDERBANI
111	TATAPANI
112	TRIATH

S.NO.	DISTRICT : POONCH
113	BUFLIAZ
114	CHANDAK
115	DHARGLOON
116	JHULAS
117	MANDI
118	MANKOTE
119	MENDHAR
120	POONCH
121	SURANKOTE
S.NO.	DISTRICT : KISHTWAR
122	DULHASTI
123	KISHTWAR
S.NO.	DISTRICT :BANDIPORA
124	ARAGAM
125	ARINDARDPORA
126	ASHTINGOO
127	BANDIPORA
128	DAWAR GUREZ
129	HAJIN
130	NADHIHAL
131	NOWGAM SONAWARI
132	QUILMUQAM
133	SUMBAL
134	WATPORA
S.NO.	DISTRICT: BARAMULLA
135	AGRIKALAN
136	AZADGUNJ
137	BIJHAMA
138	BOMAI
139	BONIYAR
140	BOTINGOO
141	CHANDILORA
142	DOBIWAN
143	DUROO
144	GINGAL
145	GOUSH BUGH
146	HANJIWARA
147	HYDERBEIGH

148	HYGAM
149	JADEED
150	KACHUMUQAM
151	KAKARHAMAM
152	KAMALKOTE
153	KANISPORA
154	KHANPETH
155	KHANPORA
156	KHORSHERABAD
157	KRANKSHIVAN
158	KUNZER
159	M.B. SOPORE
160	MIRGUND
161	MODEL TOWN NOORBAGH
162	NEHALPORA
163	N. C SOPORE
164	OGMUNA
165	OTHOORA
166	PALHALAN
167	PATHLA
168	PATTAN
169	PEERNIYA
170	PRINGAL
171	REBAN
172	SANGRAMA
173	SEER JAGIR
174	SHEERI BARAMULLA
175	SHEERPORA
176	SINGHPORA KALAN
177	TANGMARG
178	TILGAM
179	TREGPORA
180	TUJAR-SHARIEF
181	UMER MARKET
182	URI
183	WAGOORA
184	WAGUB SOPORE
185	WAILU KRALPORA
186	WARPORA

187	WATERGAM
S.NO.	DISTRICT: GANDERBAL
188	SAFAPORA
S.NO.	DISTRICT: KUPWARA
189	BAGH BELLA
190	CHOWKIBAL
191	CHOGAL
192	DRUGMULLA
193	GULGAM
194	HANDWARA
195	KALAMABAD
196	KANDI KARNAH
197	KANTHIPORA
198	KHUMRIYAL
199	KRALGUND
200	KRALPORA
201	KUPWARA
202	LADERWAN
203	LALAPORA
204	NATNUSSA
205	NOWGAM
206	PHUROPETH
207	POSHWAN
208	TADD
209	TARATHPORA
210	VILGAM
211	YUNISOO
S.NO.	DISTRICT: SRINAGAR
D212	PANZINARA
S.NO.	DISTRICT: LEH
213	CHUCHOT YAKMA
214	LEH
215	SPITUK
S.NO.	DISTRICT: KARGIL
216	KARGIL
EXTENSION COUNTERS	
S.NO.	DISTRICT: SRINAGAR
1	SHALTANG



16^{वां} वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25

शुभकामनाओं सहित:-

श्री संजय गुप्ता

अध्यक्ष

जे एण्ड के ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय : नरवाल, जम्मू (जम्मू-कश्मीर)



अनुक्रमणिका

1. निदेशक मण्डल
2. प्रबन्धक टीम (दल)
3. जे एड के ग्रामीण बैंक एक विहंगम दृष्टि में
4. निदेशक मण्डल की रिपोर्ट
5. अंकेक्षक की रिपोर्ट
6. तुलन-पत्र
7. लाभ-हानि लेखा
8. अनुसूची
9. शाखाओं की सूची

अध्यक्ष महोदय की कलम से...

"हमारा सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे सबसे कठिन समय में ही होता है। जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक में, हम चुनौतियों को विकास के उत्प्रेरक में और दृढ़ता को प्रगति में बदलते हैं।"

मुझे आपके समक्ष वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए जेएंडके ग्रामीण बैंक की 16वीं वार्षिक रिपोर्ट बैंक के वित्तीय विवरणों, इसके प्रदर्शन और वित्तीय वर्ष के दौरान हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। वर्षों से, जेएंडके ग्रामीण बैंक आशा की किरण बनकर खड़ा रहा है, अनगिनत लोगों के जीवन को सशक्त बना रहा है, उनके सपनों को संजो रहा है और करुणा एवं समर्पण के साथ अंतिम छोर तक पहुँचा है। मैं इस अवसर पर बैंक के समग्र विकास में उनके निरंतर सहयोग के लिए सभी हितधारकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

बैंकिंग उद्योग तेज़ी से बदलाव के दौर से गुज़र रहा है—नवाचार, बढ़ती अपेक्षाओं और व्यापक समावेशन की मांग से प्रेरित। हम इस बदलाव को और मज़बूत और भविष्य के लिए तैयार होने के अवसर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं।

परिचालन पदचिह्न

बैंक का परिचालन क्षेत्र, केन्द्र शासित जम्मू और कश्मीर के ग्यारह (11) जिलों और केन्द्र, शासित लद्दाख के दो (2) जिलों को कवर करता है, जिसमें 216 नियमित शाखाएं, 1 सेवा शाखा, 1 विस्तार काउंटर और 7 आरओ के साथ कठिन इलाके और पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं।

बैंक का प्रदर्शन – मजबूत वित्तीय वृद्धि

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 11.60% की वृद्धि दर्ज करते हुए व्यवसाय मिश्रण ₹ 10450.25 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें जमा में 10.32% और अग्रिमों में 13.59% की वृद्धि हुई है। बैंक की कुल जमा राशि 31 मार्च 2024 को ₹5710.15 करोड़ से 31 मार्च 2025 तक ₹6299.36 करोड़ तक ₹589.21 करोड़ बढ़कर ₹6299.36 करोड़ हो गई है। जबकि, बैंक की अग्रिम राशि 31 मार्च 2024 को ₹3654.18 करोड़ से ₹496.71 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2025 तक ₹4150.89 करोड़ हो गई, जो 13.59% की वृद्धि दर्ज करती है। बैंक का सीआरएआर, जो 31 मार्च 2022 को नकारात्मक था (अर्थात, -2.31%), मार्च 2025 में 9.45% तक सुधर गया, जो 9% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता को पार कर गया।

परिसंपत्ति गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

ज़िम्मेदार उधार और सक्रिय वसूली के प्रति हमारी प्रतिबद्धता फलदायी रही है। सकल एनपीए 31 मार्च 2024 के 4.07% से घटकर 31 मार्च 2025 तक 3.80% हो गया। शुद्ध एनपीए 31 मार्च 2024 के 1.28% से घटकर 31 मार्च 2025 तक 1.25% हो गया। यह सुधार हमारे व्यापक वसूली ढाँचे और लक्षित पहलों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित था - जिसमें विशेष ओटीएस-2024, कर्ज़ समाधान अभियान, ऑपरेशन ज़ीरो, क्लीन स्वीप और रिकवरी स्टॉर्म शामिल हैं - ने जमीनी स्तर पर वसूली को और तेज़ कर दिया है।

डिजिटल परिवर्तन और नवाचार

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, जेएंडके ग्रामीण बैंक ने परिचालन दक्षता, ग्राहक सुविधा और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण प्रगति की। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में सफल माइग्रेशन था, जिसने वास्तविक समय की बैंकिंग क्षमताओं, मापनीयता और डेटा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझते हुए, हमने अपनी डिजिटल यात्रा को तेज किया। हमने पूरे नेटवर्क में UPI क्यूआर भुगतान सुविधाएं शुरू कीं और खाते की निगरानी के लिए इंटरनेट बैंकिंग (केवल देखने का मोड) की शुरुआत की, और टैप एंड पे की सुविधा के साथ संपर्क रहित डेबिट कार्ड जारी किए, जिससे बिना किसी भौतिक कनेक्शन के भुगतान अधिक सुविधाजनक हो गया। वीडियो केवाईसी (v-KYC) प्लेटफॉर्म को सहज ऑन-बोर्डिंग के लिए अपग्रेड किया गया। प्रमुख डिजिटल पहलों में ऋण उत्पत्ति प्रणाली, अधिदेश प्रबंधन प्रणाली, एसएमए ट्रेकर और एएलएम रिपोर्टिंग का स्वचालन शामिल था। बैंक ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत डिजिटल नामांकन और दावों के लिए अपना जन सुरक्षा पोर्टल भी लॉन्च किया। ये नवाचार हमारे परिचालनों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और ग्राहकों को तेज, अधिक सुविधाजनक सेवाओं से सीधे लाभान्वित कर रहे हैं।

परिचालन सुधार और उत्कृष्टता

हमने पूरे बैंक में अपने शासन और प्रक्रियाओं को मज़बूत किया। सभी शाखाओं में एक पूर्ण समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली लागू की गई, जिससे सतर्क निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित हुआ। हमने सीबीएस-स्तरीय नियंत्रण जाँच को सुदृढ़ किया और प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) लागू कीं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और परिचालन जोखिम कम हुआ। हमने लेखा परीक्षा टीमों के लिए एक पूरी तरह से कागज़ रहित आंतरिक निरीक्षण प्लेटफॉर्म भी विकसित किया।

आगे का रास्ता

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान डिजिटल सेवाओं का दूर-दराज़ के इलाकों तक विस्तार, ऋण अनुशासन को मज़बूत करने, किसानों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और स्वचालन एवं विश्लेषण के माध्यम से परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। जेएंडके ग्रामीण बैंक में, हम केवल वित्तीय विकास पर नज़र नहीं रख रहे हैं—हम जीवन बदल रहे हैं, हर उस घर में सम्मान और आशा ला रहे हैं जिससे हम जुड़े हैं। ये उपलब्धियाँ हमारे कर्मचारियों के समर्पण और हमारे ग्राहकों व हितधारकों के विश्वास को दर्शाती हैं। हम इस विश्वास को और मज़बूत करते रहेंगे, अधिक मूल्य प्रदान करते रहेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अखंडता पर आधारित संबंधों को पोषित करते रहेंगे।



जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक पर एक नज़र

वित्त वर्ष 2023-24

₹ 3654.18
करोड़

₹ 5710.15
करोड़

₹ 9364.33
करोड़

63.99 %

4.07 %

1.28 %

44.74 %

अग्रिम

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि - 13.59%

जमा

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि - 10.32%

व्यापार

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि - 11.60%

सीडी अनुपात

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि - 190 बीपीएस

जीएनपीए

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि - (27 बीपीएस)

एनएनपीए

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि - (3 बीपीएस)

कासा

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि - 7 बीपीएस

वित्त वर्ष 2024-25

₹ 4150.89
करोड़

₹ 6299.36
करोड़

₹ 10450.25
करोड़

65.89 %

3.80 %

1.25 %

44.81 %

बैंक का संक्षिप्त विवरण

- जे एंड के ग्रामीण बैंक 30 जून, 2009 को अस्तित्व में आया, जब भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 23 ए की उपधारा (i) के तहत वैधानिक अधिसूचना जारी की गई, जिससे दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अर्थात् जम्मू ग्रामीण बैंक और कामराज ग्रामीण बैंक, जो दोनों जेएंडके बैंक द्वारा प्रायोजित थे और जो पहले जम्मू-कश्मीर राज्य में कार्यरत थे, को "जेएंडके ग्रामीण बैंक" के नाम से एक एकल आरआरबी में विलय कर दिया गया, जिसका मुख्यालय जम्मू में है और जिसने 01.07.2009 से कारोबार शुरू कर दिया है।
- बैंक का परिचालन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के ग्यारह (11) ज़िलों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो (2) ज़िलों में फैला है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 212 शाखाएँ और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 4 शाखाएँ शामिल हैं। बैंक का मुख्य उद्देश्य दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में आम जनता के लिए बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाना है। 31/03/2025 तक शाखा नेटवर्क का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:



केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जेकेजीबी की शाखाएँ

- बैंक की स्थापना मुख्य रूप से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता को मजबूत करने, ग्रामीण जनता से बचत जुटाने के लिए की गई थी, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पर्याप्त रूप से सेवा नहीं दी गई थी, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना ताकि वे कृषि, कुटीर और लघु उद्योग, खुदरा व्यापार, डेयरी और अन्य संबद्ध गतिविधियों आदि के तहत आर्थिक गतिविधियों को चलाने में सक्षम हो सकें, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिले और अंततः समृद्धि और रोजगार सृजन हो।

ऋण वितरण (ओ/एस) वित्त वर्ष 2024-25

गतिविधि	खातों की संख्या	राशि (करोड़ में)
केसीसी/फसल ऋण	117252	1018.56
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए अन्य सावधि ऋण	9112	123.48
एमएसएमई	34315	886.87
खुदरा व्यापार	22395	860.30
शिक्षा	418	15.55
आवास	3766	275.80
अन्य पी/एस	506	1.35
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	187764	3181.91
गैर-प्राथमिकता क्षेत्र	23946	968.98
कुल	211710	4150.89

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संवितरण राशि करोड़ में



प्रमुख वित्तीय संकेतक

(राशि '000' में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
क.	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक			
1.	कार्यरत किए गए जिलों की संख्या	13	13	13
2.	शाखाओं की संख्या	215	216	216
	क) ग्रामीण	172	167	167
	ख) अर्ध-शहरी	32	35	35
	ग) शहरी	11	14	14
3.	क) जेकेजीबी की कर्मचारी संख्या	1149	1217	1196
	ख) प्रायोजक बैंक से प्रतिनियुक्ति पर	12	9	8
	ग) कुल कर्मचारी संख्या	1161	1226	1204
	घ) जिनमें से अधिकारी (जेकेजीबी)	725	768	778
4.	जमा	52687645	57101504	62993603
	वृद्धि प्रतिशत	10.50 %	8.38 %	10.32%
5.	पुनर्वित्त शेष (नाबार्ड)	4133411	5963866	7064017
	वृद्धि प्रतिशत	26.19 %	44.28%	18.45%
6.	सकल ऋण और अग्रिम बकाया	32445404	36541825	41508855
	वृद्धि प्रतिशत	12.71%	12.63%	13.59%
	उपरोक्त 6 में से, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण	25954540	28456404	31819047
	उपरोक्त 6 में से, गैर-प्राथमिकता वाले ऋण	6490864	8085421	9689808
7.	सी डी अनुपात	61.58 %	63.99%	65.89%
8.	निवेश बकाया	10770996	11237811	11221698
	वृद्धि प्रतिशत	17.11%	4.33%	-0.14%
	एसएलआर निवेश बकाया	10720996	11187811	11221698
	गैर-एसएलआर निवेश बकाया	50000	50000	-
ख.	औसत			
9.	औसत जमा	48721498	53800827	58511770
10.	औसत पुनर्वित्त	3392657	3480933	5789283
11.	औसत सकल ऋण और अग्रिम	30214109	33623426	37974290
12.	औसत निवेश (एफडी सहित)	22038190	24434225	27924375
13.	औसत कार्यकारी निधि	55497788	61540371	69775349

ग.	वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋण:	2022-23	2023-24	2024-25
14.	वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋण	20319748	22814014	23914847
	वृद्धि प्रतिशत	21.75%	12.27%	4.83%
	उपरोक्त 14 में से, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण	16587462	18467748	18993500
	उपरोक्त 14 में से, गैर-प्राथमिकता वाले ऋण	3732286	4346266	4921347
घ.	उत्पादकता			
15.	क) प्रति शाखा व्यवसाय	395968	433534	483808
	बी) प्रति कर्मचारी व्यवसाय	73327	76381	86796
ड.	रिकवरी प्रदर्शन			
16.	कुल मांग	19749496	22647878	25649109
17.	वसूली	13989507	15563476	17315778
18.	अतिदेय	5759990	7084402	8333331
19.	रिकवरी प्रतिशत (जून स्थिति)	71%	69%	68%
च.	कृषि क्षेत्र			
20.	माँग	11843997	13241699	14056780
21.	वसूली	8522565	9329261	10064781
22.	अतिदेय	3321349	3912438	3991999
	रिकवरी प्रतिशत (जून स्थिति)	72%	70%	72%
छ.	गैर-कृषि क्षेत्र			
23.	माँग	7905499	9406179	11592329
24.	वसूली	5466942	6234215	7250997
25.	अतिदेय	2438641	3171964	4341332
26.	रिकवरी प्रतिशत (जून स्थिति)	69%	66%	63%
ज.	परिसंपत्ति वर्गीकरण			
27.	क) मानक	30970272	35054786	39931860
	ख) उप-मानक	214258	217339	288648
	ग) संदिग्ध	1024661	1079446	1119270
	घ) हानि	236213	190254	169077
	कुल	32445404	36541825	41508855

28.	मानक परिसंपत्तियाँ प्रतिशत सकल ऋण और अग्रिम संचालन/सेवाओं के रूप में	95%	96%	96%
झ.	लाभप्रदता विश्लेषण	2022-23	2023-24	2024-25
29.	प्रदत्त ब्याज	1976963	2577368	2927987
	क) जमा			
	ख) उधार	148113	167174	356137
30.	वेतन	1259799	1316719	1954693
31.	अन्य परिचालन व्यय	537219	679688	598552
ज.	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान			
32.	क) एनपीए का प्रावधान	84067	162881	86158
	ख) मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध COVID-19 प्रावधान	-	-	-
	ग) तदर्थ वेतन संशोधन के विरुद्ध	53300	257200	119621
	घ) पेंशन प्रावधान के विरुद्ध	1176109	118400	342000
	ड) अन्य प्रावधान	74321	5160	13435
33.	प्राप्त ब्याज	2864076	3323951	3693771
	क) ऋण और अग्रिम			
	बी) एसएलआर/गैर एसएलआर/एफडीआर निवेश	1418502	1798079	2138571
34.	विविध आय	306914	348868	388799
35.	करों से पहले शुद्ध लाभ/हानि	-720399	173508	-177442
36.	कर व्यय (डीटीए सहित)	204126	-135902	49931
37.	शुद्ध लाभ/हानि	-516273	37606	-127511
ट.	अन्य सूचना			
38.	प्रदत्त पूंजी	971630	5894425	5894425
39.	शेयर पूंजी जमा	2877956	--	--

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2024-25

1. प्रदर्शन पर एक नज़र :-

- बैंक का कुल कारोबार एक और ऊंचाई पर पहुंच गया और 31.03.2025 तक ₹ 10450.25 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के अंत की तुलना में ₹ 1085.92 करोड़ की वृद्धि दर्ज करता है।
- बैंक की कुल जमा राशि 31 मार्च 2024 को ₹5710.15 करोड़ से ₹589.21 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2025 तक ₹6299.36 करोड़ हो गई है, जो 10.32% की वृद्धि दर्ज करती है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जमा राशि की लागत पिछले वर्ष की तुलना में 5% रही, अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह 4.79% थी।
- बैंक का अग्रिम 31 मार्च 2024 को ₹3654.18 करोड़ से ₹496.71 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹4150.89 करोड़ हो गया, जो 13.59% की वृद्धि दर्ज करता है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम पर प्रतिफल वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 9.89% की तुलना में 9.73% रही।
- 31 मार्च, 2025 तक प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹3181.91 करोड़ था, जो कुल अग्रिम का 76.66% था।
- कुल अग्रिमों में कृषि अग्रिमों का प्रतिशत 27.51% रहा, जो निर्धारित मानदंडों से काफी अधिक है।
- बैंक का ऋण जमा अनुपात 31 मार्च 2024 को 63.99% से बढ़कर 31.03.2025 को 65.89% हो गया है, जिसमें 190 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक का CASA प्रतिशत 44.81% रहा।
- बैंक का शुद्ध एनपीए 31/03/2025 को ₹50.51 करोड़ रहा, जबकि 31/03/2024 को यह ₹45.45 करोड़ था। शुद्ध अग्रिमों के सापेक्ष शुद्ध एनपीए का प्रतिशत 31/03/2024 के 1.28% से घटकर 31/03/2025 को 1.25% हो गया।
- बैंक का सकल एनपीए 31.03.2025 को ₹157.70 करोड़ रहा, जबकि 31.03.2024 को यह ₹148.70 करोड़ था। बैंक का सकल एनपीए प्रतिशत 31.03.2024 को 4.07% से घटकर 31.03.2025 को 3.80% हो गया।
- बैंक का प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2025 को 75.09% रहा, जबकि 31/03/2024 को यह 76.60% था।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹2391.48 करोड़ के ऋण वितरित किए गए, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹2281.40 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था।
- 31/03/2025 तक बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.65% था।
- **बैंक का सीआरएआर 31.03.2025 को 9.45% रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 11.21% था।**

2. शेयर पूंजी:-

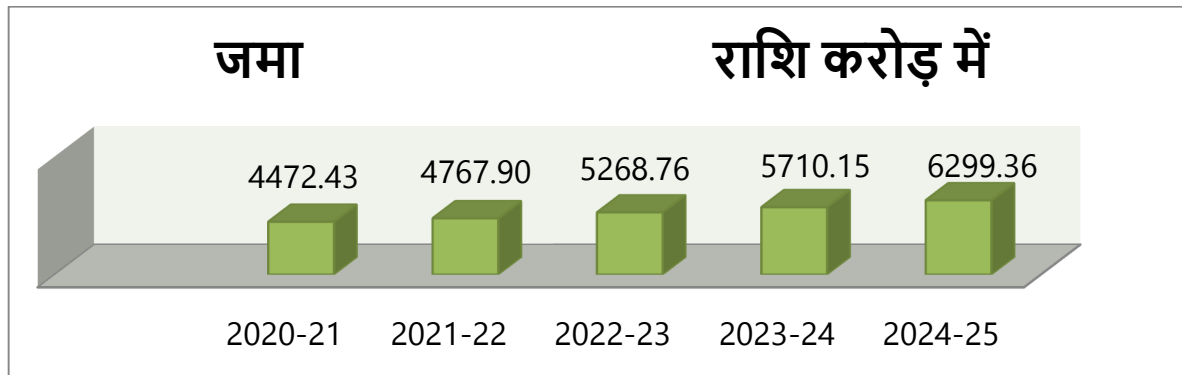
- 31.03.2025 तक बैंक की अधिकृत पूंजी ₹2000 करोड़ (₹10 प्रति शेयर के 200 करोड़ शेयर) है।
- बैंक की चुकता शेयर पूंजी ₹ 589.44 करोड़ (₹ 10 प्रति शेयर के 589442464 शेयर) है। 31 मार्च 2025 तक चुकता शेयर पूंजी का विवरण इस प्रकार है:

करोड़ में राशि

विवरण	भारत सरकार का हिस्सा	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार का हिस्सा	शेयर जेएंडके बैंक (प्रायोजक बैंक)	कुल
चुक्ता शेयर पूंजी	₹ 294.72	₹ 88.42	₹ 206.30	₹ 589.44

3. जमा: -

बैंक की कुल जमा राशि 31 मार्च 2024 को ₹5710.15 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 तक ₹6299.36 करोड़ हो गई है; जो 10.32% की वृद्धि दर्शाता है। जमा राशि की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:



- 31 मार्च, 2025 तक, CASA जमा कुल जमा का 44.81% था, जबकि 31 मार्च 2024 को यह 44.74% था। जमा खातों की कुल संख्या 31.03.2024 को 1694570 से बढ़कर 31.03.2025 को 1746419 हो गई। प्रति शाखा औसत जमा 2023-24 के दौरान ₹26.44 करोड़ की तुलना में 2024-25 के दौरान बढ़कर ₹29.16 करोड़ हो गई।

नई पहल: -

- स्टेशनरी प्रबंधन अनुप्रयोग:**
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 29.04.2024 से नया स्टेशनरी प्रबंधन एप्लिकेशन लॉन्च किया गया, जिससे हम अपनी इन्वेंट्री प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकेंगे और सभी शाखाओं/कार्यालयों में इन्वेंट्री का रिकॉर्ड बनाए रख सकेंगे।
- "एसबी चैप" बचत बैंक खाता योजना:**
एसबी चैप बचत बैंक खाता योजना को 19.08.2024 से पुनः शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 10 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के छात्रों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- इक्विफैक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठजोड़ :**
चालू खाता खोलने के इच्छुक ग्राहक द्वारा प्राप्त एक्सपोजर की मात्रा का आकलन करने के लिए, हमने इक्विफैक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया, जिससे संभावित ग्राहक द्वारा प्राप्त एक्सपोजर की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक उपकरण उपलब्ध हो गया।

4. उधार/पुनर्वित्त/ऋण: -

बैंक ने वर्ष के दौरान अपने संसाधनों को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करके नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए नाबार्ड/प्रायोजक बैंक से आवश्यकता-आधारित पुनर्वित्त/उधार प्राप्त किया। नाबार्ड से प्राप्त पुनर्वित्त का पुनर्भुगतान नियमित, शीघ्र और उनकी पुनर्भुगतान अनुसूची/अनुसूची के अनुसार नियत तिथियों के भीतर किया गया। वर्ष के दौरान स्वीकृत, प्राप्त और पुनर्भुगतान किए गए पुनर्वित्त/उधारों की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि 000 में)						
क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 तक बकाया शेष	2024-25 के दौरान स्वीकृत धनराशि	2024-25 के दौरान प्राप्त धनराशि	2024-25 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2025 तक बकाया शेष
क	नाबार्ड	5963866	5612181	5612181	4512031	7064016
ख	जम्मू एवं कश्मीर बैंक	116677	1200000	1045000	1045000	116677
ग	एनएसएफडी सी	5470	0	0	1683	3787
कुल क+ख+ग :		6086013	6812181	6657181	5558714	7184480

5. डीआईसीजीसी दावे :-

बैंक जमा बीमा के संबंध में नियमित रूप से नियत तिथि पर डीआईसीजीसी को प्रीमियम का भुगतान कर रहा है।

6. बैंकों के पास नकदी और शेष :-

- बैंक ने प्रत्येक शाखा के लिए मात्रा और व्यवसाय मिश्रण के आधार पर नकदी धारण सीमा निर्धारित की है। नकदी धारण सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान बैंक द्वारा धारित नकदी और औसत नकदी शेष का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि 000 में)		
विवरण	2023-24	2024-25
शेष नकदी	65964	79915
वर्ष के दौरान औसत नकदी	99845	94937
औसत जमा के % के रूप में औसत नकदी	0.19	0.16

- पिछले दो वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक और जेएंडके बैंक सहित वाणिज्यिक बैंकों के पास बैंक के चालू खाते में शेष राशि और उस पर अर्जित ब्याज नीचे दिया गया है:

(राशि 000 में)		
विवरण	2023-24	2024-25
आरबीआई के चालू खाते में शेष राशि	2531188	2441193
प्रायोजक बैंक सहित वाणिज्यिक बैंकों के चालू खाते में शेष राशि	84107	93042
प्रायोजक बैंक सहित अन्य वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा राशि	17319443	18753514
सावधि जमा आदि पर अर्जित ब्याज।	992208	1330049

7. निवेश :-

31 मार्च 2025 तक बैंक का सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में कुल निवेश ₹112217 लाख था। निवेश का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि लाखों में)

वित्तीय वर्ष	कुल निवेश	एसएलआर निवेश	गैर-एसएलआर बांड
2022-23	107710	107210	500
2023-24	112378	111878	500
2024-25	112217	112217	0
वित्तीय वर्ष	अर्जित कुल ब्याज	एसएलआर निवेश पर ब्याज	गैर-एसएलआर बॉन्ड पर ब्याज
2022-23	6878	6830	48
2023-24	8058	8010	48
2024-25	8085	8040.65	44.35

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएलआर प्रतिभूतियों के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित। प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूतियों के शेष जीवनकाल में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आनुपातिक रूप से किया गया है। प्रीमियम का परिशोधन 'निवेश पर आय' शीर्षक के अंतर्गत आय में समायोजित किया जाता है।
- गैर-एसएलआर श्रेणी के अंतर्गत निवेश का मूल्यांकन 'मार्क टू मार्केट' मानदंडों के तहत किया जाता है और मूल्यहास के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

स्थानांतरण मूल्य तंत्र:

बैंक ने दोहरी अंतरण मूल्य प्रणाली अपनाई है जिसके अंतर्गत मुख्यालय द्वारा शाखाओं से उधार ली गई धनराशि तथा शाखाओं द्वारा मुख्यालय से उधार ली गई धनराशि पर ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

- ❖ शाखाओं से मुख्यालय द्वारा उधार ली गई धनराशि पर देय ब्याज – 6%
- ❖ शाखाओं द्वारा मुख्यालय से उधार ली गई धनराशि पर देय ब्याज – 7%

8. वित्तीय अनुपात: -

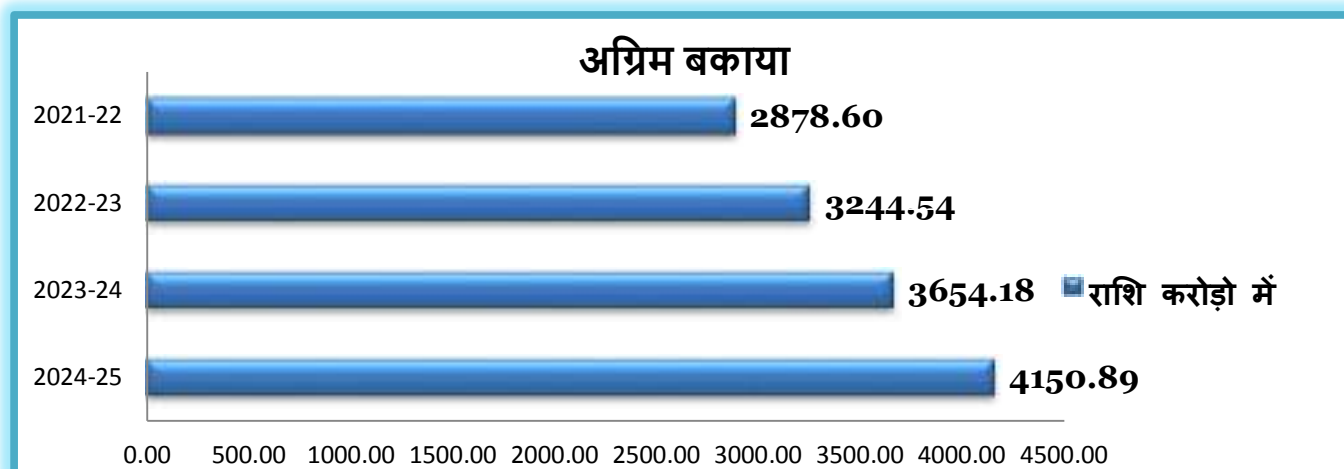
क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25
1	औसत कार्यशील निधियाँ (000 में)	69775349
2	वित्तीय प्रतिफल	8.36
3	वित्तीय लागत	4.71
4	वित्तीय मार्जिन	3.65
5	परिचालन लागत	4.32

6	विविध आय	0.56
7	परिचालन मार्जिन	-0.11
8	जोखिम लागत	0.14
9	शुद्ध मार्जिन	-0.25

9. क्रेडिट पोर्टफोलियो :-

बैंक ने परिसंपत्ति गुणवत्ता बढ़ाने के अपने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को जारी रखा और ऋण प्रवाह में तेजी लाने के लिए कुछ नई ऋण योजनाएँ शुरू कीं और कुछ मौजूदा योजनाओं में संशोधन किया। इसके अलावा, बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा को मात देने के उद्देश्य से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दरों को समय-समय पर संशोधित/प्रतिस्पर्धी बनाया गया। विविध आर्थिक/विकासात्मक गतिविधियों में निधियों का निवेश करके ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। 31 मार्च 2025 तक बकाया अग्रिमों की क्षेत्रवार और गतिविधिवार स्थिति नीचे विस्तार से दी गई है:

(राशि 000 में)			
क्र. सं.	विवरण	खातों की संख्या	राशि
1	फसल ऋण	117252	10185575
2	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए सावधि ऋण	9112	1234827
3	ग्रामीण कारीगर/लघु उद्योग/ग्राम उद्योग	28753	5538974
4	परिवहन	4361	3071475
5	व्यापार और लघु व्यवसाय	23594	8861073
6	आवास ऋण	4637	4305287
7	अन्य	24001	8311644
8	कुल	211710	41508855



बकाया अग्रिम (राशि करोड़ में)

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बेचे गए पीएसएलसी का अंकित मूल्य ₹494 करोड़ था और बैंक ने पीएसएलसी की बिक्री पर ₹10.19 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया है।

10. ऋण वितरण:-

बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण देने पर अपना जोर जारी रखा है और इस क्षेत्र में ₹1899.35 करोड़ का ऋण वितरित किया है, जो 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुल ₹2391.48 करोड़ के संवितरण का 79.42% है। बैंक ने कृषि क्षेत्र में ₹739.26 करोड़ का संवितरण किया है, जो प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत किए गए कुल संवितरण का 38.92% है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान गतिविधि-वार संवितरण नीचे दिए गए हैं:

(राशि 000 में)			
क्र. सं.	विवरण	खातों की संख्या	राशि
1.	फसल ऋण / केसीसी	85279	6818568
2.	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए सावधि ऋण	2531	574071
3.	ग्रामीण कारीगर/लघु उद्योग/ग्राम उद्योग	15478	2664454
4.	परिवहन	1133	1275746
5.	व्यापार और लघु व्यवसाय	18952	6935092
6.	आवास ऋण	1007	1079143
7.	अन्य उद्देश्य	10145	4567772
	कुल	134525	23914846

11. आईआरएसी मानदंड:

बैंक ने अपनी परिसंपत्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वर्गीकृत किया है। 31.03.2025 तक परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि 000 में)			
परिसंपत्तियों का वर्गीकरण	संपत्ति की राशि	आरबीआई द्वारा अपेक्षित प्रावधान	बैंक द्वारा किया गया प्रावधान
क) स्टैण्डर्ड	39931860	120629	120670
ख) उप-स्टैण्डर्ड	288648	42142	42142
ग) संदिग्ध	1119270	784614	864194
घ) हानि संपत्ति	169077	165563	165563
कुल	41508855	1112948	1192569

(प्रावधान शुद्ध अग्रिम पर किया गया है, अर्थात सब्सिडी को घटाकर)

12. एनपीए प्रबंधन:-

- बैंक का सकल एनपीए 31.03.2025 तक 157.70 करोड़ रुपये था और बैंक का शुद्ध एनपीए 31.03.2025 तक 50.51 करोड़ रुपये था।
- कुल अग्रिमों में सकल एनपीए प्रतिशत 31.03.2024 के 4.07 प्रतिशत से घटकर 31.03.2025 को 3.80 प्रतिशत हो गया। जबकि शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए प्रतिशत 1.28 प्रतिशत से घटकर 1.25 प्रतिशत हो गया।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	2024-25
1.	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एनपीए	14870.39
2.	वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि	3688.17
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली	2320.96
4.	घटाएँ: तकनीकी राइट ऑफ	467.65
5.	वित्तीय वर्ष के अंत में एनपीए (सकल)	15769.95
6.	शुद्ध एनपीए (प्रावधानों के बाद शुद्ध)	5050.97
7.	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	3.80%
8.	शुद्ध अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध एनपीए	1.25%

एनपीए प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरण: -

- **मौजूदा एनपीए वसूली नीति-2022 में संशोधन कर इसे एनपीए वसूली नीति-2025 नाम दिया गया**

एनपीए वसूली नीति एक बहुआयामी वसूली नीति है जिसका उद्देश्य सभी परिचालन स्तरों पर वसूली के विभिन्न उपकरणों और विधियों से संबंधित जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराना, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के प्रबंधन और वसूली की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में गिरावट को रोकने के लिए सक्रिय पहल शुरू करना है। हालाँकि, समय बीतने और नई उभरती चुनौतियों के साथ, इस नीति के दायरे को और व्यापक बनाने और इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

इस संबंध में, बैंक ने नीचे उल्लिखित पैरा को संशोधित/प्रवर्तित किया है:

- क) एसएआरएफईएसआई कार्रवाई समयसीमा और विस्तृत एसओपी को मार्गदर्शन नोट के माध्यम से एनपीए वसूली नीति का हिस्सा बनाया गया, जिसे अन्यथा एक अलग परिपत्र के रूप में जारी किया गया था।
- ख) गैर-पता लगाने योग्य वाहनों के लिए एसओपी को मार्गदर्शन नोट के माध्यम से एनपीए वसूली नीति का हिस्सा बनाया गया, जिसे अन्यथा एक अलग परिपत्र के रूप में जारी किया गया था।
- ग) विभिन्न स्तरों पर ऋणों की माफी/माफी/बट्टे खाते में डालने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन

- **रिकवरी टीमें :**

एनपीए वसूली में विशेषज्ञता रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की वसूली टीम का गठन मुख्यालय के साथ-साथ जीएमओ (के) में किया गया है, जो एनपीए खातों की वसूली और उन्नयन के लिए सभी परिचालन स्तरों पर निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई और आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

क्षेत्रीय कार्यालयों में वसूली टीमों को भी अतिरिक्त कर्मचारी आवश्यकतानुसार वसूली वाहन आदि उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया गया है, जिनका उपयोग विशेष रूप से एनपीए वसूली के लिए किया जा रहा है। एनपीए में

कमी लाने के लिए जमीनी स्तर पर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है और शीर्ष प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर वसूली की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

- **एसएआरएफआईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वसूली:**

बैंक ने SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत चूककर्ता उधारकर्ताओं और उनके गारंटर्स को 483 नोटिस जारी किए हैं और 27.68 करोड़ रुपये की वसूली प्रभावित हुई है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक 21.30 करोड़ रुपये की राशि के लिए 222 खातों का पूर्ण निपटान शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत चूककर्ता उधारकर्ताओं और उनके गारंटर्स को 34 नोटिस जारी किए हैं और 42 खाते बंद कर दिए गए हैं, जिससे 4.86 करोड़ रुपये की वसूली प्रभावित हुई है।

- **चल संपत्ति (वाहन) की जब्ती और बिक्री नीति:**

बैंक के पास गिरवी रखे गए वाहन/वाहनों की जब्ती और बिक्री के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू कर दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक 284 वाहन जब्त किए गए हैं, जिससे कुल 6.94 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 25 वाहन जब्त किए गए और वाहनों की जब्ती और बिक्री से कुल 85.69 लाख रुपये की वसूली हुई।

- **एकमुश्त निपटान (ओटीएस):**

- सभी परिचालन स्तरों को बातचीत से समाधान (ओटीएस) योजना के तहत सबसे योग्य मामलों में पुराने/गंभीर एनपीए मामलों के निपटान हेतु विवेकाधीन शक्तियाँ सौंपी गई हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 12.66 करोड़ रुपये की वसूली से संबंधित 1548 मामलों को बंद/निपटारा है।

- **विशेष एकमुश्त निपटान योजना-2024**

टैगलाइन: कर्ज से मुक्ति, तनाव से मुक्ति

बैंक द्वारा "जेकेजीबी विशेष एकमुश्त निपटान योजना, 2024" शुरू की गई है जिसे बैंक के माननीय निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी है। बैंक में पहली बार विशेष एकमुश्त निपटान योजना 2024 के तहत कुछ श्रेणियों के एनपीए खातों में मूलधन माफी की अनुमति दी जा रही है, जिसका उद्देश्य पुराने एनपीए के समाधान, वसूली और कमी के लिए एक सौहार्दपूर्ण और प्रभावी मार्ग तैयार करना है। इस योजना के तहत बैंक ने 19.66 करोड़ रुपये की राशि वाले 2363 खातों को मंजूरी दी है।

- **कर्ज समाधान अभियान:**

इस अल्पकालिक अभियान को शुरू करने का उद्देश्य जेकेजीबी की चल रही विशेष एकमुश्त निपटान योजना को बढ़ावा देना था। यह अभियान अल्पकालिक था।

लक्ष्य: अभियान के दौरान शाखाओं को सलाह दी गई कि वे 28.02.2025 तक के एनपीए आंकड़ों के आधार पर अपने एनपीए पोर्टफोलियो में कुल एनपीए मामलों के न्यूनतम 10% को ओटीएस के तहत अपग्रेड/बंद/स्वीकृत करें।

परिणाम: पात्र शाखाओं के परिणामस्वरूप 04-03-2025 से 13-03-2025 तक (10 दिनों के भीतर) कुल 587 एनपीए खातों में कमी आई है।

- **ऑपरेशन जीरो:**

एक स्वस्थ परिसंपत्ति पोर्टफोलियो बनाए रखने और बैंक की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, एनपीए की वसूली के प्रयासों के अलावा, एक और सक्रिय कदम उठाने का निर्णय लिया गया। बैंक ने एनपीए मुक्त शाखाओं की संख्या बढ़ाने का इरादा किया और "ऑपरेशन जीरो" शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत बैंक ने उन संभावित शाखाओं की पहचान की है जिनका एनपीए 10 लाख (28 शाखाएँ) तक है और जिन्हें 31.03.2025 तक एनपीए मुक्त कर दिया जाएगा।

- Z - शून्य NPA**
- E - सभी कर्मचारियों को शामिल करना**
- R - 100% वसूली करना**
- O - एकमुश्त निपटान**

तदनुसार बैंक तीन और शाखाओं अर्थात पल्लनवाला, सोलकी और जंद्राह को एनपीए मुक्त बनाने में सक्षम रहा।

■ ऑपरेशन क्लीन स्वीप :

आईएपीएम ने बैंकों द्वारा वित्तपोषित और एनपीए वाहनों को कुशलतापूर्वक जब्त करने और उनकी वसूली के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप-वाहन जब्ती अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान कुल 69 वाहनों को जब्त, बंद, अपग्रेड या ओटीएस के तहत निपटाया गया।

■ ऑपरेशन रिकवरी स्टॉर्म

इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी शाखाएं जेकेजीबी विशेष एकमुश्त निपटान योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करेंगी।

लक्ष्य: अभियान के दौरान शाखाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि 15.03.2025 तक के एनपीए आंकड़ों के संबंध में शुद्ध एनपीए को दिन-प्रतिदिन के आधार पर कम किया जाए।

परिणाम: कुल 182 पात्र शाखाओं में से 35 शाखाएं इस ऑपरेशन के अंतर्गत योग्य पाई गईं:

कुल पात्र शाखाएँ	टियर-I के अंतर्गत योग्य	टियर-II के अंतर्गत योग्य	टियर - III के अंतर्गत योग्य
182	12	15	8

ख) वित्तीय समावेशन और बीमा व्यवसाय:-

ग्रामीण जनता के बीच अधिक वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंक के पास हमारे बैंक को आवंटित विभिन्न गांवों में **31-03-2025 तक कुल 375 बीसी** का एक मजबूत नेटवर्क है। वित्तीय समावेशन के तहत, बैंक द्वारा 3.00 लाख से अधिक पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं। बैंक ने 16.09.2020 से माइक्रो एटीएम परियोजना लागू की है और आज तक **96 बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट और 67 शाखाएं अपने क्षेत्रों की जनता को माइक्रो एटीएम/ईपीएस सेवाएं दे रही हैं**, जिसके माध्यम से बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में 9.62 लाख रुपये का कमीशन अर्जित किया है। बैंक ने किसानों को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने और नई प्रथाओं के प्रसार और मौजूदा प्रथाओं में सुधार के माध्यम से बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए **201 किसान क्लब** की स्थापना की है। **नाबार्ड के कुशल मार्गदर्शन में, बैंक वित्त वर्ष 2024-25 में 1082 संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को वित्तपोषित करने में सक्षम रहा है**, जिससे नाबार्ड से प्रोत्साहन के रूप में 33.22 लाख रुपये अर्जित हुए हैं।

वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, हमारे बैंक ने 3433 शिविर (अर्थात, 2004 ग्रामीण मासिक एफएलसी शिविर + 881 आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह शिविर और 548 विशेष शिविर (डिजिटल होना) आयोजित किए हैं। इन शिविरों में, दूरदराज के क्षेत्रों के बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के बीच वित्तीय जागरूकता पैदा करने पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित इन शिविरों में 82500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। प्रतिभागियों के बीच सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित बैंक की योजनाओं का विवरण देने वाले पैम्फलेट और अन्य मुद्रित सामग्री भी वितरित की गई।



प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 55291 बचत बैंक खाताधारकों को कवर किया जाएगा।
- प्रारंभ से अब तक 322916 एसबी खाताधारकों को कवर किया गया।
- स्थापना से अब तक 14.22 लाख रुपये कमीशन अर्जित किया गया।
- शुरुआत से अब तक 179 लाख रुपये की राशि के 93 दावों का निपटारा किया गया।



प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 20134 बचत बैंक खाताधारकों को कवर किया जाएगा।
- प्रारंभ से अब तक 130576 एसबी खाताधारकों को कवर किया गया।
- स्थापना से अब तक 88.29 लाख रुपये कमीशन अर्जित किया गया।
- शुरुआत से अब तक 632 लाख रुपये की राशि के 316 दावों का निपटारा किया गया।



अटल पेंशन योजना

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 11408 बचत बैंक खाताधारकों को नामांकित किया गया।
- आरम्भ से अब तक 70592 एसबी खाताधारक नामांकित हुए।
- स्थापना से अब तक 96.69 लाख रुपये कमीशन अर्जित किया गया।
- वित्त वर्ष 2024-25 में पीएफआरडीए से 06 विजेता बुधवार प्रमाण पत्र।

31.03.2025 तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति



31.03.2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना की स्थिति

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जेएलजी और माइक्रो एटीएम के माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अर्जित कुल कमीशन/प्रोत्साहन: 66.39 लाख रुपये।

बीमा व्यवसाय

हम विभिन्न बीमा कंपनियों के साथ अपने बीमा गठजोड़ के माध्यम से बीमा सेवाएँ प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीमाकर्ता-वार जारी/बुक किए गए नए प्रीमियम व्यवसाय और अर्जित सकल कमीशन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	बीमाकर्ता का नाम	बीमा प्रकार	जारी प्रीमियम (राशि लाख रुपये में)	अर्जित कमीशन (राशि लाख रुपये में)
1	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बी ए जी आई सी एल)	गैर-जीवन	1329.31	142.13
2	केयर (पूर्ववर्ती रेलिगेयर) हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (सीएचआईएल)	स्वास्थ्य	461.79	41.88
3	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	ज़िंदगी	951.30	47.31
4	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बी ए एल आई सी)*	ज़िंदगी	0.00	7.30
5	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	ज़िंदगी	0.00	0.34

* पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ केवल नवीनीकरण व्यवसाय ही किया जाता है। इन बीमा कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते समाप्त कर दिए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में एलआईसी माइक्रो-इंश्योरेंस व्यवसाय के माध्यम से 43,593.45 रुपये (वास्तविक आंकड़ों में) की बीमा कमीशन आय भी अर्जित की गई।

वित्त वर्ष 2024-25 में पीएफआरडीए से पुरस्कार/मान्यता/प्रशंसा

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए 06 विजेता बुधवार प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं।

ग) सूचना प्रौद्योगिकी:-

चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने सीबीएस प्लेटफॉर्म को फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है, जो 27 मई 2024 से प्रभावी हुआ है। यह स्थानांतरण परिचालन दक्षता, सुरक्षा और मापनीयता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्नत प्लेटफॉर्म को रीयल-टाइम बैंकिंग सेवाओं की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही निर्बाध परिचालन निरंतरता और उन्नत डेटा स्थानांतरण क्षमताएँ सुनिश्चित करता है।

वित्त वर्ष 24-25 के लिए प्रमुख आईटी पहलों में शामिल हैं:

ऋण उत्पत्ति प्रणाली (एलओएस)

बैंक ने ऋण आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए एक स्वचालित ऋण उत्पत्ति प्रणाली (LOA) लागू की है। यह प्रणाली CRM और क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसियों जैसे उपकरणों के साथ एकीकृत होकर पूरे

ऋण जीवनचक्र में दक्षता और सटीकता में सुधार करती है। इसके अतिरिक्त, यह ऋण आवेदनों पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करके तेज़ निर्णय लेने को सुनिश्चित करती है, जिससे प्रसंस्करण समय में उल्लेखनीय कमी आती है और ग्राहक अनुभव बेहतर होता है।

अधिदेश प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस)

अधिदेश प्रबंधन प्रणाली को अधिदेशों के निर्माण, संशोधन और निरस्तीकरण को स्वचालित और प्रबंधित करने के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह प्रणाली मैनुअल प्रक्रियाओं को समाप्त करने, प्रसंस्करण समय को कम करने और मानवीय त्रुटियों को न्यूनतम करने में प्रभावी रही है। यह पुनर्प्राप्ति प्रबंधन, परिचालन नियंत्रण में सुधार और यह सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सभी अधिदेश-संबंधी कार्य सभी चैनलों पर निर्बाध रूप से संचालित हों।

जन सुरक्षा पोर्टल

बैंक ने पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई योजनाओं के डिजिटलीकरण के लिए जन सुरक्षा पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल संपूर्ण डिजिटल नामांकन और दावा निपटान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा पहलों के तहत ग्राहकों को लाभ मिल रहा है। इस पोर्टल ने न केवल ग्राहकों के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाया है, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाने और दावों के त्वरित निपटान में भी योगदान दिया है, जिससे अंततः ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में सुधार हुआ है।

एसएमए ट्रेकर

विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) की निगरानी को मज़बूत करने के लिए, बैंक ने एसएमए ट्रेकर एप्लिकेशन विकसित और कार्यान्वित किया है। यह ठोस कदम तनावग्रस्त उधारकर्ता खातों की शीघ्र पहचान, समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने और परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। एसएमए की ट्रैकिंग और विश्लेषण को स्वचालित करके, बैंक ने अपने जोखिम प्रबंधन ढाँचे को मज़बूत किया है और शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम है।

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

बैंक ने एएलएम रिपोर्ट को स्वचालित कर दिया है, जो परिसंपत्तियों (ऋण, निवेश, आदि) और देनदारियों (जमा, उधार, आदि) के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। एएलएम मॉड्यूल का उद्देश्य लाभप्रदता को अनुकूलित करना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि बैंक नियामक आवश्यकताओं का पालन करते हुए अपने दायित्वों को पूरा कर सके। इस स्वचालन ने मैनुअल हस्तक्षेप को काफी कम कर दिया है, रिपोर्टिंग में सटीकता में सुधार किया है, और बैंक की तरलता और जोखिम की स्थिति के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता और भी बेहतर हुई है।

घ) डिजिटल चैनल:-

डिजिटल बैंकिंग ने वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य को काफ़ी बदल दिया है। सबसे उल्लेखनीय बदलावों में से एक इसकी सुलभता है, जिससे ग्राहक बिना किसी भौतिक शाखा में जाए, कभी भी और कहीं भी अपने वित्त का प्रबंधन कर सकते हैं। सुविधा का यह स्तर आधुनिक बैंकिंग की आधारशिला बन गया है।

लेन-देन की गति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। स्वचालन और डिजिटल उपकरणों की बदौलत, जो प्रक्रियाएँ पहले कई दिनों में पूरी हो जाती थीं, अब लगभग तुरंत पूरी हो जाती हैं। इससे न केवल ग्राहकों को फ़ायदा होता है, बल्कि बैंकों की दक्षता भी बढ़ती है।

व्यक्तिगत सेवाओं के माध्यम से ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ है। डिजिटल बैंकिंग ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूर-दराज या वंचित क्षेत्रों के लोग अब मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली अधिक समावेशी और समतापूर्ण बन रही है।

सुरक्षा में भी काफ़ी सुधार हुआ है। बायोमेट्रिक्स और दो-कारक प्रमाणीकरण जैसी तकनीकों के साथ, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म अक्सर पारंपरिक तरीकों से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं।

वित्तीय उत्पादों में नवाचार में तेज़ी आई है। अंत में, डिजिटल बैंकिंग ई-स्टेटमेंट के ज़रिए कागज़ की ज़रूरत को कम करके वित्तीय प्रबंधन के लिए पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण में योगदान देकर स्थिरता को बढ़ावा देती है।

जे एंड के ग्रामीण बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित प्रगति की है: -

1) संपर्क रहित कार्ड:

बैंक ने "टैप एंड पे" सुविधा के साथ "संपर्क रहित डेबिट कार्ड" पेश किए हैं, जिससे बिना किसी भौतिक कनेक्शन के भुगतान करना और भी आसान हो गया है। ग्राहक बिना पिन डाले, कार्ड रीडर पर कार्ड टैप करके (संपर्क रहित लेनदेन को सपोर्ट करते हुए), कुछ ही सेकंड में छोटे मूल्य के भुगतान कर सकते हैं।

2) आईवीआर सुविधा सहित संपर्क केंद्र:

बैंक ने 24*7 उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरैक्टिव वॉयस रिसपांस (आईवीआर) प्रणाली शुरू की है, जिससे ग्राहक अपने बैंक खाते से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर से ही खाता पूछताछ, बैलेंस चेक, लेन-देन विवरण, खाता विवरण, कार्ड संबंधी सहायता और अन्य बैंक उत्पादों जैसी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, एजेंटों के माध्यम से 24*7 ग्राहक सहायता सेवा भी शुरू की गई है।

3) बैंक के अपने यूपीआई क्यूआर कोड की शुरुआत:

बैंक ने अपने स्वयं के यूपीआई क्यूआर (क्विक रिसपांस) कोड पेश किए हैं, जिससे लेनदेन का तुरंत निपटान संभव हो गया है। वर्तमान में, ग्राहकों को तीन मॉड्यूल चुनने की सुविधा दी गई है - क्यूआर हैंडआउट, साउंड बॉक्स वाला क्यूआर कोड और स्टैंडी वाला क्यूआर कोड।

4) इंटरनेट बैंकिंग:

ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें केवल देखने की सुविधा होगी। इससे उपयोगकर्ता केवल अपने खाते की जानकारी और लेन-देन का इतिहास देख पाएंगे।

5) वीडियो केवाईसी सेवा:

वीडियो केवाईसी (वीकेवाईसी) एक दूरस्थ पहचान सत्यापन प्रक्रिया है जो ग्राहकों को शाखा में जाने की आवश्यकता को समाप्त करती है और साथ ही बेहतर सुरक्षा, बेहतर ग्राहक अनुभव और तेज़ ऑन-बोर्डिंग प्रदान करती है। हमारी नवीनतम सेवाओं के एक भाग के रूप में, वीकेवाईसी सेवाओं को सभी नए ग्राहकों के लिए सीआईएफ (Cust_id) निर्माण सेवा सक्षम करने के लिए अपग्रेड किया गया है। सीआईएफ जनरेट होने के बाद, ग्राहक विवरण और वीकेवाईसी स्थिति के साथ संबंधित शाखा को एक ईमेल सूचना भेजी जाती है, जिससे सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

6) एम-बैंक एप्लीकेशन के माध्यम से खाता विवरण डाउनलोड/ईमेल विकल्प की शुरुआत:

एम-बैंक में एक अतिरिक्त सुविधा शुरू की गई है, जिससे ग्राहकों को एम-बैंक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वांछित समय के लिए खाता विवरण डाउनलोड/ईमेल करने की सुविधा मिलेगी।

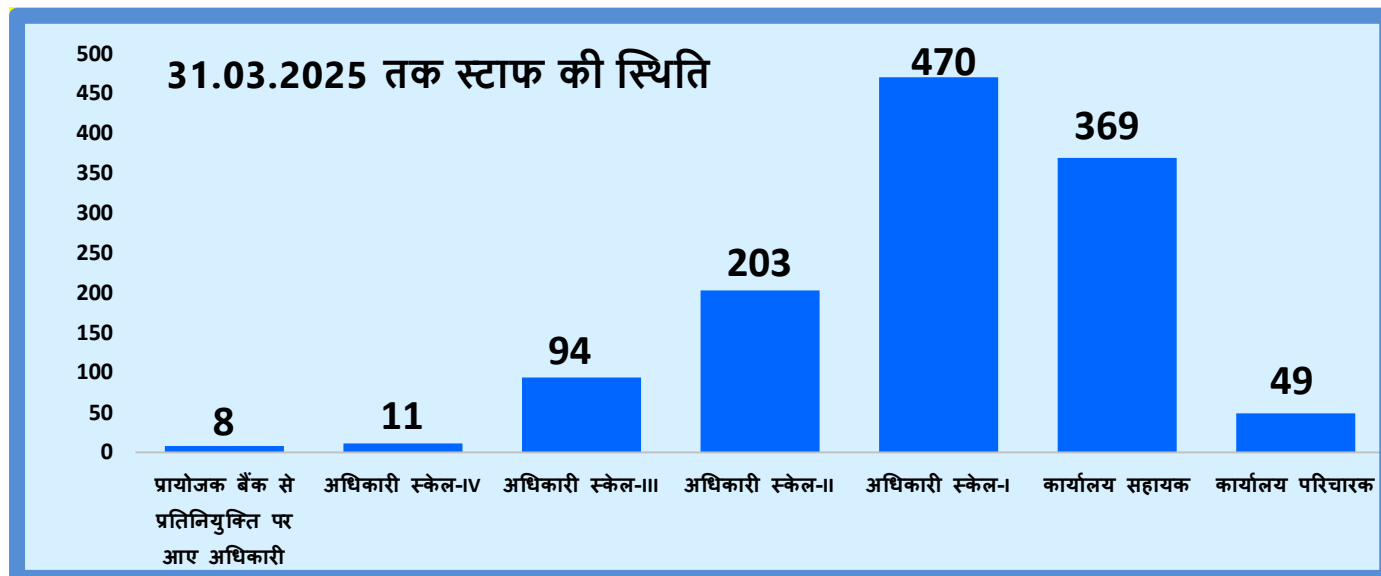
कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं निम्नानुसार हैं: -

- इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर लेनदेन को सक्षम बनाना।
- आईएमपीएस और एटीएम पर यूपीआईआर (ऑनलाइन विवाद समाधान मॉड्यूल)।
- गलत लाभार्थी को राशि भेजने की संभावना को कम करने के लिए एम-बैंक एप्लीकेशन के माध्यम से लाभार्थी के नाम का सत्यापन।
- ऑनलाइन आधार को खाता संख्या से डीलिंग/लिंग करना।
- शैक्षणिक संस्थानों के लिए बिल संग्रह मॉड्यूल।

उपरोक्त के अलावा, हम आगे आने वाले अन्य डिजिटल अवसरों पर भी विचार कर रहे हैं।

मानव संसाधन विकास:-

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
क)	जेकेजीबी के कर्मचारियों की संख्या	1149	1217	1196
ख)	प्रायोजक बैंक से प्रतिनियुक्ति पर	12	9	8
ग)	कुल स्टाफ संख्या	1161	1226	1204
	जिनमें से अधिकारी (जेकेजीबी)	725	768	778



नई पहल

- दिनांक 01.11.2022 से लागू 12वें द्विपक्षीय समझौते/9वें संयुक्त नोट के अनुरूप संशोधित वेतनमान बकाया भुगतान के साथ बैंक में लागू किया गया।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय/डीएफएस के निर्देशों का पालन करते हुए पेंशन और कंप्यूटर वेतन वृद्धि का लाभ 01.11.1993 से पारित किया।
- बैंक ने 2 (दो) मृतक अधिकारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए हैं, जो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए योजना के तहत पात्र थे, जिससे मृतक अधिकारियों के परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित हो गई है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी और उनके आश्रित बिना किसी वित्तीय तनाव के आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकें, जिससे कर्मचारियों की भलाई और उत्पादकता को बढ़ावा मिले, बैंक के सक्रिय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के तहत 83.00 लाख रुपये की राशि के कुल 124 चिकित्सा दावों का निपटान किया गया।
- कर्मचारियों को नवीनतम बैंकिंग सुधारों और दिशानिर्देशों से भली-भांति परिचित कराने और संगठनात्मक सफलता हेतु ज्ञानवर्धन हेतु, कुल 1108 अधिकारियों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया। मानव संसाधन विकास विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी संबंधित कर्मचारियों को समय पर फिनाकल 10 कोर बैंकिंग समाधान पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान लागू हो गया।

ड) लेखापरीक्षा, निरीक्षण एवं सतर्कता:-

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) द्वारा समय-समय पर लेखा परीक्षा, निरीक्षण और सतर्कता के कामकाज की समीक्षा की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकें 01.05.2024, 22.07.2024, 17.10.2024, 15.01.2025 को आयोजित की गईं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के लेखापरीक्षा, निरीक्षण एवं सतर्कता विभाग ने 137 शाखाओं का आंतरिक निरीक्षण किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार 215 शाखाओं का समवर्ती लेखापरीक्षा 90 बाह्य लेखापरीक्षकों/सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों द्वारा किया गया। विभाग ने 195 शाखाओं का आईएस लेखापरीक्षा किया है, जिसमें शाखाओं का 148 ऑफसाइट आईएस लेखापरीक्षा और शाखाओं का 47 ऑनसाइट आईएस लेखापरीक्षा शामिल है।

नई पहल:

हमारे विभाग ने कागज़-रहित आंतरिक निरीक्षण करने के लिए एक अभिनव आंतरिक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो डिजिटल माध्यमों से रिकॉर्ड रखने/अनुपालन प्रक्रिया में सुधार लाएगा। इस पहल का उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार, स्थिरता को बढ़ावा देना और शाखाओं को ईमेल के माध्यम से स्वचालित अनुस्मारक भेजकर पहचानी गई अनियमितताओं पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई को सुगम बनाना है।

इसके अलावा, इससे भौतिक रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग होने वाले कागज़ और स्थान की बचत होगी।

यह प्लेटफॉर्म डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए सहज उपकरण प्रदान करेगा, जिससे समय के साथ निरीक्षण निष्कर्षों और रुझानों के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर, हम कागज़ पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर देते हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में योगदान मिलता है।

18. भारत सरकार के विशेष अभियान 4.0 के अंतर्गत दिनांक 02.10.2024 से 31.10.2024 तक विभिन्न पहल की गईं:

- क) ऐतिहासिक महत्व के स्थलों सहित 123 स्थलों पर सफाई अभियान चलाया गया, जैसे कि चिंगस किला, राजौरी, 128 वर्ष पुराना लोहे का पुल, कुपवाड़ा- रेलवे स्टेशन, सोपोर, श्री नरसिंह देव जी मंदिर, जम्मू, उमर मस्जिद, बारामुला, सत्संग घर, बासपुर, जम्मू, पांडव गुफाएं, अखनूर, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, जिला पुंछ, परगवाल के शहीद स्थल, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विभिन्न जिलों को कवर करते हैं।
- ख) जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 24 वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
- ग) बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की गईं, जैसे कि रैंप का निर्माण, शाखाओं में आवर्धक ग्लास उपलब्ध कराना, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था करना।
- द) 02.10.2024 से 31.10.2024 तक चलाए गए अभियान के दौरान 6712 निष्क्रिय/अदावा किए गए खातों को चालू किया गया और बैंक खातों में 2549 नामांकन और सुरक्षित जमा लॉकरों में 308 नामांकन दर्ज किए गए।
- e) विशेष अभियान के दौरान 81 लॉकर्स के अनुबंध का नवीनीकरण किया गया।
- च) दिनांक 21.10.2024 से 26.10.2024 तक पेंशन शिकायत सप्ताह मनाया गया। उक्त सप्ताह के दौरान व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से 510 पेंशनभोगियों से संपर्क किया गया और 02 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उक्त अवधि के दौरान दोनों शिकायतों का समाधान किया गया।

- छ) बैंक द्वारा जम्मू-कश्मीर में 20 वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए गए, जिनमें सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चन्नी हिम्मत, सरकारी स्कूल कठुआ, सरकारी स्कूल राजौरी, सत्संग घर बासपुर, नसीम बाग श्रीनगर, वागूरा मस्जिद श्रीनगर शामिल हैं।
- ज) स्कैप के निपटान के लिए एक अभियान चलाया गया और विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों में स्कैप के निपटान से 55,000/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। 20 शाखाओं/कार्यालयों के स्थलों की सफाई एवं सौंदर्यीकरण किया गया, जिससे कुल 2,210 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ।

19. प्रबंधन / निदेशक मंडल: -

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 8 बोर्ड बैठकें और एसीबी की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

19. वर्तमान में बोर्ड में निदेशकों के नाम।

1. श्री संजय गुप्ता, अध्यक्ष
2. श्री नीरज कुमार, निदेशक (आरबीआई)
3. श्री सुनीत कुमार, निदेशक (प्रायोजक बैंक – जे एंड के बैंक)
4. श्री सैयद रईस मकबूल, निदेशक (प्रायोजक बैंक – जे एंड के बैंक)
5. सुश्री उर्मिल लता, निदेशक (नाबार्ड)
6. सुश्री नीतू गुप्ता, निदेशक (यूटी जम्मू-कश्मीर सरकार)
7. श्री निसार अहमद कौल, निदेशक (यूटी जम्मू-कश्मीर सरकार)

20. आभार:-

मैं इस अवसर पर बोर्ड के सभी सदस्यों को वर्ष भर की यात्रा के दौरान उनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, जम्मू-कश्मीर बैंक (प्रायोजक बैंक) और बैंक के वैधानिक लेखा परीक्षकों को उनके निरंतर सहयोग और हम पर विश्वास के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं बैंक की विकास यात्रा में हमारे निष्ठावान ग्राहकों से मिले असीम समर्थन और संरक्षण के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं चुनौतीपूर्ण समय में उनके अथक प्रयासों और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमारे समर्पित और समर्पित कार्यबल की सराहना करता हूँ। यह केवल शाखाओं में कार्यरत अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं की कड़ी मेहनत और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में फैले बैंक के सौलह लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहकों और शुभचिंतकों के विश्वास के कारण ही संभव हो पाया है।

प्रगति और विकास की ओर हमारी यात्रा एक सामूहिक प्रयास है, और हम राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान करते हुए अपने ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जेएंडके ग्रामीण बैंक में, हम उत्कृष्टता की खोज में आगे बढ़ते हुए आपके निरंतर संरक्षण, समर्थन और सद्भावना की आशा करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से
जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

धर्म राज एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एक समकक्ष समीक्षा प्राप्त फर्म)

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रेषिती,

जे एंड के ग्रामीण बैंक
के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने जेएंडके ग्रामीण बैंक ('बैंक') के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक का बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण, और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा ऑडिट की गई 27 शाखाओं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थित वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई 189 शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं। हमारे द्वारा ऑडिट की गई शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई शाखाओं का चयन बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('नाबार्ड') द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं, बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(क) बैलेंस शीट, उस पर दिए गए नोट्स के साथ पढ़ी जाए तो एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, इसे ठीक से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2025 तक बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित किया जा सके।

(ख) लाभ-हानि खाता, उस पर दिए गए नोट्स के साथ पढ़ने पर लाभ का सही संतुलन प्रदर्शित होता है; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और उचित विवरण देता है।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) और लागू कानून के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में विस्तार से वर्णित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और लागू कानून तथा उसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, चालू अवधि के लिए चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में, और उन पर हमारी राय बनाने के

संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं।

हमने नीचे दिए गए विषयों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा विषय निर्धारित किए हैं।

चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक को 12.75 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और 31 मार्च 2025 तक बैंक का कुल संचित घाटा 225.49 करोड़ रुपये है। 31 मार्च 2024 तक, बैंक का सीआरएआर 11.21% था, जो चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक घटकर 9.45% रह गया है और हितधारकों से कोई अतिरिक्त पूंजी प्राप्त नहीं हुई है। 9% की न्यूनतम निर्धारित नियामक आवश्यकता के मुकाबले सीआरएआर 9.45% रहा।

बैंक की राय में, बैंक की परिचालन क्षमताओं और विकास प्रवृत्ति के आधार पर, बैंक अपनी परिसंपत्तियों (अपनी आस्थगित कर परिसंपत्ति सहित) को प्राप्त करने और अपने सामान्य व्यावसायिक क्रम में अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम होगा, इसलिए वित्तीय परिणाम एक चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं। चालू व्यवसाय की उक्त धारणा, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक की तरलता, परिसंपत्ति गुणवत्ता और शोधन क्षमता अनुपात में सुधार लाने की क्षमता पर निर्भर करती है और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रबंधन के अनुसार, ऐसी अनिश्चितताओं को कम करने वाले कारक मौजूद हैं।

इस मामले के संबंध में वित्तीय परिणामों पर हमारे निष्कर्ष में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

बैंक का निदेशक मंडल इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें लेखांकन मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक और 'नाबार्ड' द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन बैंक की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन बैंक को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं।

हम भी :-

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- • लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो उन्हें शामिल करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य मामले

हमने बैंक के वित्तीय विवरणों में शामिल 189 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2025 तक 3233.03 करोड़ रुपये का सकल अग्रिम और 5041.30 करोड़ रुपये की जमा राशि दिखाई गई है, जिन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। 189 शाखाओं के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जिन्हें आज की तारीख में वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है, जिसमें बैंक के 80.03% (3233.03 करोड़ रुपये) अग्रिम और 77.05% (5041.30 करोड़ रुपये) जमा शामिल हैं। हमारी राय में, जहां तक 189 शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे का संबंध है, यह पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है और पूरी तरह से शाखा द्वारा प्रदान किए गए रिटर्न पर आधारित है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।

ऊपर बताई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- (ख) बैंक के जो लेन-देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।
- (ग) कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं।
- ख) हमारी राय में, बैंक लॉ द्वारा खरीदे गए दस्तावेजों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे दस्तावेजों से प्रमाणित विवरण प्राप्त होते हैं।
- (ग) इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 27 शाखाओं, तथा बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 189 शाखा कार्यालयों के लेखाओं पर रिपोर्टों का समुचित रूप से विश्लेषण किया है; तथा
- (घ) हमारी राय में, बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या : 014461N)

(सीए सुनील चौधरी)
साथी

दिनांक : 29.04.2025

स्थान : जम्मू

एम. नं.: 508018

UDIN नं.: 25508018BMJQ0B9290

31 मार्च 2025 तक वित्तीय परिणाम

(राशि करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक वित्तीय परिणाम		तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त	
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
क्र. सं.	विवरण	(लेखापरीक्षित)	(समीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	अर्जित ब्याज (क+ख+ग+घ)	147.60	149.64	133.57	583.23	512.20
	क) अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट	94.39	95.26	86.06	369.38	332.40
	ख) निवेश पर आय	20.09	20.11	20.31	80.85	80.59
	ग) भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के पास शेष राशि पर ब्याज	33.12	34.27	27.19	133.00	99.22
	घ) अन्य	-	-	-	-	-
2	अन्य कमाई	11.22	7.53	7.43	38.88	34.89
3	कुल आय (1 + 2)	158.82	157.17	141.00	622.11	547.09
4	ब्याज व्यय	84.35	84.09	73.78	328.41	274.45
5	परिचालन व्यय (I + II)	83.58	89.38	78.31	301.48	238.48
	I. कर्मचारी लागत	66.84	75.73	52.52	241.63	170.51
	II. अन्य परिचालन व्यय	16.74	136.65	25.79	59.85	67.97
6	कुल व्यय (4+5) (प्रावधानों और आकस्मिकताओं को छोड़कर)	167.94	173.47	152.09	629.89	512.93
7	प्रावधान और आकस्मिकताओं से पहले परिचालन लाभ (3-6)	-9.12	-16.30	-11.10	-7.78	34.15
8	प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिकताएँ	-5.42	-0.34	-4.14	9.96	-16.80
9	असाधारण वस्तुएँ	-	-	-	-	-
10	कर से पहले सामान्य गतिविधियों से लाभ (+)/हानि (-) (7-8-9)	-14.54	-16.64	-15.24	-17.74	17.35
11	डीटीए सहित कर व्यय	5.91	7.16	(2.95)	4.99	(13.59)
12	कर के बाद सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ (+)/हानि (-) (10-11)	-8.63	-9.48	-18.19	-12.75	3.76

13	असाधारण मर्दे (कर व्यय को छोड़कर)	-	-	-	-	-
14	अवधि (12-13) के लिए शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	-8.63	-9.48	-18.19	-12.75	3.76
15	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर)	589.44	589.44	589.44	589.44	589.44
17	पुनर्मूल्यांकन भंडार को छोड़कर भंडार	-145.57	-136.94	-132.82	-145.57	-132.82
18	पुनर्मूल्यांकन भंडार	-	-	-	-	-
19	विश्लेषणात्मक अनुपात					
(i)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयर का प्रतिशत	50%	50%	50%	50%	50%
(ii)	- पूंजी पर्याप्तता अनुपात %					
	- कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) %	9.45%	10.41%	11.21%	9.45%	11.21%
(iii)	- एनपीए अनुपात					
	क) सकल एनपीए की राशि	157.70	163.03	148.70	157.70	148.70
	ख) शुद्ध एनपीए की राशि	50.51	55.89	45.45	50.51	45.45
	ग) सकल अग्रिमों में सकल एनपीए का %	3.80%	4.15%	4.07%	3.80%	4.07%
	घ) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए का %	1.25%	1.46%	1.28%	1.25%	1.28%

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां बैलेंस शीट का अभिन्न अंग हैं।

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
नीरज कुमार
निदेशक

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
सैयद रईस मकबूल
निदेशक

ह/-
उर्मिल लता
निदेशक

ह/-
नीतू गुप्ता
निदेशक

ह/-
निसार अहमद कौल
निदेशक

हमारी संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या : 014461N)

(सीए सुनील चौधरी)
साथी

दिनांक : 29.04.2025

स्थान : जम्मू

एम. नं.: 508018

UDIN नं.: 25508018BMJQ0B9290

31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट

(रु.'000' छोड़ा गया)

	Sch.	31.03.2025	31.03.2024
पूंजी और देनदारियां		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
पूंजी	1	5,894,425	5,894,425
भंडार और अधिशेष	2	(1,455,703)	(1,328,192)
जमा	3	62,993,603	57,101,504
उधारी	4	7,184,480	6,086,013
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	943,269	981,345
कुल		75,560,074	68,735,095
संपत्ति			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	6	2,521,108	2,597,152
बैंकों के पास शेष राशि और कॉल एवं अल्प सूचना पर धन	7	18,846,556	17,403,550
निवेश	8	11,221,698	11,237,811
अग्रिम	9	40,436,957	35,509,319
अचल संपत्तियां	10	137,774	182,054
अन्य परिसंपत्तियां	11	2,395,981	1,805,210
कुल		75,560,074	68,735,095
आकस्मिक देयताएं	12	256,004	181,404
संग्रहण के लिए बिल		-	-

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां बैलेंस शीट का अभिन्न अंग हैं।

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
नीरज कुमार
निदेशक

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
सैयद रईस मकबूल
निदेशक

ह/-
उर्मिल लता
निदेशक

ह/-
नीतू गुप्ता
निदेशक

ह/-
निसार अहमद कौल
निदेशक

हमारी संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या : 014461N)

(सीए सुनील चौधरी)

साथी

एम. नं.: 508018

दिनांक : 29.04.2025

स्थान : जम्मू

31 मार्च 2025 तक लाभ और हानि खाता

		(रु.'000' छोड़ा गया)	
	अनुसूची	31.03.2025	31.03.2024
I. आय		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
अर्जित ब्याज	13	5,832,342	5,122,030
अन्य कमाई	14	388,799	348,868
कुल		6,221,141	5,470,898
II. व्यय			
ब्याज व्यय	15	3,284,124	2,744,542
परिचालन खर्च	16	3,014,866	2,384,807
प्रावधान और आकस्मिकताएँ		99,593	168,041
कुल		6,398,583	5,297,390
III. करों से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)		(177,442)	173,508
कर व्यय			
- आयकर के लिए प्रावधान		-	-
- आस्थगित कर के लिए प्रावधान		49,931	(135,902)
- पूर्व अवधि आयकर समायोजन		-	-
IV. विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि)		(127,511)	37,606
V. विनियोजन/हस्तांतरित:			
i) वैधानिक आरक्षित निधि		-	-
ii) पूंजी आरक्षित		-	-
iii) राजस्व और अन्य भंडार		(127,511)	37,606
कुल		(127,511)	37,606

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां बैलेंस शीट का अभिन्न अंग हैं।

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
नीरज कुमार
निदेशक

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
सैयद रईस मकबूल
निदेशक

ह/-
उर्मिल लता
निदेशक

ह/-
नीतू गुप्ता
निदेशक

ह/-
निसार अहमद कौल
निदेशक

हमारी संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या : 014461N)

(सीए सुनील चौधरी)

साथी

एम. नं.: 508018

दिनांक : 29.04.2025

स्थान : जम्मू

अनुसूची-1 पूंजी

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
अधिकृत पूंजी		
2,00,00,00,000 (P.Y. 2,00,00,00,000)		
10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर	20,000,000	20,000,000
जारी की गई अभिदत्त और चुकता पूंजी		
58,94,42,464 (P.Y. 58,94,42,464)		
10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर	5,894,425	5,894,425
कुल	5,894,425	5,894,425

अनुसूची-2 आरक्षित एवं अधिशेष

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. वैधानिक आरक्षित निधियाँ		
प्रारंभिक जमा	184,304	184,304
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
कुल	184,304	184,304
II. पूंजी भंडार		
प्रारंभिक जमा	33,288	33,288
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
कुल	33,288	33,288
III. शेयर प्रीमियम		
प्रारंभिक जमा	-	-
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
कुल	-	-
IV. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ		
प्रारंभिक जमा	(1,545,784)	(1,583,390)
अवधि के दौरान जोड़/(कटौतियाँ)	(127,511)	37,606
नीचे खीं चें	-	-
कुल	(1,673,295)	(1,545,784)
कुल (I+ II+ III और IV)	(1,455,703)	(1,328,192)

अनुसूची 3 - जमा

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
A. I. मांग जमा		
i) बैंकों से	-	-
ii) दूसरों से	2,545,964	1,773,495
कुल (i और ii)	2,545,964	1,773,495
II. बैंक जमा की बचत	25,678,428	23,770,926
III. सावधि जमा		
i) बैंकों से	-	-
ii) दूसरों से	34,769,211	31,557,084
कुल (i और ii)	34,769,211	31,557,084
कुल A (I+II+III)	62,993,603	57,101,504
B. I. भारत में शाखाओं की जमा राशि	62,993,603	57,101,504
II. भारत के बाहर की शाखाओं की जमा राशि	-	-
कुल बी (I+II)	62,993,603	57,101,504

अनुसूची 4 - उधार

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-
ii) अन्य बैंक (प्रायोजक बैंक)	116,677	116,677
iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां	7,067,803	5,969,336
कुल (i से iii)	7,184,480	6,086,013
II. भारत के बाहर उधार	-	-
कुल योग (I और II)	7,184,480	6,086,013
उपरोक्त I और II में शामिल सुरक्षित उधार	Nil	Nil

अनुसूची 5 - अन्य दायित्व और प्रावधान

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
i) देय बिल	61,851	69,383
ii) अंतर-कार्यालय समायोजन (नेट)	14,429	18,600

iii) अर्जित ब्याज	88,407	71,338
iv) विलम्बित टैक्स देयता	-	-
v) मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान	120,670	107,235
vi) विशेष समाधान ढांचे के लिए प्रावधान	11,160	11,160
vii) अन्य (अन्य प्रावधानों सहित)	646,752	703,628
कुल (i से vii)	943,269	981,345

अनुसूची 6 - नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास शेष

(रु. '000' छोड़ा गया)

I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	79,915	65,964
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष		
i) चालू खाते में	2,441,193	2,531,188
ii) अन्य खातों में	-	-
कुल (I और II)	2,521,108	2,597,152

अनुसूची 7 - बैंकों में शेष राशि और मांग पर धन

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. भारत में		
i) बैंकों के पास शेष		
a) चालू खातों में	93,042	84,107
b) अन्य जमा खातों में	18,753,514	17,319,443
कुल (i)	18,846,556	17,403,550
ii) कॉल और अल्प सूचना पर धन		
a) बैंकों के साथ	-	-
b) अन्य संस्थानों के साथ	-	-
कुल (ii)	-	-
कुल (i & ii)	18,846,556	17,403,550
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	-	-
ii) अन्य जमा खातों में	-	-
iii) कॉल और अल्प सूचना पर धन	-	-
कुल II का (i ii और iii)	-	-
कुल योग (I और II)	18,846,556	17,403,550

अनुसूची 8 - निवेश

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. भारत में सकल निवेश	11,221,698	11,237,811
घटाएँ: मूल्यहास के लिए प्रावधान	-	-
घटाएँ: निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई)	-	-
शुद्ध निवेश	11,221,698	11,237,811
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	11,221,698	11,187,811
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
iii) शेयर (प्रीफ़ + इक्विटी)	-	-
iv) डिबेंचर और बॉन्ड	-	50,000
v) प्रायोजित संस्थान	-	-
vi) अन्य	-	-
कुल (I)	11,221,698	11,237,811
II. भारत के बाहर निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	Nil	Nil
ii) विदेश में सहायक कंपनियाँ और/या संयुक्त उद्यम	Nil	Nil
iii) अन्य (स्वैप)	Nil	Nil
कुल (II)	-	-
कुल (I और II)	11,221,698	11,237,811

अनुसूची 9 - अग्रिम

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
A i) खरीदे गए और बिल में छूट	-	-
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	22,236,653	18,582,883
iii) सावधि ऋण	18,200,304	16,926,436
iv) एडीडब्ल्यूडीआरएस 2008 के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि	-	-
कुल (i से iv)	40,436,957	35,509,319
B i) मूर्त संपत्तियों द्वारा सुरक्षित	40,228,731	35,299,465
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर	140,119	124,194
iii) असुरक्षित	68,107	85,660
कुल (i से iii)	40,436,957	35,509,319

C	I. भारत में ऋण		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र	30,846,650	27,538,832
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
	iii) बैंकों	-	-
	iv) गैर प्राथमिकता क्षेत्र (अन्य)	9,590,307	7,970,487
	कुल (i से iv)	40,436,957	35,509,319
	II. भारत के बाहर ऋण		
	i) बैंकों से बकाया	-	-
	ii) दूसरों से देय	-	-
	कुल (i से ii)	-	-
	कुल योग (I और II)	40,436,957	35,509,319

अनुसूची 10 - अचल संपत्तियां

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. परिसर		
a) भूमि (पट्टे पर)		
आगामी वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	1385	1,385
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
	1,385	1,385
अवधि के दौरान कटौती	-	-
कुल	1,385	1,385
आज तक का मूल्यहास	(1,140)	(1,073)
कुल (a)	245	312
b) इमारत		
आगामी वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	18,667	18,667
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	16	-
	-	18,667
अवधि के दौरान कटौती	-	-
कुल	18,683	18,667
आज तक का मूल्यहास	(15,556)	(15,209)
कुल (b)	3,127	3,458
c) निर्माण कार्य प्रगति पर है		
	-	-
कुल (I) [a+b+c]	3,372	3,770

II. अन्य अचल संपत्तियाँ		
(फर्नीचर और फिक्स्चर सहित)		
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	696,322	591,637
इस अवधि के दौरान परिवर्धन	42,731	115,804
	739,053	707,441
अवधि के दौरान कटौती	(27,392)	(11,119)
	711,661	696,322
आज तक का मूल्यहास	(577,259)	(518,038)
कुल (II)	134,402	178,284
कुल योग (I और II)	137,774	182,054

अनुसूची 11 - अन्य संपत्तियाँ

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. अर्जित ब्याज	929,106	570,358
II. अग्रिम भुगतान किया गया कर/टीडीएस (प्रावधानों को घटाकर)	1,630	5,849
III. स्टेशनरी और टिकटें	8,300	7,709
IV. आस्थगित कर परिसंपत्ति	883,102	833,171
V. अन्य	573,843	388,123
कुल (I से V)	2,395,981	1,805,210

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. बैंक के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	2,600	2,600
II. आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता	-	-
III. बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता	-	-
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी:-		
a) भारत में	57,212	44,315
b) भारत के बाहर	-	-
V. स्वीकृतियाँ, अनुमोदन और अन्य दायित्व	-	-
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	-	-
I. I. जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि (DEAF) के खाते पर देयता	196,192	134,489
कुल (I से VII)	256,004	181,404

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट	3,693,771	3,323,951
II. निवेश पर आय	808,522	805,871
III. भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के पास शेष राशि पर ब्याज	1,330,049	992,208
IV. अन्य	-	-
कुल (I से IV)	5,832,342	5,122,030

अनुसूची 14 - अन्य आय

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज	41,386	46,278
II. निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)	-	19,784
निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ	-	-
घटाएँ: निवेशों की बिक्री/मोचन पर हानि	-	-
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)	-	-
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-	-
घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-	-
IV. भूमि, भवन और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	-	-
भूमि, भवन और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
घटाएँ: भूमि, भवन और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-
V. पीएसएलसी ट्रेडिंग पर लाभ/(हानि)	101,860	84,050
पीएसएलसी ट्रेडिंग पर लाभ	-	-
घटाएँ: पीएसएलसी ट्रेडिंग पर नुकसान	-	-
VI. विदेश/भारत में सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	-	-
VII. विविध आय	245,553	198,756
कुल (I से VII)	388,799	348,868

अनुसूची 15 - व्ययित ब्याज

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. जमा पर ब्याज	2,927,987	2,577,368
II. आरबीआई/अंतर-बैंक उधार पर ब्याज	-	-
III. अन्य ब्याज	356,137	167,174
कुल (I से III)	3,284,124	2,744,542

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(रु. '000' छोड़ा गया)

	31.03.2025	31.03.2024
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	2,416,314	1,705,119
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	49,098	45,356
III. प्रिंटिंग व स्टेशनरी	9,822	9,848
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	1,438	1,352
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	59,635	61,331
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	-	-
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)	23,372	14,903
VIII. कानून शुल्क	2,609	3,212
IX. डाक, तार, टेलीफोन आदि	932	757
X. मरम्मत एवं रखरखाव	3,245	5,086
XI. बीमा	78,385	72,027
XII. अन्य व्यय	370,016	465,816
कुल (I से XII)	3,014,866	2,384,807
प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण		
I. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	86,158	162,881
II. मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	13,435	5,160
कुल (I से IV)	99,593	168,041

अनुसूची-17

31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. सामान्य अवलोकन

जे एंड के ग्रामीण बैंक की स्थापना दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अर्थात् जम्मू ग्रामीण बैंक और कामराज ग्रामीण बैंक, के विलय की प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार की 30.06.2009 की अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार और जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड (प्रायोजक बैंक) के संयुक्त उद्यम के रूप में हुई है, जिसका मुख्यालय जम्मू में है। बैंक की अधिकृत पूँजी ₹2000 करोड़ (10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 200 करोड़ शेयर) और चुकता शेयर पूँजी ₹589,44,24,640 (10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 58,94,42,464 शेयर) है। पूँजी संरचना का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	शेयरहोल्डर	कुल (करोड़ रुपये में)
1.	केंद्र सरकार	294.72
2.	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार	88.42
3.	जेएंडके बैंक लिमिटेड- प्रायोजक बैंक	206.30
	कुल	589.44

बैंक की 216 शाखाएँ हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 212 शाखाएँ और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 4 शाखाएँ शामिल हैं। यह ग्रामीण वित्त उपलब्ध कराने में संलग्न है, तथा इसका परिचालन क्षेत्र बारामूला, बांदापुरा, कुपवाड़ा, गंदरबल, श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, साम्बा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, लेह और कारगिल जिलों में है।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

लेखांकन का आधार:

संलग्न वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें वैधानिक प्रावधान, नियामक प्राधिकरणों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के दिशानिर्देश, लेखा मानक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं।

1. निवेश:

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् (ए) "परिपक्वता तक धारित" (बी) "बिक्री के लिए उपलब्ध" और (सी) "व्यापार के लिए धारित", उप-वर्गीकरण के साथ अर्थात् (i) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (iii) शेयर (iv) डिबेंचर और बांड (v) अन्य।
- ii) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी में बैंक द्वारा व्यापार के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रतिभूतियाँ वे हैं, जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत होने के योग्य नहीं हैं।
- iii) बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी तय करता है और तदनुसार उसे वर्गीकृत करता है।
- iii) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किया जाता है तथा अधिग्रहण लागत पर रखा जाता है, जब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, ऐसी स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता तक शेष अवधि में परिशोधित कर दिया जाता है।

- iv) "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी की अलग-अलग स्क्रिपों का तिमाही अंतराल पर बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत निवेशों को बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है, के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का पूरा प्रावधान किया जाता है, जबकि उपरोक्त किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
- v) "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी की अलग-अलग स्क्रिपों का मूल्य तिमाही अंतराल पर बाजार मूल्य पर अंकित होता है। प्रत्येक वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत निवेशों को बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है, के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का पूरा प्रावधान किया जाता है, जबकि उपरोक्त किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
- vi) "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "ट्रेडिंग के लिए धारित" श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के उद्देश्य से बाजार मूल्य, स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड/कोटेशन से उपलब्ध बाजार मूल्य पर आधारित है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बॉन्ड का मूल्यांकन FIMMDA/फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित कीमतों/YTM दरों के अनुसार किया जाता है।
- vii) निवेश पर आय का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है। ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं होता।
- viii) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में खंडित अवधि ब्याज को लाभ और हानि खाते के अंतर्गत व्यय की एक मद के रूप में माना जाता है।
- ix) किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में लिया जाता है। "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ के मामले में, करों को घटाकर प्राप्त लाभ की समतुल्य राशि पूंजी आरक्षित खाते में जमा की जाती है।
- x) शून्य कूपन बांड अधिग्रहण लागत पर दर्शाए जाते हैं। ऐसे बांडों पर आय बैंक द्वारा धारण अवधि के दौरान सकल प्रतिफल (कर-पूर्व) के संदर्भ में अर्जित की जाती है।

3. अग्रिम एवं प्रावधान:

- 3.1 अग्रिमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् मानक परिसंपत्तियां, उप-मानक परिसंपत्तियां, संदिग्ध परिसंपत्तियां और हानि परिसंपत्तियां तथा इनके लिए प्रावधान वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए आय मान्यता और वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- 3.2 मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर सभी प्रकार के अग्रिमों को प्रावधान और अप्राप्त ब्याज को घटाकर दर्शाया गया है। मानक परिसंपत्तियों को उनके सकल मूल्य पर दर्शाया गया है और उन पर प्रावधान "अन्य देयताएँ और प्रावधान" अनुसूची के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 3.3 अग्रिमों का पुनर्गठन और उनका प्रावधान आरबीआई/नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

4. अचल संपत्तियां और मूल्यहास:

- 4.1 अचल संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है। लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग के लिए तैयार होने से पहले संपत्ति पर किए गए पेशेवर शुल्क जैसे सभी व्यय शामिल होते हैं। उपयोग में लाई जाने वाली संपत्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे ऐसी संपत्तियों से भविष्य में लाभ/कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।
- 4.2.1 4.2.1 अचल संपत्तियों (कम्प्यूटर और मोबाइल फोन को छोड़कर) पर मूल्यहास आयकर नियम, 1962 में निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति पर लगाया जाता है, जो नीचे दी गई है:

क्र. सं.	परिसंपत्तियों के प्रमुख	विभाग दर
A.	फर्नीचर और फिक्स्चर (इलेक्ट्रिक फिटिंग सहित)	10%
B.	वाहनों	15%
C.	संयंत्र एवं मशीनरी	15%
D.	कार्यालय परिसर (भवन)	10%

- 4.3 4.2.2 वर्ष के दौरान अर्जित परिसंपत्तियों के संबंध में, 182 दिन या उससे कम समय तक उपयोग की गई परिसंपत्तियों के संबंध में अर्ध वर्ष के लिए तथा 182 दिन से अधिक समय तक उपयोग की गई परिसंपत्तियों के संबंध में पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभारित किया जाता है, सिवाय नीचे मद संख्या 4.3 के।
- 4.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, हार्डवेयर का अभिन्न अंग बनने वाले सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटरों पर मूल्यहास, जोड़ने की तारीख पर ध्यान दिए बिना, पूरे वर्ष के लिए सीधी रेखा पद्धति पर 33.33% की दर से लगाया जाता है।
- 4.5 मोबाइल फोन पर मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए सीधी रेखा पद्धति पर 50% की दर से लगाया जाता है।
- 4.6 वर्ष के दौरान बेची गई/छोड़ी गई परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है।
- 4.7 लीज होल्ड संपत्तियों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

5. कर्मचारी लाभ:

5.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों, जैसे आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा लाभ की राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

5.2 रोजगार के बाद के लाभ

i. परिभाषित योगदान

बैंक अपने वार्षिक अंशदान के अलावा भविष्य में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) (जिसे पहले भविष्य निधि कहा जाता था) के लाभों के लिए कोई दायित्व नहीं रखता है और ऐसे अंशदानों को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं। बैंक मासिक आधार पर एक पूर्व निर्धारित दर पर, यानी पेंशन निधि चुनने वाले सेवारत कर्मचारियों के मामले में वेतन का 10% और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) चुनने वाले सेवारत कर्मचारियों के मामले में वेतन और महंगाई भत्ते के 10% की निर्धारित दर पर राशि का अंशदान करता है। इसके अलावा, बैंक ने 11.11.2020 से प्रभावी, वेतन और महंगाई भत्ते के 10% से 14% तक एनपीएस में नियोक्ताओं के अंशदान में संशोधन के लिए 11.56 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

ii. परिभाषित लाभ योजना

- (क) बैंक ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण योजनाएं संचालित करता है, जो परिभाषित लाभ योजनाएं हैं।
- (ख) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को, नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर या नौकरी समाप्त होने पर, एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। सेवा विनियमों के विनियमन संख्या 72 के अनुसार, प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार या जे एंड के ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) स्टाफ सेवा विनियम 2010 के विनियमन संख्या 72 के उप-विनियम 2 के अनुसार, जो भी अधिक हो, ग्रेच्युटी के लिए पात्र होगा। उप-

विनियम 2 में प्रावधान है कि प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित अवसरों पर ग्रेच्युटी के लिए पात्र होगा: -

- i) सेवानिवृत्ति;
- ii) मौत;
- iii) बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित विकलांगता के कारण वह आगे की सेवा के लिए अयोग्य हो गया है।
- iv) 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने के बाद त्यागपत्र,
- v) 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दण्ड के अलावा किसी अन्य तरीके से सेवा समाप्ति।

बशर्ते कि किसी कर्मचारी के संबंध में कदाचार के कारण बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की कोई जब्ती नहीं होगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे कदाचार से बैंक को वित्तीय नुकसान होता है और उस मामले में केवल उसी सीमा तक। किसी अधिकारी या कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी की राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के उसके भाग के लिए एक महीने के वेतन के बराबर होगी, जो अधिकतम 15 महीने के वेतन के अधीन होगी। बशर्ते कि जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, वह 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के आधे की दर से अतिरिक्त राशि के लिए ग्रेच्युटी के रूप में पात्र होगा। आगे बशर्ते कि किसी अधिकारी के संबंध में ग्रेच्युटी अंतिम आहरित वेतन के आधार पर देय होगी।

यह भी प्रावधान है कि किसी कर्मचारी के संबंध में ग्रेच्युटी की गणना के प्रयोजन के लिए वेतन, मृत्यु, विकलांगता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या सेवा समाप्ति, जैसी भी स्थिति हो, से पूर्व के 12 महीनों के दौरान देय मूल वेतन (100%), महंगाई भत्ता और विशेष भत्ता तथा स्थानापन्न भत्ते का औसत होगा।

ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार, किसी कर्मचारी को कम से कम 5 वर्ष की अवधि (सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु और विकलांगता को छोड़कर) के लिए निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद उसकी नौकरी समाप्त होने पर ग्रेच्युटी देय होती है। जेकेजीबी (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 के अंतर्गत पात्र होने के लिए न्यूनतम आवश्यक सेवा 10 वर्ष है। बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित निधि में वार्षिक अंशदान करता है, जो प्रतिवर्ष किए जाने वाले स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होता है। ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार देय अधिकतम राशि 29.03.2018 से 20.00 लाख रुपये है। जेकेजीबी (ग्रेच्युटी भुगतान) नियमों के अनुसार, यह 20.00 लाख रुपये से अधिक हो सकती है। अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।

- (ग) बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति, मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर अर्जित अवकाश को भुनाने के हकदार हैं, बशर्ते संचित अवकाश की अधिकतम राशि 240 दिन हो।
- (घ) परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ-हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।
- (ङ) बैंक ने राजस्व के विरुद्ध अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए एएस-15 संशोधित (2005) को अपनाने पर संक्रमणकालीन देयता को मान्यता देने का विकल्प चुना है।

6. कराधान के लिए प्रावधान:

- (क) आयकर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की कुल राशि है। चालू वर्ष के करों का निर्धारण प्रचलित कानूनों और AS-22 के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर समायोजन में अवधि के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में हुए परिवर्तन शामिल होते हैं।
- (ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिसंपत्तियों और देनदारियों के अग्रणी मूल्यों और उनके संबंधित कर आधार तथा आगे ले जाने वाली हानियों के बीच उत्पन्न होने वाले समय के अंतर के कारण भविष्य में होने वाले कर परिणामों के लिए विवेकपूर्ण आधार पर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो बैलेंस शीट की तिथि से पहले लागू किए गए हैं या बाद में लागू किए गए हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- (ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के इस निर्णय पर आधारित होता है कि क्या प्राप्ति निश्चित मानी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस आधार पर मान्यता दी जाती है कि क्या प्राप्ति निश्चित मानी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनवशोषित मूल्यहास और कर हानियों को आगे ले जाने पर तभी मान्यता दी जाती है जब यह लगभग निश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के लाभ के विरुद्ध प्राप्त किया जा सकता है।

7. राजस्व मान्यता

7.1 आय एवं व्यय बुकिंग:

आय और व्यय का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो :

- क. गैर-निष्पादित अग्रिमों/निवेशों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों/निवेशों पर ब्याज और अन्य आय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त सीमा तक मान्यता दी जाती है।
- ख. शुल्क, कमीशन (बीमा कमीशन के अलावा), एक्सचेंज लॉकर किराया और बीमा दावों को वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- ग. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वसूली के आधार पर अतिदेय बिलों पर ब्याज।
- घ. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली को पहले मूलधन की राशि तथा उसके बाद ब्याज की राशि के रूप में विनियोजित किया गया है।
- ड. आयकर/अन्य कर रिफंड पर ब्याज से आय का लेखा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर किया जाता है।
- च. अप्रत्याशित आय/व्यय का लेखा प्राप्ति/भुगतान के वर्ष में किया जाता है।
- छ. शाखाओं को जारी की गई स्टेशनरी को उपभोगित माना गया है।
- ज. अतिदेय सावधि जमा पर बचत बैंक दर पर ब्याज प्रदान किया जाता है।

8. कुल लाभ (हानि)

लाभ-हानि खाते में प्रकटित शुद्ध लाभ, निम्नलिखित के लिए प्रावधान करने के बाद प्राप्त किया जाता है:

- आयकर (लेखा मानक AS-22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार आस्थगित कराधान सहित)।
- खराब और संदिग्ध अग्रिम;
- आरबीआई के निर्देशों के अनुसार निवेश के मूल्य में समायोजन, यदि कोई हो;
- मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान.
- आकस्मिकताओं के लिए स्थानांतरण, और
- अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान।

9. प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए लेखांकन:

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी (एएस) 29, प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार, बैंक तब प्रावधानों को मान्यता देता है जब उसके पास वर्तमान दायित्व होता है, किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और जब दायित्व की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान, बैलेंस शीट की तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, और इसी तरह के लेनदेन के अनुभव से पूरित होते हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह दर्शाती है कि आकस्मिकता पर नुकसान यथोचित रूप से संभव है, लेकिन नुकसान की राशि का यथोचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वित्तीय विवरणों में एक प्रकटीकरण किया जाता है।

यदि कोई आकस्मिक परिसंपत्तियां हैं तो उन्हें वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि इससे ऐसी आय की पहचान हो सकती है जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती।

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
नीरज कुमार
निदेशक

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
सैयद रईस मकबूल
निदेशक

ह/-
उर्मिल लता
निदेशक

ह/-
नीतू गुप्ता
निदेशक

ह/-
निसार अहमद कौल
निदेशक

हमारी संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या : 014461N)

(सीए सुनील चौधरी)
साथी
एम. नं.: 508018

दिनांक : 29.04.2025
स्थान : जम्मू

अनुसूची - 18

31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
खातों के लिए नोट्स

1. विनियामक पूंजी

1.1 विनियामक पूंजी की संरचना

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	चुकता पूंजी, शेयर पूंजी जमा और रिजर्व (कटौतियों के बाद) शुद्ध	355.56	373.31
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	-	-
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	355.56	373.31
iv)	टियर 2 पूंजी	23.73	22.39
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	379.29	395.70
vi)	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	4011.72	3531.01
vii)	आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि	8.86 %	10.57%
Viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	8.86 %	10.57%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	0.59%	0.64%
x)	पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	9.45%	11.21%
xi)	उपलब्ध साधन का अनुपात	4.71%	5.43%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	50%	50%
	ख) जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार	15%	15%
	ग) जे एंड के बैंक	35%	35%
xiii)	वर्ष के दौरान हितधारकों से प्राप्त अतिरिक्त पूंजी की राशि	NIL	204.48
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि	-	-
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि	-	-

1.2 रिज़र्व से निकासी

वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली गई।

2 निवेश

2.1 निवेश का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम. ख.	विवरण	यथा	
		31.03.2025	31.03.2024
1.	निवेश का मूल्य		
	निवेश का सकल मूल्य		
	क) भारत में	1122.17	1123.78
	ख) भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	मूल्यहास के लिए प्रावधान		
	क) भारत में	शून्य	शून्य
	ख) भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	एनपीआई के लिए प्रावधान		
	क) भारत में	शून्य	शून्य
	ख) भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	निवेश का निवल मूल्य		
	क) भारत में	1122.17	1123.78
	ख) भारत के बाहर	शून्य	शून्य
2.	निवेश पर मूल्यहास हेतु रखे गए प्रावधानों का संचलन		
	(i) प्रारंभिक जमा	शून्य	शून्य
	(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	शून्य	शून्य
	घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापस करना	शून्य	शून्य
	(iii) जमा शेष	शून्य	शून्य
3.	निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व की गतिविधि		
	(i) प्रारंभिक जमा	शून्य	शून्य
	(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	शून्य	शून्य
	(iii) कम: गिरावट	शून्य	शून्य
	(iii) जमा शेष	शून्य	शून्य
4.	एएफएस और एचएफटी/चालू श्रेणी में निवेश के समापन शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में समापन शेष	शून्य	शून्य

2.2 मूल्यहास और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के लिए प्रावधानों का आंदोलन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम. खं.	विवरण		यथा	
			31.03.2025	31.03.2024
1.	निवेश पर मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन			
	(i)	प्रारंभिक जमा	शून्य	शून्य
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	शून्य	शून्य
		घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापस करना	शून्य	शून्य
	(iii)	जमा शेष	शून्य	शून्य
2.	निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व की गतिविधि			
	(i)	प्रारंभिक जमा	शून्य	शून्य
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	शून्य	शून्य
	(iii)	कम: गिरावट	शून्य	शून्य
	(iv)	जमा शेष	शून्य	शून्य
3.	एएफएस और एचएफटी/चालू श्रेणी में निवेश के समापन शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में समापन शेष		-	-

2.3 वर्ष 2024-25 के दौरान रेपो लेनदेन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम. खं.	विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान 365 दिन का दैनिक औसत बकाया	31.03.2025 तक बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ:					
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(पिछले वर्ष)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii.	कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(पिछले वर्ष)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii.	कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ					
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(पिछले वर्ष)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii.	कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(पिछले वर्ष)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii.	कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.4 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

2.4.1 31.03.2025 तक गैर एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि लाख रुपये में)

क्रम. खं.	जारीकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे की सीमा	बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफसी, एआईएफआई सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	बैंक (सीडी सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	निजी कॉर्पोरेट (सीपी सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	डिप./एनपीआई के लिए प्रावधान	शून्य				
8	कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.4.2 गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	यथा 31.03.2025	यथा 31.03.2024
प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान वृद्धि	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान कटौती	शून्य	शून्य
समापन शेष	शून्य	शून्य
कुल प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों सहित)	शून्य	शून्य

2.4.3 तीन श्रेणियों अर्थात् ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता तक धारित (धारित प्रावधानों के बाद शुद्ध) के अंतर्गत निवेश का मूल्य निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	यथा 31.03.2025				यथा 31.03.2024			
	एचएफटी	एएफएस	एचटीएम	कुल	एचएफटी	एएफएस	एचटीएम	कुल
सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	7505	104712	112217	शून्य	6021	105857	111878
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शेयर (इक्विटी और प्रीफ़.)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डिबेंचर और बॉन्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	500	शून्य	500
सहायक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य (एमएफ इकाइयाँ आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	7505	104712	112217	शून्य	6521	105857	112378

2.4.4 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में बिक्री और स्थानांतरण

बैंक ने एचटीएम श्रेणी से सीधे तौर पर कोई प्रतिभूति नहीं बेची है।

3. परिसंपत्ति की गुणवत्ता

3.1 अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण:

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण		मानक	गैर-निष्पादित				कुल
			कुल मानक अग्रिम	उप-स्टैंडर्ड	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादित अग्रिम	
i)	सकल मानक अग्रिम और एनपीए							
	क)	प्रारंभिक शेष	350548	2173	10794	1903	14870	365418
	ख)	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-
	ग)	कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-	-	-
	घ)	कम: वर्ष के दौरान कमी	399319	2886	11193	1691	15770	415089
		*सकल एनपीए में कमी के कारण	-	-	-	-	-	-
	i	उन्नयन	-	-	-	-	-	-
	ii	वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से वसूली को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-
	iii	तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट ऑफ	-	-	-	-	-	-
	iv	उपरोक्त (iii) के अंतर्गत आने वाले के अलावा अन्य राइट ऑफ	-	-	-	-	-	-
ii)	प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)		-	-	-	-	-	-
	क)	रखे गए प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	1072	319	8140	1866	10325	11397
	ख)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					862	
	ग)	घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान उलट दिए गए/ऋण माफ कर दिए गए					468	
	घ)	रखे गए प्रावधानों का समापन शेष	1207	421	8642	1656	10719	11926

iii)	शुद्ध एनपीए*						
	क) प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	4545	
	ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन	-	-	-	-	506	-
	ग) कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-		-
	घ) समापन शेष	-	-	-	-	5051	
iv)	अस्थायी प्रावधान						
	क) प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	0
	ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	-	-	-	-	-	0
	ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	-	-	-	-	-	0
	घ) अस्थायी प्रावधानों का समापन शेष	-	-	-	-	-	0
v)	तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली		-	-	-	-	-
	क) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों का आरंभिक शेष	-	-	-	-	-	4558
	ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण राइट-ऑफ	-	-	-	-	-	468
	ग) घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले से तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली	-	-	-	-	-	515
	घ) समापन शेष	-	-	-	-	-	4511

अनुपात (प्रतिशत में)	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	3.80	4.07
शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम	1.25	1.28
प्रावधान कवरेज अनुपात	75.09	76.60

3.2 क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
1.	प्राथमिकता क्षेत्र						
क	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1142.04	66.17	5.79	1015.79	64.23	6.32
ख	उद्योग क्षेत्र को अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र	447.71	27.43	6.13	501.96	20.67	4.12
ग	सेवाएं	1299.46	51.49	3.96	1071.71	49.08	4.58
घ	व्यक्तिगत ऋण	275.80	0.87	0.32	239.88	0.85	0.35
ड	अन्य	16.90	0.64	3.79	16.2	0.75	4.63
	उप योग (1)	3181.91	146.60	4.61	2845.64	135.58	4.76
2.	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
क	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	0.00	0.00	0	0	0	0
ख	उद्योग	0.00	0.00	0	0	0	0
ग	सेवाएं	0.00	0.00	0	0	0	0
घ	व्यक्तिगत ऋण	635.99	11.04	1.74	521.03	12.9	2.48
ड	अन्य ऋण	332.99	0.06	0.02	287.51	0.22	0.08
	उप योग (2)	968.98	11.10	1.15	808.54	13.12	1.62
	कुल (1+2)	4150.89	157.70	3.80	3654.18	148.7	4.07

3.3 पुनर्गठित ऋणों का विवरण

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
	पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनर्वार्ता के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि	1126.48	1385.99
1.	पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनर्वार्ता के अधीन मानक परिसंपत्तियों की राशि	1126.48	1385.99

2.	पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनर्वार्ता के अधीन अवमानक परिसंपत्तियों की राशि	शून्य	शून्य
3.	पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनर्वार्ता के अधीन संदिग्ध परिसंपत्तियों की राशि	शून्य	शून्य

3.4 पुनर्संरचना के अधीन खातों का विवरण:

[illegible]

3.5 ऋण जोखिमों के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान हस्तांतरित संकटग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाएगा है)

सभी राशियां (₹ करोड़ में)	एआरसी के लिए	अनुमत प्राप्त स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए	अन्य स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
संख्या खातों का	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाना है)

सभी राशियां (₹ करोड़ में)	एआरसी के लिए	अनुमति प्राप्त स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए	अन्य स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त हुआ	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण			
सभी राशि (₹ करोड़ में)	एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी)	एआरसी से	
प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन	शून्य	शून्य	
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	
ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि प्राप्त	शून्य	शून्य	

3.6 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण।

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
1.	खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	शून्य	शून्य
3.	कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
4.	पिछले वर्षों में स्थानांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त हुआ।	शून्य	शून्य
5.	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	शून्य	शून्य

3.7 धोखाधड़ी वाले खाते

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	3	शून्य
धोखाधड़ी में शामिल राशि (लाखों में)	68.69	शून्य
ऐसी धोखाधड़ी के लिए पहले से ही प्रावधान की गई राशि (लाखों में)	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान ऐसी धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की गई राशि (लाखों में)	*38.65	शून्य
वर्ष के अंत तक अन्य रिजर्व से डेबिट की गई अमोटाईज्ड की राशि का प्रावधान (लाखों में)	शून्य	शून्य

*सभी धोखाधड़ी की रिपोर्ट एनश्योर पोर्टल पर एफएमएस रिटर्न के माध्यम से नाबार्ड को दी गई है।

* अंतर राशि अर्थात (30.04 लाख) के लिए खातों में वसूली की गई, इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

3.8 COVID-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण:

प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत एक विशेष विंडो को 6 अगस्त, 2020 के परिपत्र DOR.No.BO.BN/3/21.04.048/2020-21 के माध्यम से विस्तारित किया गया था ताकि ऋणदाता पात्र कॉर्पोरेट ऋणों और व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में एक समाधान योजना लागू कर सकें, जबकि ऐसे जोखिमों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। बैंक 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली छमाही से शुरू होकर, प्रत्येक छमाही, अर्थात 30 सितंबर और 31 मार्च तक के वित्तीय विवरणों में, नीचे दिए गए प्रारूप में प्रकटीकरण करेंगे, जब तक कि वे सभी ऋण-जोखिम जिन पर समाधान योजना लागू की गई थी, या तो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते या पूरी तरह से एनपीए में नहीं बदल जाते जो भी पहले हो।

(राशि करोड़ रुपये में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - पिछले पूर्ण वर्ष (ए) के अंत तक की स्थिति (मार्च-2024)	(ए) में से, कुल ऋण जो पूरे वर्ष के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) पूर्ण वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाली गई राशि	(ए) पूरे वर्ष के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - वित्तीय वर्ष के अंत तक स्थिति (मार्च-2025)
व्यक्तिगत ऋण	0.84	--	--	0.20	0.72
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	--	--	--	--	--
जिनमें से एम.एस.एम.ई	--	--	--	--	--
अन्य	0.92	--	--	0.21	0.80
कुल	1.76	--	--	0.41	1.52
* दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित अनुसार					
पुनर्गठित एमएसएमई खाते					
एमएसएमई	8.44	--	--	3.32	6.51
कुल योग	10.20	--	--	3.73	8.04

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 से संबंधित तनाव का समाधान, दिनांक 5 मई, 2021 के परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 के माध्यम से, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इन निर्देशों के तहत पुनर्गठित एमएसएमई खातों से संबंधित है।

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि (लाखों रुपये में)	प्रावधानित राशि (लाखों रुपये में)
59	382.55	96.06

उपर्युक्त परिपत्र के निर्देशों के अनुसार, पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर, ऋणदाता संस्थानों को उधारकर्ता के शेष ऋण का 10% प्रावधान रखना होगा।

4. एक्सपोजर

4.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश*

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1.	प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
(i)	आवासीय बंधक**	431	370
	ऋण पूरी तरह से आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा सुरक्षित है जो उधारकर्ता के कब्जे में है या होगी या जो किराए पर है; (**इसमें प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण शामिल हैं जिनकी राशि 240 करोड़ रुपये है) (पिछले वर्ष 251 करोड़ रुपये)		
(ii)	वाणिज्यिक रियल एस्टेट	3.08	3.56
	वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण।		
(iii)	बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूति जोखिमों में निवेश	शून्य	शून्य
(क)	आवासीय	शून्य	शून्य
(ख)	वाणिज्यिक अचल संपत्ति	शून्य	शून्य
2.	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर (राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जोखिम)	शून्य	शून्य
	रियल एस्टेट में कुल जोखिम	434.08	373.56

*उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक के प्रबंधन द्वारा अनुपालन एवं प्रमाणित है तथा लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है।

4.2 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा का विवरण। बैंक ने वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ता सीमा और समूह उधारकर्ता सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।

4.3 असुरक्षित अग्रिम अमूर्त परिसंपत्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकरण आदि द्वारा सुरक्षित ऋण और अग्रिम का विवरण।

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम	शून्य	शून्य
उपरोक्त में से, अग्रिमों की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

5. जमा, अग्रिम, जोखिम और एनपीए का संकेन्द्रण

5.1 जमाओं का संकेन्द्रण

विवरण	31.03.2025
20 सबसे बड़ी जमा फर्म की कुल जमा राशि (करोड़ रुपये में)	98.43
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	1.56%

5.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

विवरण	31.03.2025
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम (करोड़ रुपये में)	48.11
बैंक के कुल अग्रिमों में से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	1.16%

5.3 एक्सपोजर की सांद्रता

विवरण	31.03.2025
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल ऋण (करोड़ रुपये में)	64.01
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के जोखिम का प्रतिशत	1.54%

5.4 एनपीए का संकेन्द्रण

विवरण	31.03.2025
शीर्ष 4 एनपीए खातों में कुल जोखिम (करोड़ रुपये में)	1.65

6. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईएफ) में स्थानान्तरण

(राशि लाख में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
DEAF को हस्तांतरित राशि का आरंभिक शेष	1344.89	954.73
जोड़ें: DEAF को हस्तांतरित राशि (वर्ष के दौरान)	733.80	409.83
घटाएँ: दावों के लिए DEAF द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	116.77	19.67
DEAF को हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष	1961.92	1344.89

7. शिकायतों का खुलासा

7.1 बैंक को ग्राहकों और लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	209	130
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	208	130
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	01	0
लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतें			
5.	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतों की संख्या	12	17
5.1	लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5,	11	16
5.2	लोकपाल कार्यालय द्वारा सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5 में से	01	01
5.3	बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा निर्णय पारित करने के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5,000 है।	शून्य	शून्य
6.	निर्धारित समय के भीतर क्रियान्वित न किए गए पुरस्कारों की संख्या (अपील किए गए पुरस्कारों को छोड़कर)	शून्य	शून्य

7.2 बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार

शिकायतों का आधार (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष					
एटीएम/डेबिट कार्ड	शून्य	2	-81.82 %	शून्य	शून्य
मोबाइल बैंकिंग	शून्य	8	-11.11 %	शून्य	शून्य

ऋण और अग्रिम	7	94	38.24 %	शून्य	शून्य
कर्मचारियों का व्यवहार	शून्य	43	95.45 %	1	शून्य
अन्य	शून्य	74	50 %	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	221	50.34 %	1	शून्य
पिछले वर्ष					
ATM/Debit Cards	शून्य	11	-26.67%	शून्य	शून्य
Mobile Banking	शून्य	09	-18.18%	शून्य	शून्य
Loans and Advances	शून्य	68	151.85%	शून्य	शून्य
Staff Behaviour	शून्य	22	633.33%	शून्य	शून्य
Others	शून्य	37	208.33%	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	147	116.17%	शून्य	शून्य

8. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)/राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कृषि बैंक (नाबार्ड) द्वारा लगाया गया जुर्माना 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान आरबीआई/नाबार्ड द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष; शून्य)।

9. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

i) प्रायोजक बैंक (जेएंडके बैंक) से प्रतिनियुक्ति पर आए अध्यक्ष, महाप्रबंधकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक का विवरण:

(राशि रुपये में)

	अध्यक्ष	महाप्रबंधक	अन्य कर्मचारी
वेतन और भत्ते	4649450	8934220	16782648
कुल	4649450	8934220	16782648

ii) संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

आइटम/संबंधित पक्ष	जे एंड के बैंक लिमिटेड (प्रायोजक बैंक)
31.03.2025 तक बकाया	
उधारी	11.67*
जमा	1875.35
अन्य देयताएं (जेएंडके बैंक द्वारा निवेश)	206.31

अग्रिम	शून्य
निवेश	शून्य
अन्य परिसंपत्तियां	शून्य
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अधिकतम बकाया	
उधारी	11.67*
जमा	1875.35
अन्य देयताएं (जे एंड के बैंक द्वारा निवेश)	206.31
अग्रिम	54.81
निवेश	शून्य
अन्य परिसंपत्तियां	शून्य
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान	
ब्याज आय	133
ब्याज व्यय	0.45
से खरीदी गई अचल संपत्तियां	शून्य
बेची गई अचल संपत्तियां	शून्य
प्रदान की गई सेवाओं से आय	शून्य
प्रायोजक बैंक से सेवाएँ प्राप्त करने के लिए व्यय	1.09

***जेकेजीबी द्वारा सीबीएस के कार्यान्वयन के लिए टियर II सतत बांड में निवेश के रूप में प्रायोजक बैंक का 50% हिस्सा 1167 लाख रुपये है।**

आइटम/संबंधित पक्ष	श्री संजय गुप्ता (अध्यक्ष)
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पद पर बने रहने की अवधि	01.04.2024 to 31.03.2025
निवेश	शून्य
प्राप्त ब्याज/कमीशन	शून्य
वेतन (राशि रु. में)	4649450.00

10 अन्य प्रकटीकरण:
10.1 व्यवसाय अनुपात:

क्र. सं.	विवरण	यथा	
		31.03.2025	31.03.2024
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.36 %	8.32%
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.56 %	0.57%
(iii)	जमा की लागत	5.00 %	4.79%
(iv)	शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.65 %	3.86%
(v)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ/हानि(-)	-0.11 %	0.55%
(vi)	संपत्ति पर वापसी	-0.18 %	0.06%
(vii)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशि एवं अग्रिम) (लाख रुपये में)	867.96	763.81
(viii)	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ/हानि (लाख रुपये में)	-1.06	0.31

* उपरोक्त प्रकटीकरण बैंक के प्रबंधन द्वारा संकलित और प्रमाणित है तथा लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है।

10.2 बीमा व्यवसाय

बैंक द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
1.	जीवन बीमा व्यवसाय	55.39	53.94
2.	स्वास्थ्य बीमा	41.88	61.88
3.	सामान्य बीमा	142.13	156.98
	कुल	239.40	272.80

10.3 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

पीएसएलसी बिक गया		पीएसएलसी खरीदा गया		वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ
कुल बिका हुआ	प्रीमियम प्राप्त	कुल खरीदी गई	बीमा शुल्क का भुगतान	
494	10.19	शून्य	शून्य	10.19

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने पीएसएलसी योजना के अंतर्गत पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ श्रेणी में 494 करोड़ रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम बेचे हैं और 10.19 करोड़ रुपये का अर्जित प्रीमियम "गैर ब्याज आय" शीर्षक के अंतर्गत "लाभ और हानि खाते" में शामिल किया गया है।

10.4 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

"लाभ और हानि खाते में व्यय" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए "प्रावधान और आकस्मिकताओं" का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31.03.2025	31.03.2024
एनपीए के विरुद्ध प्रावधान	8.62	16.29
मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान	1.34	0.52
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
धोखाधड़ी और गबन के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
बोनस का प्रावधान*	शून्य	शून्य
पेंशन का प्रावधान*	34.20	11.84
आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
वेतन संशोधन का प्रावधान	11.96	25.72
समाधान फ्रेमवर्क 2.0 के तहत एफआईटीएल ऋण के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
कुल	56.12	54.37

* कर्मचारियों के लिए चालू वर्ष में बोनस का प्रावधान शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) और कर्मचारी पेंशन के लिए 34.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 11.84 करोड़ रुपये) और वेतन संशोधन प्रावधान 11.96 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 25.72 करोड़ रुपये) को "प्रावधान और आकस्मिकताएं" के बजाय "प्रचालन व्यय" के तहत "कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान" शीर्षक के तहत "लाभ और हानि खाते" में शामिल किया गया है।

10.5 डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	8.98	6.51
2	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

10.6 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

31.03.2025 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुछ मदों की परिपक्वता पैटर्न*

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 महीने तक	2 महीने से 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमा	45.28	204.30	211.02	192.54	218.76	273.78	734.32	1587.12	2767.13	35.21	29.90	6299.36
कुल अग्रिम*	122.51	89.89	104.77	217.95	106.70	106.65	11.08	92.23	1814.79	419.48	957.65	4043.70
निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	104.70	277.72	245.17	484.58	1122.17
उधारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	212.77	390.95	11.15	38.22	11.67	718.44
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* कुल अग्रिमों के आंकड़े में सकल निष्पादन अग्रिम और गैर-निष्पादित अग्रिम (एनपीए) शामिल हैं, जो प्रावधानों से मुक्त हैं।

** उपरोक्त प्रकटीकरण बैंक के प्रबंधन द्वारा संकलित और प्रमाणित है तथा लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है।

10.7 वर्ष के दौरान करों के लिए किए गए प्रावधानों की विविध राशि

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आस्थगित कर परिसंपत्ति*	499.31	-1359.02
विलम्बित टैक्स देयता*	शून्य	शून्य
आयकर	शून्य	शून्य

* आस्थगित कर देयता एवं परिसंपत्ति की गणना के लिए केवल भौतिक मदों पर ही विचार किया गया है।

11. अतिरिक्त प्रकटीकरण

11.1 भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

11.1.1 लेखांकन मानक एस 9 - राजस्व मान्यता

आय की मदों की पहचान में कोई भौतिक विचलन नहीं है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के साथ लेखा मानक-9 के अनुसार प्रकट किया जाना आवश्यक है।

11.1.2 लेखांकन मानक एस 10 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

क) आयकर नियम, 1962 में निर्धारित दरों पर मूल्यहास लिखित मूल्य विधि (कंप्यूटर और मोबाइल फोन को छोड़कर) पर लगाया जाता है। कंप्यूटर (एटीएम सहित) और कंप्यूटर के अभिन्न अंग सॉफ्टवेयर पर मूल्यहास की गणना आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर 33.33% की दर से की जाती है। इसके अलावा, मोबाइल फोन का उपयोगी जीवन 2 वर्ष माना जाता है और मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए सीधी रेखा विधि पर लगाया जाता है।

किसी विशिष्ट अचल परिसंपत्ति की खरीद के विरुद्ध प्राप्त सब्सिडी/अनुदान, यदि कोई हो, को संबंधित परिसंपत्ति की लागत से घटा दिया जाता है तथा मूल्यहास ऐसी अचल परिसंपत्ति के घटे हुए मूल्य पर लगाया जाता है।

(ख) लेखांकन मानक (एस)-26 के अनुपालन में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अधिग्रहण लागत, जो कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है और जहां यह संभावना है कि इस सॉफ्टवेयर से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ बैंक में जाएंगे, को पूंजीकृत किया जा रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर 33.33% की दर से मूल्यहास लगाया जा रहा है।

(ग) बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास में पट्टे पर दी गई संपत्तियों के संबंध में 0.67 लाख रुपये की राशि का परिशोधन शामिल है।

11.2 लेखांकन मानक एस 12 - सरकारी अनुदान

क) किसी विशिष्ट अचल परिसंपत्ति की खरीद के विरुद्ध वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी/अनुदान, यदि कोई हो, को संबंधित परिसंपत्ति की लागत से घटा दिया जाता है और मूल्यहास ऐसी अचल परिसंपत्ति के कम मूल्य पर लगाया जाता है।

(ख) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कुछ निश्चित अचल परिसंपत्तियों/सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण के लिए 36,77,230/- रुपये (पिछले वर्ष 13,04,884/- रुपये) का अनुदान प्राप्त हुआ/प्राप्त होने वाला है।

11.3 लेखांकन मानक एस 15 –कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजनाएँ

कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना और अवकाश नकदीकरण, परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं। बैंक को मेसर्स बी. चटर्जी इंटरनेशनल कंसल्टेंट से एस-15 के अंतर्गत दिनांक 07.03.2025 की ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बैंक ने ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण हेतु अपनी धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निवेश की है।

क्र. सं.	विवरण	समाप्त अवधि के लिए 31.03.2025	
		उपहार	नकदीकरण छोड़े
1	दिनांक 07.03.2025 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दायित्वों का वर्तमान मूल्य	40,79,11,206	41,99,85,656
2	एलआईसी के पास फंड का उचित मूल्य	33,51,47,727	33,08,12,718
3	संतुलन, कमी होना	7,27,63,479	8,91,72,938
4	बैंक द्वारा Q1+Q2+Q3 में पहले ही प्रावधान किया जा चुका है	4,86,45,092	7,35,57,054
5	Q1+Q2+Q3 के कुल प्रावधानों से बकाया भुगतान के लिए उपयोग की गई राशि	(2,39,95,355)	(2,41,02,112)
6	बकाया भुगतान के बाद निधि की स्थिति (क्रम संख्या 4-क्रम संख्या 5)	2,46,49,737	4,94,54,942
7	एलआईसी में निवेशित धनराशि पर अपेक्षित ब्याज	2,34,60,341	2,31,56,890
8	मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही में किया गया प्रावधान	2,46,53,401	1,65,61,106
9	कमी	शून्य	शून्य

क्र. सं.	विवरण	उपहार	नकदीकरण छोड़े
		31.03.2025	31.03.2025
1.	छूट की दर	7.08 %	7.08 %
2.	अपेक्षित आरओआर	7.00 %	7.00 %
3.	वेतन वृद्धि की दर	7.00 %	7.00 %
4.	संघर्षण दर	1.00 %	1.00 %
5.	प्रयुक्त विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	
6.	01.04.2023 से 31.03.2024 तक भुगतान किए गए लाभ	7,73,78,778	3,60,62,663

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को कंप्यूटर वेतन वृद्धि का लाभ 01.11.1993 से वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8/1/2023-आरआरबी दिनांक 18.09.2024 के तहत प्रदान किया गया है।

- क.** उत्तर: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ग्रामीण बैंक पेंशनर्स समिति एवं अन्य" एसएलपी © 39288/2012 शीर्षक वाले मामले में, दिनांक 25.04.2018 के अपने आदेश में, भारत संघ को निर्देश दिया है कि वह सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निर्णय को शीघ्रता से और किसी भी दर पर इस निर्णय की एक प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने के भीतर लागू करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, पेंशन योजना को लागू करने के लिए बैंक ने अधिसूचना संख्या JKGB/HRDD/2018-4318 दिनांक 26.11.2018 के तहत जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम 2010 और जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 में आवश्यक संशोधन किए हैं। इसके तहत जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 को शामिल किया गया है, जो 28.11.2018 से लागू हो गया है। इस प्रकार बैंक के प्रबंधन ने न्यायालय में विधिवत पंजीकृत दो ट्रस्टों का गठन किया है और उपयुक्त प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति और छूट प्राप्त की है। बैंक ने अपने कर्मचारियों को एनपीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के रूप में भी नियुक्त किया है।
- ख.** पेंशन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के लिए बैंक ने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को एक्चुअरी नियुक्त किया है। एलआईसी की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2019 तक कुल पेंशन देयता 464.25 करोड़ रुपये थी।
- ग.** नाबार्ड ने अपने पत्र क्रमांक- NB. DOS. Pol. HO/2533/J-1/2019-20 दिनांक 12.12.2019 के माध्यम से बैंक को मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर पाँच वर्षों की अवधि में अपनी पेंशन देयता का परिशोधन करने की सलाह दी। हालाँकि, बैंक ने वित्त वर्ष 2022-2023 तक ₹489.01 करोड़ (₹464.25 + ₹24.76 करोड़ अतिरिक्त) का प्रावधान किया है। इसके अलावा, बैंक ने वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान महंगाई राहत दरों में संशोधन, कंप्यूटर वेतन वृद्धि/FPP के बकाया भुगतान के लिए ₹11.84 करोड़ का प्रावधान किया है।
- घ.** भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने पत्र संख्या 8/1/2023-आरआरबी दिनांक 18.09.2024 के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को जो 01.11.1993 तक सेवा/परिवीक्षा पर थे, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 01.11.1993 से दी गई कंप्यूटर वेतन वृद्धि के लाभ के अनुरूप, उसके बकाया भुगतान सहित, कंप्यूटर वेतन वृद्धि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने पत्र संख्या 8/2/2024-आरआरबी दिनांक 08.07.2024 के माध्यम से 12वें द्विपक्षीय समझौते/9वें संयुक्त नोट के अनुरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17(1) के प्रावधान 2 के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस संबंध में, उक्त व्यय और महंगाई राहत (अर्धवार्षिक आधार पर) में संशोधन, कंप्यूटर वेतन वृद्धि/एफपीपी जारी होने के कारण पेंशन में संशोधन, 12 बीपीटी और अनुग्रह राशि के कारण पेंशन में संशोधन के कारण पेंशन देयता में अपेक्षित वृद्धि को पूरा करने के लिए, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 34.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
डीआर दर में संशोधन, 12 बीपीटी बकाया, अनुग्रह राशि आदि के लिए प्रावधान किया गया।	13.20
पेंशन देयता की कमी के कारण अतिरिक्त प्रावधान (मूल्यांकन के अनुसार) (कंप्यूटर वेतन वृद्धि, 12 बीपीटी और अनुग्रह राशि के कारण मासिक पेंशन में संशोधन के कारण देयता बढ़ जाती है)	21.00
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए कुल प्रावधान	34.20

- ड.** इसके अलावा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने पत्र संख्या 8/4/2024-आरआरबी दिनांक 03.10.2024 के माध्यम से आरआरबी में 01.11.1993 से पेंशन योजना के कार्यान्वयन (वर्तमान में 01.04.2018 से कार्यान्वयन के अधीन) के साथ-साथ पात्र पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को परिणामी बकाया के भुगतान के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रदान की गई समयसीमा का अनुपालन करते हुए, बैंक ने 20% की दर से 7.99 करोड़ रुपये का पेंशन बकाया, 30% की दर से 12.73 करोड़ रुपये का पेंशन बकाया और 50% की दर से 23.70 करोड़ रुपये का शेष पेंशन बकाया जारी किया है। भुगतान की गई पेंशन की कुल बकाया राशि 44.42 करोड़ रुपये है।
- च.** इसके अलावा, नाबार्ड, मुंबई ने अपने पत्र संख्या NB.HO.IDD.RRB/172918/(316-RRB नीति)/2024-25 दिनांक 26.03.2025 के माध्यम से सूचित किया है कि RBI ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पेंशन संशोधन के कारण होने वाले व्यय को 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित करने की अनुमति दी है, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष कुल पेंशन देयता का न्यूनतम 20% व्यय किया जाए। बैंक द्वारा परिशोधित राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ में राशि)
1.	कुल पेंशन देयता का परिशोधन 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ करते हुए पांच वर्षों में किया जाएगा।	44.42
2.	मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पेंशन देयता का परिशोधन किया गया (जो 44.42 करोड़ रुपये की कुल पेंशन देयता का 1/5वां हिस्सा है)।	8.88
3.	पेंशन देयता अगले 04 वर्षों में चुकाई जाएगी	35.54

- **लंबित वेतन संशोधन भत्ते के भुगतान और एनपीएस के लिए नियोक्ता अंशदान में संशोधन का प्रावधान:**
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने 11.96 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें से 11.56 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए नियोक्ता के योगदान में संशोधन के लिए वेतन और महंगाई भत्ते के 10% से 14% तक 11.11.2020 से और शेष 0.40 करोड़ रुपये 12वें द्विपक्षीय समझौते/9वें संयुक्त नोट के अनुरूप लंबित वेतन संशोधन भत्ते के भुगतान के लिए हैं।
- **कंप्यूटर वेतन वृद्धि का भुगतान:** भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने पात्र अधिकारियों को 01.11.1993 से कंप्यूटर वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया है। इस संबंध में, बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 17.45 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है, इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4.05 करोड़ रुपये का तदर्थ प्रावधान भी किया गया है।

11.4 लेखांकन मानक एस 17 – खंड रिपोर्टिंग

भाग A-व्यावसायिक खंड

बैंक ने अपने परिचालन वाले किसी भी व्यावसायिक खंड को वर्गीकृत नहीं किया है।

भाग बी - भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक की कोई विदेशी शाखा नहीं है इसलिए भौगोलिक क्षेत्र की रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।

11.5 लेखांकन मानक एस 19- पट्टे

लीज़/किराये के आधार पर ली गई संपत्तियाँ बैंक की इच्छा पर नवीकरणीय/रद्द करने योग्य हैं। बैंक द्वारा लीज़ की अवधि सहमत अवधि के लिए होती है, जिसमें लीज़ अवधि के दौरान भी लिखित रूप में सहमत कैलेंडर महीनों का नोटिस देकर लीज़ को समाप्त करने का विकल्प होता है। परिचालन लीज़ के लिए भुगतान किया गया लीज़ किराया उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है जिससे वह संबंधित है। इस वर्ष के लिए लीज़ किराया ₹4.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.94 करोड़) है।

11.6 लेखांकन मानक एस 22-आय पर करों का लेखांकन

बैंक ने लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में आयकर का लेखा-जोखा किया है, तदनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता दी गई है।

(राशि लाख रुपये में)

समय का अंतर	आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए)	आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल)
परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	97.89	-
आगे ले जाने वाले नुकसान और अनवशोषित मूल्यहास	8733.13	-

शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ : रु. 8831.02

वर्ष के लिए आस्थगित कर प्रभाव : रु. -499.31

11.7 लेखांकन मानक एस 28-परिसंपत्तियों की हानि

बैंक की परिसंपत्तियों में मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जो लेखा मानक 28-परिसंपत्तियों की क्षति के अंतर्गत नहीं आती हैं। बैंक प्रबंधन की राय में, उक्त लेखा मानक के अनुसार, उसकी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई हानि नहीं हुई है।

11.8 लेखांकन मानक एस 29- आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान

अनुसूची 12 के अनुसार दर्शाए गए प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत आकस्मिक देयताओं के संबंध में, प्रबंधन की राय में, निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना बहुत कम है, इसलिए दायित्वों के निपटान के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

11.9 अस्थायी प्रावधानों का विवरण / उपयोग

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	यथा	
	31-03-2025	31-03-2024
प्रारंभिक जमा	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान किए गए आहरण	शून्य	शून्य
जमा शेष	शून्य	शून्य

12. अन्य खुलासे

- 12.1** 12.1 बैंक को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 12.75 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और 31 मार्च 2025 तक बैंक का कुल संचित घाटा 225.49 करोड़ रुपये है। 31 मार्च 2024-25 तक सीआरएआर 9.45% था, जबकि न्यूनतम निर्धारित नियामक आवश्यकता 9% है।
- 12.2** अंतर-बैंक/अंतर-शाखा लेनदेन, शाखा उचंत, प्रणाली उचंत, समाशोधन और विविध जमाओं का समाधान/समायोजन निरंतर आधार पर किया जा रहा है। प्रबंधन की राय में, असमाधानित प्रविष्टियों का, यदि कोई हो, वित्तीय विवरणों पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा और उनका समाधान होने पर लेखा/समायोजन किया जाएगा।
- 12.3 अतिदेय सावधि जमा पर ब्याज**
बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय सावधि जमा पर बचत बैंक दर या परिपक्व सावधि जमा पर अनुबंधित ब्याज दर, जो भी कम हो, पर ब्याज प्रदान करने की नीति का पालन करता है।
- 12.4 किसानों को ब्याज सहायता**
संदर्भ संख्या एनबी. डीओआर-नीति/910/आईएस-1/2022-23 के अंतर्गत जारी नाबार्ड मुंबई परिपत्र संख्या 204/डीओआर-70/2022 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार, एसटी-एसएओ के तहत फसल ऋण/केसीसी प्राप्त करने वाले 31362 शीघ्र भुगतान करने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान के रूप में 6,54,82,461/- रुपये (केवल छह करोड़ चौवन लाख बयासी हजार चार सौ इकसठ रुपये) की राशि देय होगी, जिसका दावा किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) से किया जाना बाकी है।
- 12.5 कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (ADWDRS-2008)**
कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 (एडीडब्ल्यूडीआरएस-2008) के अंतर्गत नाबार्ड/भारत सरकार (जीओआई) के पास 22.84 लाख रुपये का दावा लंबित है।
- 12.6 निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान**
आरबीआई के दिनांक 7 जनवरी, 2014 के परिपत्र संख्या RPCD.CO.RRB.BC.No./74/03.05.33/2013-14 के अनुसार, बैंक ने 1 अप्रैल, 2014 से एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में एमटीएम मानदंड लागू किए हैं। बैंक ने 31.03.2025 तक एसएलआर के संपूर्ण पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध', और 'व्यापार के लिए धारित'। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर होल्डिंग्स आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं। इस प्रकार, प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।
- 12.7 सस्पेंस खाते में रखे गए अप्राप्त ब्याज के संबंध में प्रकटीकरण**
31.03.2025 तक 284.03 करोड़ रुपये के एनपीए पर अप्राप्त ब्याज, जो सस्पेंस खाते में रखा गया था तथा लाभ-हानि खाते में नहीं लिया गया था।
- 12.8 प्रायोजक बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,15,51,939.65 रुपये (एक करोड़ पंद्रह लाख इक्यावन हजार नौ सौ उनतीस और पैंसठ पैसे मात्र) के व्यय का दावा किया है, जो बैंक द्वारा**

कार्यान्वित विभिन्न प्रौद्योगिकी पहलों पर अवसंरचना सुविधा और परियोजना प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने पर किया गया व्यय है। यह राशि वर्ष के दौरान 'अन्य व्यय' शीर्षक के अंतर्गत प्रदान की गई है।

12.9 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

31 मार्च 2025 तक बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 75.09% (पिछले वर्ष 76.60%) है। बैंक के पीसीआर में 40% प्रावधान वाले खातों के संबंध में संदिग्ध-2 श्रेणी के अंतर्गत 30% के अतिरिक्त प्रावधान प्रतिशत के साथ अपनाए गए प्रावधान मानदंडों के अतिरिक्त अतिरिक्त एनपीए प्रावधान रखने से सुधार हुआ है।

12.10 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत एमएसएमई से संबंधित प्रकटीकरण के संबंध में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान माल या सेवाओं की स्वीकृति की तिथि या मानी गई स्वीकृति की तिथि से 45 दिनों से अधिक नहीं हुआ है।

12.11 मुख्य लेखा नीतियां (अनुसूची 17) और खातों पर नोट्स (अनुसूची 18) इन खातों का अभिन्न अंग हैं।

12.12 जहाँ भी आवश्यक और संभव हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है। जिन मामलों में आरबीआई/नाबार्ड दिशानिर्देशों के अनुसार पहली बार खुलासे किए गए हैं, वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़े नहीं दिए गए हैं।

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
नीरज कुमार
निदेशक

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
सैयद रईस मकबूल
निदेशक

ह/-
उर्मिल लता
निदेशक

ह/-
नीतू गुप्ता
निदेशक

ह/-
निसार अहमद कौल
निदेशक

हमारी संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या : 014461N)

(सीए सुनील चौधरी)
साथी
एम. नं.: 508018

दिनांक : 29.04.2025
स्थान : जम्मू

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु. 000' छोड़ा गया)

	वर्ष समाप्ति 01.04.2024 से 31.03.2025 तक	वर्ष समाप्ति 01.04.2023 से 31.03.2024 तक
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	1,382,316	1,010,374
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(15,355)	(104,705)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-	2,044,839
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)	1,366,961	2,950,508
घ. वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	20,000,703	17,050,195
ड. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	21,367,664	20,000,703
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
I. कर के बाद शुद्ध लाभ	(127,511)	37,606
आयकर के लिए प्रावधान	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति	883,102	833,171
विलम्बित टैक्स देयता	-	-
कुल (I)	755,591	870,777
II. समायोजन:		
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	59,635	61,331
एनपीए अग्रिमों के लिए प्रावधान	86,158	162,881
निवेश का परिशोधन	13,945	18,977
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	-	-
कुल (II)	159,738	243,190
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ [कुल (I)+(II)]	915,329	1,113,967
III परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन		
जमा में वृद्धि (कमी)	5,892,099	4,413,859
उधार में वृद्धि (कमी)	1,098,467	1,828,773
निवेश में वृद्धि (कमी)	2,168	(485,791)
अग्रिमों में वृद्धि (कमी)	(5,013,796)	(4,143,033)
अन्य देनदारियों और प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	(38,076)	(769,137)
अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि (कमी) (प्री-पेड करों को छोड़कर संचित घाटा)	(1,473,874)	(948,264)
कुल (III)	466,987	(103,593)
परिचालन से उत्पन्न नकदी [कुल (I) + (II) + (III)]	1,382,316	1,010,374

घटाएँ: भुगतान किया गया कर (अग्रिम आयकर और टीडीएस)	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	1,382,316	1,010,374
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
क. अचल संपत्तियों की खरीद (बिक्री के बाद)	(15,355)	(104,705)
कुल	(15,355)	(104,705)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
क. पूंजी	-	4,922,795
ख. शेयर पूंजी जमा	-	(2,877,956)
ग. लाभांश/निकासी	-	-
कुल (क, ख, ग)		2,044,839.00
घ. वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष		
क. मेरे पास नकदी है	65,964	76,825
ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	2,531,188	2,372,238
ग. बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर धन	17,403,551	14,601,132
कुल (क, ख, ग)	20,000,703	17,050,195
ड. वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		
क. मेरे पास नकदी है	79,915	65,964
ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	2,441,193	2,531,188
ग. बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर धन	18,846,556	17,403,551
कुल (क, ख, ग)	21,367,664	20,000,703

- नोट 1. कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े "नकदी प्रवाह" को दर्शाते हैं।
2. भुगतान किए गए प्रत्यक्ष करों को परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न माना जाता है तथा उन्हें निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है।

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
नीरज कुमार
निदेशक

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
सैयद रईस मकबूल
निदेशक

ह/-
उर्मिल लता
निदेशक

ह/-
नीतू गुप्ता
निदेशक

ह/-
निसार अहमद कौल
निदेशक

हमारी संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या : 014461N)

(सीए सुनील चौधरी)
साथी

एम. नं.: 508018

दिनांक : 29.04.2025

स्थान : जम्मू

शाखाओं की सूची

क्र. सं.	जिला : जम्मू	क्र. सं.	जिला : सांबा	क्र. सं.	जिला : राजौरी
1	अखनूर	39	नरवाल	76	गुजरू नगरोटा
2	अरनिया	40	पल्लावाला	77	हरिपुर मोड़
3	बड़ियाल ब्राह्मण	41	पलौड़ा	78	हटली
4	बाहु फोर्ट	42	परगवाल	79	जखबार
5	बनतालाव	43	फलाएँ	80	कठुआ
6	बासपुर	44	रिहाल दमालियाँ	81	महानपुर
7	बटेरा	45	आर.एस. पुरा	82	माँडली
8	भलवाल	46	सई	83	मारता नगरोटा
9	बिशनाह	47	संग्रामपुर	84	नगरी परोल
10	बोहरी पाट्टा	48	सरोर	85	पल्ली मोड़
11	ब्रिज नगर	49	सतरायों कैम्प	86	परनाल्ला
12	चकरोई	50	शक्तिनगर	87	फेंत्तर
13	छत्री हिम्मत	51	सिम्बल कैम्प	88	राजबाग
14	चट्टा	52	सिम्बल मोढ़	89	शेरपुर बाला
15	चौकी चौरा	53	सरूईसर	90	बगनोटि
16	दबलेहर	54	घगवाल	91	बाजाबाँइ
17	दयौली	55	गुड़ह सलाथियाँ	92	भवानी
18	ढिगियाना	56	जख	93	चन्नी प्राट
19	गजनसू	57	करथौली	94	चिंगस
20	घौ मन्हासा	58	मंडी संगवाली	95	दरहाल मलकान
21	जन्दराह	59	नड़	96	देवक
22	जीवन नगर	60	नंदपुर	97	ढाँगरी
23	जौडियाँ	61	पंगदौर	98	धर्मसाल
24	कालूचक	62	परमंडल	99	डूंगी ब्राह्मणा
25	कल्याणपुर	63	रामगढ़	100	खौरा
26	कनहाल	64	राया	101	लाम
27	खैरी	65	सांबा	102	मंझाकोट
28	खौड़	66	समैलपुर	103	नौशेरा
29	किरपिंड	67	सुम्ब	104	पलम
30	कोटली झज्जर	68	स्वाँखा मोड़	105	राजौरी
31	कोटली मियां फ़तेह	69	बरवाल	106	शाहदरा
32	लक्ष्मी नगर, सरवाल	70	भूण्ड	107	सियालसुई
33	मैरा	71	चढ़वाल	108	सियोट
34	मलिक मॉकेट	72	चानग्रां	109	सोलकी
35	मुठ्ठी	73	कॉलेज रोड कठुआ	110	सुंदरबनी
36	मिश्रीवाला	74	दयाला चक	111	तत्तापानी
37	नगरोटा	75	दुग्गन	112	त्रियाठ
38	नरडी				

क्र. सं.	जिला : पुंछ
113	बफलियाज
114	चंडक
115	धारगलून
116	झूलास
117	मंडी
118	मनकोट
119	मैड़र
120	पूछ
121	सूरनकोट
क्र. सं.	जिला : किशतवाड़
122	दूल हस्ती
123	किशतवाड़
क्र. सं.	जिला: बांड़ीपोरा
124	अरागाम
125	अरिंदरदपौरा
126	अष्टिगू
127	बांड़ीपूरा
128	ढाबर गुरेज
129	हाजीन
130	नदीहाल
131	नौगाम सोनावारी
132	किलमुकास
133	सुम्बल
134	वाटपोरा
क्र. सं.	जिला: बारामूला
135	अगरी कलां
136	आजादगंज
137	बिजहामा
138	बोमई
139	बोनियार
140	बोटिन्गू
141	चन्दीलोरा
142	धोबिवान
143	दुरू
144	गिन्गल
145	घोश बुग
146	हान्जीवारा
147	हैदरबेग
148	हैगाम

149	जदीद
150	कच्छुमुकाम
151	ककरहमाम
152	कमलकोट
153	कनीसपोरा
154	खानपेठ
155	खानपोरा
156	खौरै शीराबाद
157	क्रैंकशिवन
158	कुन्जर
159	एम.बी. सोपोर
160	मिरगुंड
161	मॉडल टाउन नूरबाग
162	नेहालपोरा
163	एन सी सोपोर
164	ओग्मुना
165	अथूरा
166	पलहालन
167	पाथला
168	पट्टन
169	पीरनिया
170	प्रिंगल
171	रेबन
172	संगरामा
173	सीर जागीर
174	शीरी
175	सीरपोरा (बांग्ला)
176	सिंहपुरा (कलाँ)
177	टंगमर्ग
178	तिलगाम (हैदरबैग)
179	त्रेगपोरा
180	तुजार-शरीफ
181	उमर मार्केट सोपोर
182	उरी (बारामूला)
183	वागूरा
184	वागुब सोपोर
185	वेलु करालपोरा
186	वारपोरा
187	वाटरगाम

क्र. सं.	जिला: गंदेरबल
188	सफापोरा
क्र. सं.	जिला: कुपवाड़ा
189	बाग बेला
190	चौकीबल
191	चोगल
192	डूगमुल्ला
193	गुलगाम
194	हंडवारा
195	कलामाबाद
196	कंडी करनाह
197	कांटीपोरा
198	खुमरियाल
199	क्रालगुंड
200	क्रालपोरा
201	कुपवाड़ा
202	लंदरवान
203	लालपोरा (लोलाब)
204	नाथनूसा
205	नौगाम (लावूसा)
206	फोरूपेथ
207	पोशवान
208	टाड़
209	तारथपोरा
210	विलगाम
211	युनसु
क्र. सं.	जिला: श्रीनगर
212	पन्जीनारा
क्र. सं.	जिला: लेह
213	चुचोट याकमा
214	लेह
215	स्पितुक
क्र. सं.	जिला: कारगिल
216	कारगिल
एक्सटेंशन काउंटर	
क्र. सं.	जिला: श्रीनगर
1	ई/सी शाल टैंग



J&K Grameen Bank organised a yoga camp on International Yoga Day on 21st June, 2024 at RS Pura, District Jammu.

Plantation Drive organised by J&K Grameen Bank at Government Higher Secondary school Channi Himmat, Jammu under Special Campaign 4.0 in present of Sh. Sanjay Gupta Chairman J&K Grameen Bank



Cleanliness Drive organised by J&K Grameen Bank at Chingus Fort, District Rajouri under Special Campaign 4.0 of GOI





Digital & Financial Literacy
Programme organised
by
J&K Grameen Bank
at village Ban Sultan,
District Jammu.

Financial Literacy
awareness camp
organised by
J&K Grameen Bank
at village Saboo
(Leh), District Ladakh.



Rural Financial
Awareness camp
organised by
J&K Grameen Bank
at village Arindardpora,
District Bandipora





Sponsors



J&K Bank

**J&K
Grameen Bank**

Scheduled Bank

Empowering Entrepreneur

ग्रामीण बैंक

گراہمن بینک

H. O.: Narwal (Near Fruit Complex), Jammu (J&K)

Website : www.jkgb.in